रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26092025-266426
CG-DL-E-26092025-266426

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 256] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 23, 2025/आश्विन 1, 1947
No. 256] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 23, 2025/ASVINA 1, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2025

अंतिम जांच परिणाम

मामला सं.-पाटनरोधी (ओआई)-32/202

विषय: कुवैत सरकार, सऊदी अरब साम्राज्य और सिंगापुर गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "मोनो एथिलीन ग्लाइकॉल" के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच।

क. मामले की पृष्ठभूमि

फा. सं. 6/34/2024-डीजीटीआर - समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' भी कहा गया है) और उसकी समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित सामानों की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन

और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

1. जबकि, दि केमिकल्स एंड पैट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चर्रस एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीपीएमए) (जिसे आगे 'आवेदक' या 'घरेलू उद्योग' कहा गया है) ने सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित सामानों की पहचान, आकलन और उन पर पाटनरोधी शुल्क का संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे 'पाटनरोधी नियमावली' भी कहा गया है) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकारी' भी कहा गया है) के समक्ष कुवैत सरकार (जिसे आगे 'एसओके/कुवैत' भी कहा गया है), सऊदी अरब साम्राज्य (जिस यहां आगे 'केएसए/सऊदी अरब" भी कहा गया है) और सिंगापुर गणराज्य (जिसे यहां आगे 'आरओएस/सिंगापुर' भी कहा गया है), जिन्हें यहां आगे सामूहिक रूप से "संबद्ध देश" कहा गया है, के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "मोनो एथिलीन ग्लाइकॉल" (जिसे यहां आगे 'विचाराधीन उत्पाद' अथवा 'पीयूसी' अथवा 'संबद्ध सामान' अथवा 'एमईजी' भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरु करने के लिए एक आवेदन-पत्र दायर किया है। क्षति संबंधी सूचना से संबंधित आंकड़े रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिसे यहां आगे "आवेदक कंपनी", "घरेलू उद्योग" कहा गया है) द्वारा दिए गए थे।

2. और जबकि, आवेदक द्वारा दायर विधिवत प्रमाणित आवेदन-पत्र के मद्देनजर, प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 6/34/2024-डीजीटीआर दिनांक 27 सितंबर 2024 द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जरी की, जिसमें पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू की गई है ताकि संबद्ध सामानों के किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की राशि, जो यदि लगाई जाए और घरेलू उद्योग को तथाकथित क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश की जा सके।

ख. <u>प्रक्रिया</u>

3. जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

   क. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5(5) के अनुसार जांच शुरु करने से पहले भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को वर्तमान पाटनरोधी आवेदन-पत्र की प्राप्ति के बारे में सूचित किया।

   ख. प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या फा.सं.6/34/2024 - डीजीटीआर द्वारा 27 सितंबर 2024 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसे भारत के राजपत्र,

असाधारण में प्रकाशित किया गया, जिसमें संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरु की गई।

ग. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार, भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकारों, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं, घरेलू उद्योग, अन्य भारतीय उत्पादकों के साथ-साथ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को जांच शुरु किए जाने संबंधी अधिसूचना की एक प्रति भेजी और उनसे निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने विचार देने का अनुरोध किया।

घ. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार, ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और संबद्ध देशों की सरकारों को, भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से, आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति उपलब्ध कराई। आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों को, जहाँ भी अनुरोध किया गया, उपलब्ध कराई गई थी।

ड. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संगत सूचना मंगाने के लिए निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को एक निर्यातक प्रश्नावली भेजी:

एसओके	**केएसए**	**आरओएस**
इक्वेट पेट्रोकेमिकल कंपनी	अरेबियन पेट्रोकेमिकल कंपनी	कोरल एनर्जी डीएमसीसी
दि कुवैत ओलेफिन्स कंपनी	ईस्टर्न पेट्रोकेमिकल कंपनी	शेल इंटरनेशनल ईस्टर्न ट्रेडिंग कंपनी
	जना जुबैल केमिकल इंडस्ट्रीज कंपनी	
	रबीघ रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल कंपनी	
	सदारा केमिकल कंपनी	
	सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कारपोरेशन	
	सऊदी कायन पेट्रोकेमिकल कंपनी	
	सऊदी यानबू पेट्रोकेमिकल कंपनी	
	यानबू नेशनल पेट्रोकेमिकल कंपनी	

च. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें।

छ. प्रत्युत्तर में, संबद्ध देशों के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली के उत्तर दायर किए:

क्र.सं.	**एसओके**	**केएसए**	**आरओएस**
उत्पादक			
1.	इक्वेट पेट्रोकेमिकल कंपनी ("इक्वेट")	सऊदी यानबू पेट्रोकेमिकल कंपनी ("यानपेट")	-
2.	कुवैत ओलेफिन्स कंपनी ("टीकेओसी")	सऊदी कायान पेट्रोकेमिकल कंपनी ("सऊदी कायान")	
3.		जुबैल यूनाइटेड पेट्रोकेमिकल कंपनी ("यूनाइटेड")	
4.		ईस्टर्न पेट्रोकेमिकल कंपनी ("शार्क")	
5.		अरेबियन पेट्रोकेमिकल कंपनी ("पेट्रोकेमा")	
6.		यानबू नेशनल पेट्रोकेमिकल कंपनी ("यानसब")	
7.		रबीघ रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल कंपनी ("पीआरसी")	
व्यापारी			
8.		मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन, जापानसऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ("एसएबीआईसी")	
9.		एसपीडीसी लिमिटेड ("एसपीडीसी")	
10.		एसएबीआईसी एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड ("एसएपीपीएल")	

11.	मित्सुबिशी कारपोरेशन, जापान	मित्सुबिशी कारपोरेशन, जापान	

ज. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक प्रश्नावली भेजी।

क्र.सं.	**आयातक/प्रयोक्ता/प्रयोक्ता एसोसिएशन का नाम**
1.	डॉव केमिकल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
2.	फिलाटेक्स इंडिया लिमिटेड
3.	भिलोसा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
4.	चिरिपाल पॉली फिल्म्स लिमिटेड
5.	डीएनएच स्पिनर्स प्राइवेट लिमिटेड
6.	जिंदल पॉली फिल्म्स
7.	श्री दुर्गा सिंटेक्स प्राइवेट लिमिटेड
8.	सनाथन टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
9.	केएलजे रिसोर्सेज लिमिटेड
10.	शुभलक्ष्मी पॉलिएस्टर्स लिमिटेड
11.	एसआरएफ लिमिटेड
12.	स्टार्चेम पॉलीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
13.	स्टारलॉन एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड
14.	द बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड
15.	वेलनोउन पॉलिएस्टर्स लिमिटेड
16.	इंडोरामा सिंथेटिक्स लिमिटेड
17.	आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड
18.	गार्डन सिल्क मिल्स लिमिटेड
19.	गोकुलानंद पेट्रोफाइबर्स
20.	जेबीएफ इंडस्ट्रीज लिमिटेड
21.	सुमीत इंडस्ट्रीज लिमिटेड
22.	रश्मि पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड
23.	आईवीएल धुनसेरी पेट्रोकेम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
24.	फ्यूचरा पॉलिएस्टर्स लिमिटेड

झ. प्रत्युत्तर में, निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने प्रश्नावली के उत्तर दायर कर उत्तर दिया है:

क्र.सं.	आयातक/प्रयोक्ता/प्रयोक्ता एसोसिएशन का नाम
1.	भिलोसा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
2.	मेसर्स आईवीएल धुनसेरी पेट्रोकेम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
3.	सनाथन टेक्सटाइल्स लिमिटेड
4.	बीकेलॉन सिंथेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
5.	डी.एन.एच. स्पिनर्स प्राइवेट लिमिटेड
6.	गार्डन सिल्क मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
7.	वेलनोन पॉलिएस्टर्स लिमिटेड
8.	बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड
9.	मेसर्स फिलाटेक्स इंडिया लिमिटेड
10.	मेसर्स इंडोरामा सिंथेटिक्स (इंडिया) लिमिटेड
11.	पॉलिएस्टर टेक्सटाइल अपैरल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन

ञ. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया। सभी हितबद्ध पक्षकारों की सूची डीजीटीआर वेबसाइट पर अपलोड की गई और साथ ही उन सभी से अनुरोध किया गया कि वे अपने अनुरोध का अगोपनीय रूपांतर अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें।

ट. डीजीसीआईएंडएस से क्षति अवधि और जांच अवधि के लिए संबद्ध सामानों के आयातों का लेन-देन-वार विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। प्राधिकारी ने लेन-देन की उचित जांच के बाद आयात की मात्रा की गणना और आवश्यक विश्लेषण के लिए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर भरोसा किया है।

ठ. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि ("पीओआई") 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 (12 महीने) है। क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच में वित्त वर्ष 2020-21, वित्त वर्ष 2021-22, वित्त वर्ष 2022-23 और जांच की अवधि शामिल है।

ड. इस जांच प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर, साक्ष्यों द्वारा समर्थित और वर्तमान जांच के लिए संगत माने जाने की सीमा तक, प्राधिकारी द्वारा इस अंतिम जांच परिणाम में उचित रूप से विचार किया गया है।

ढ. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान

करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर देने का निर्देश दिया गया था।

ण. जहां भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच के दौरान आवश्यक सूचना तक पहुंच से इनकार किया है या अन्यथा प्रदान नहीं की है, या जांच में अत्यधिक रूप से बाधा डाली है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर विचार/टिप्पणियां दर्ज की हैं।

त. प्राधिकारी ने 27 सितंबर 2024 की जांच की शुरुआत की अधिसूचना के पैरा 6 के द्वारा जांच की शुरुआत के 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में टिप्पणियां मांगी। हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन (उत्पाद नियंत्रण संख्या) पद्धति के संबंध में टिप्पणियाँ दायर करने के लिए 26 अक्टूबर 2024 तक अतिरिक्त समय दिया गया। चूँकि किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई अनुरोध दायर नहीं किया गया था, अत: प्राधिकारी ने 18 नवंबर 2024 की अधिसूचना के माध्यम से विचाराधीन उत्पाद के अंतिम क्षेत्र और पीसीएन को अधिसूचित किया। सभी हितबद्ध पक्षकरों को 18 दिसंबर 2024 तक अंतिम रूप से तैयार विचाराधीन उत्पाद के अनुसार प्रश्नावली का उत्तर दायर करने का निर्देश दिया गया था। कुछ हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध पर, समय सीमा को आगे बढ़ाकर 25 दिसंबर 2024 कर दिया गया।

थ. सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध सामानों के निर्माण और बिक्री की इष्टतम उत्पादन लागत और निर्माण एवं बिक्री लागत के आधार पर क्षति-रहित कीमत (एनआईपी) की गणना की गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

द. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने 17 अप्रैल 2025 को आयोजित मौखिक सुनवाई के दौरान हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया और उनसे लिखित और प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। तथापि, निर्दिष्ट प्राधिकारी में परिवर्तन के कारण, प्राधिकारी ने ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एटीएमए) बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 07-01-2011 को सिविल अपील संख्या 949/2006 में दिए गए निर्णय के अनुसरण में हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने और उसके बाद लिखित रूप में अनुरोध देने का अवसर प्रदान किया। तदनुसार, प्राधिकारी ने 4 जून, 2025 को एक और सार्वजनिक सुनवाई की। जिन हितबद्ध पक्षकारों ने दूसरी मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए थे, उनसे अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों की लिखित अनुरोध

दायर करें और उसके बाद यदि कोई हो तो प्रत्युत्तर अनुरोध दें। हितबद्ध पक्षकारों को उनके द्वारा प्रस्तुत लिखित अनुरोधों के अगोपनीय रूपांतर को अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा करने का भी निर्देश दिया गया था।

ध. प्राधिकारी ने केंद्र सरकार को अंतिम सिफारिशें करने के लिए विचाराधीन सभी आवश्यक तथ्यों से युक्त प्रकटन विवरण सभी हितबद्ध पक्षकारों को 09 सितंबर 2025 को परिचालित किया। पक्षकारों से अनुरोध किया गया कि वे प्रकटन विवरण पर अपनी टिप्पणियां, यदि कोई हों, 16 सितंबर 2025 तक दायर करें।

न. प्राधिकारी ने संगत समझी गई सीमा तक इन अंतिम जांच परिणामों में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई प्रकटन-पश्चात सभी टिप्पणियों की जांच की है। कोई भी अनुरोध, जो केवल पिछले अनुरोध की पुनरावृत्ति मात्र था, और जिसकी प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त रूप से जांच की गई थी, संक्षिप्तता के लिए दोहराया नहीं गया है।

प. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की, जहां तक आवश्यक समझा गया, स्थल-सत्यापन के साथ-साथ तालिका सत्यापन के दौरान जांच और सत्यापन किया गया है और वर्तमान अंतिम जांच परिणामों के लिए उस पर भरोसा किया गया है।

फ. संबद्ध देशों के सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की जांच और डेस्क सत्यापन भी जहां तक आवश्यक समझा गया, किया गया और वर्तमान अंतिम जांच परिणामों के प्रयोजनार्थ उस पर भरोसा किया गया है।

ब. प्राधिकारी ने इस स्तर पर सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए सभी तर्कों और उपलब्ध कराई गई सूचना पर उस सीमा तक विचार किया है, जहां तक वे साक्ष्यों द्वारा समर्थित हैं और वर्तमान जांच के लिए संगत माने जाते हैं।

भ. अंतिम जांच परिणाम में *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना तथा पाटनरोधी नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना दर्शाते हैं।

म. वर्तमान जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अम.डा. =83.70 रुपए है।

ग. <u>विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु</u>

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

4. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद या पीसीएन के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं दी है।

ग.2 घरेलू उद्योग की ओर से अनुरोध

5. घरेलू उद्योग की ओर से निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. विचाराधीन उत्पाद "मोनो एथिलीन ग्लाइकॉल" है। यह सभी पॉलिएस्टर यार्न, फाइबर और पीईटी के उत्पादन के लिए एक आधारभूत कच्ची सामग्री है। देश में इसकी घरेलू उपलब्धता टेक्सटाइल और पीईटी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है।

ख. अन्य किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने उत्पाद क्षेत्र के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की है अथवा पीसीएन के निर्माण के लिए कोई अनुरोध नहीं किया है। तदनुसार, घरेलू उद्योग प्राधिकारी से विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र की पुष्टि करने का अनुरोध करता है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

6. विचाराधीन उत्पाद 'मोनो एथिलीन ग्लाइकॉल (एमईजी)' है। एमईजी एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र (सीएच2ओएच)2 है। एमईजी की आणविक संरचना इस प्रकार है:

एक बीकर में एमईजी

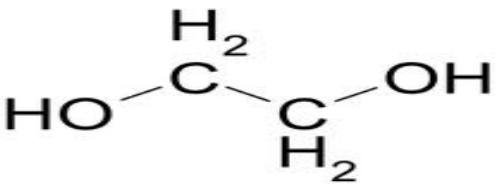

एमईजी की आणविक संरचना

7. एमईजी मुख्यतः दो ग्रेड का होता है - फाइबर और गैर-फाइबर। घरेलू उद्योग एमईजी के दोनों ग्रेड का निर्माण करता है। वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद के दोनों ग्रेड शामिल हैं।

8. एमईजी एक पारदर्शी, रंगहीन, गंधहीन, हल्का चिपचिपा द्रव है जिसकी स्थिरता सिरप जैसी होती है। इसके अतिरिक्त, इसका स्वाद मीठा होता है और यह पानी में घुल जाता है। एमईजी एक महत्वपूर्ण औद्योगिक उत्पाद है जिसका व्यापक उपयोग होता है। इसका उपयोग मुख्यतः पॉलिएस्टर फाइबर और पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थेलेट रेजिन के निर्माण के लिए शुद्ध टेरेफ्थेलिक अम्ल के साथ संयोजन में किया जाता है। इसका उपयोग एंटी-फ्रीज/शीतलक के साथ-साथ फार्मास्यूटिकल्स और कॉस्मेटिक उद्योगों में भी किया जाता है।

9. विचाराधीन उत्पाद को एचएस कोड 2905 31 00 के अंतर्गत "कार्बनिक रसायन" शीर्षक वाले अध्याय 29 में वर्गीकृत किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

10. वर्तमान जाँच में किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने पीसीएन के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव नहीं दिया। तदनुसार, प्राधिकारी ने वर्तमान जाँच में कोई पीसीएन पद्धति नहीं अपनाई है। इसके अतिरिक्त, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

11. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी जांच की शुरुआत के आरंभिक चरण में परिभाषित उत्पाद क्षेत्र की पुष्टि करते हैं: "3. वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद मोनो एथिलीन ग्लाइकॉल (एमईजी) है।"

12. घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध सामानों में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध सामान, भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्य एवं प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, वितरण और सामानों के बाजार एवं प्रशुल्क वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। आवेदकों ने दावा किया है कि भारत में आने वाले संबद्ध सामान, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामानों के समान हैं। सब्सिडी प्राप्त आयातित सामानों और घरेलू स्तर पर उत्पादित संबद्ध सामानों तथा आवेदकों द्वारा निर्मित विचाराधीन उत्पाद की तकनीकी विशिष्टताओं, गुणवत्ता, प्रकार्यों अथवा अंतिम प्रयोगों में कोई अंतर नहीं है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसीलिए इन्हें पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के अंतर्गत 'समान वस्तु' माना जाना चाहिए।

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

घ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

13. घरेलू उद्योग के क्षेत्र के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. वर्तमान मामले में आरआईएल "घरेलू उद्योग" नहीं माना जा सकता क्योंकि परिभाषा में *"समग्र रूप से घरेलू उत्पादकों, जो समान वस्तु के विनिर्माण में लगे हैं"* की परिकल्पना की गई है, और वर्तमान कार्यवाही में आरआईएल के अलावा कोई अन्य भागीदार नहीं है।

ख. आरआईएल के आंकड़ों पर पूरी तरह निर्भरता क्षति विश्लेषण की विश्वसनीयता और निष्पक्षता को कमजोर करती है क्योंकि इससे चुनिंदा आंकड़ों के प्रस्तुतीकरण और संभावित हेरफेर का जोखिम होता है, जिससे क्षति मूल्यांकन

की सटीकता और पारदर्शिता से समझौता होता है। अन्य घरेलू उत्पादकों से तुलनीय आंकड़ों के अभाव में, कीमत और लागत आंकड़ों जैसे महत्वपूर्ण क्षति संकेतक सत्यापन योग्य नहीं रहते हैं। इस संबंध में *ईसी - फास्टनर्स (चीन), यूएस - हॉट रोल्ड स्टील (जापान)* में डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय की रिपोर्ट और *रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी* में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया है।

ग. "घरेलू उद्योग" की परिभाषा में संबद्ध सामानों के आयातकों को भी शामिल नहीं किया गया है। वर्तमान कार्यवाही में, आरआईएल संबद्ध देशों से एमईजी का उत्पादक और आयातक दोनों है, जो हितों के टकराव पैदा करते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि यह एकमात्र प्रतिभागी उत्पादक है और उसका घरेलू उत्पादन में 80-90% हिस्सा है।

घ. *सेंचुरी प्लाईबोर्ड (आई) लिमिटेड एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य* में गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि घरेलू उद्योग के क्षेत्र में आयात करने वाले घरेलू उत्पादकों को शामिल करने का विवेकाधिकार पूर्ण विवेकाधिकार नहीं है। तदनुसार, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा किए गए आयातों की प्रकृति और कारण की जांच करनी चाहिए।

ङ. आवेदक ने दावा किया है कि वर्तमान आवेदन-पत्र को आईओसीएल और आईजीएल का भी समर्थन प्राप्त है। तथापि, आईओसीएल की ओर से इस तरह के कथित समर्थन का कोई साक्ष्य नहीं है। आवेदक ने स्वयं अपने आवेदन-पत्र में आईओसीएल को वर्तमान जांच के प्रति तटस्थ माना है।

च. हाल ही में बाजार से प्राप्त सूचना के अनुसार, आरआईएल ने लगभग 180 किलोटन विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है। प्राधिकारी को यह जांच करनी चाहिए कि ऐसे आयात आरआईएल की कुल बिक्री और उत्पादन का केवल 1% कैसे हैं।

घ.2 घरेलू उद्योग की ओर से किए गए अनुरोध

14. घरेलू उद्योग की ओर से निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. वर्तमान आवेदन-पत्र केमिकल्स एंड पैट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चर्रस एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ("आरआईएल") की ओर से दायर किया गया है। आरआईएल का भारतीय उत्पादन में 75% से अधिक हिस्सा है और उसका पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अनुसार भारत में कुल घरेलू उत्पादन में "प्रमुख अनुपात" है। इसके अतिरिक्त, पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5(3) के तहत आधार की अपेक्षाएं भी पूरी कर ली गई हैं।

ख. भारत में संबद्ध सामानों के दो अन्य ज्ञात उत्पादक, अर्थात् इंडियन ग्लाइकॉल लिमिटेड और इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड हैं।

ग. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का नगण्य मात्रा में आयात किया है। तथापि, ऐसे आयात कुल मांग के 1 प्रतिशत से भी कम और इसके उत्पादन का लगभग 1% हैं। इसके अतिरिक्त, ऐसे आयात निर्यात संवर्धन योजनाओं के तहत किए गए हैं।

घ. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में "सकता है" शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से प्राधिकारी को ऐसे घरेलू उत्पादकों को भी शामिल करने का विवेकाधिकार प्रदान करता है जो या तो संबद्ध सामानों के आयातक हैं या फिर ऐसा घरेलू उत्पादक निर्यातक का संबद्ध पक्षकार है।

ड. *ईसी - फास्टनर्स (चीन)* मामले में पैनल ने पाया कि जाँच प्राधिकारियों के पास संबंधित या आयातक घरेलू उत्पादकों को बाहर रखने या न रखने का विवेकाधिकार है। *सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स बनाम भारत संघ* मामले में गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने भी इस विवेकाधिकार की पुष्टि की थी। इसके अतिरिक्त, मेलामाइन और सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर के आयात से संबंधित पाटनरोधी जाँच में प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणामों पर भरोसा किया गया है, जिसमें प्राधिकारी ने आयातक घरेलू उत्पादक और संबद्ध सामानों के आयातक से संबद्ध घरेलू उत्पादक को घरेलू उद्योग के क्षेत्र में शामिल किया था।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

15. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित हैः

> *'(ख) "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"*

16. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह आवेदन-पत्र रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर से केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा दायर किया गया है। इस आवेदन-पत्र का समर्थन इंडियन ग्लाइकॉल लिमिटेड ने किया है। इन दोनों उत्पादकों के अलावा, एक अन्य उत्पादक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार, 'प्रमुख अनुपात' है।

17. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक के उत्पादन का कुल घरेलू उत्पादन में प्रमुख अनुपात है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात किया है। तथापि, ऐसे आयात उनके कुल उत्पादन और देश में समग्र माँग का केवल 1% ही हैं। यह सीमित आयात गतिविधि आवेदक के व्यवसाय की प्रकृति को निर्माता से व्यापारी में नहीं बदलती है। तदनुसार, आवेदक वर्तमान जाँच के प्रयोजनों के लिए घरेलू उद्योग के रूप में विचार किए जाने का पात्र है। इसके अतिरिक्त, आवेदक संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों के किसी निर्यातक या भारत में संबद्ध सामानों के किसी आयातक से संबद्ध नहीं है। इस प्रकार, आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तहत परिभाषित घरेलू उद्योग है, और आवेदन-पत्र पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

ङ. गोपनीयता

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

18. उत्पादकों/निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने इस संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

ड.2 घरेलू उद्योग की ओर से अनुरोध

19. घरेलू उद्योग ने इस संबंध में कोई अनुरोध नहीं किए हैं।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

20. सूचना की गोपनीयता के संबंध में नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

"गोपनीय सूचना:

(1) नियम 6 के उपनियमावली (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता

है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।"

21. हितबद्ध पक्षकारों ने अपने विभिन्न अनुरोधों में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के दावों के मुद्दे उठाए हैं। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में जाँच की गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहाँ भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है। जहाँ तक संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय रूपांतर सार्वजनिक फ़ाइल के रूप में उपलब्ध कराए।

22. सभी हितबद्ध पक्षकारों की सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई और उन सभी से अनुरोध किया गया कि वे अपने अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें।

च. <u>विविध</u> अनुरोध

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

23. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

क. वर्तमान जांच से पहले, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की आड़ में, विचाराधीन उत्पाद के संबंध में दो जांचें शुरू की हैं।

ख. दोनों मामलों में, प्राधिकारी ने *प्रथम दृष्टया* पाया है कि इन जांचों को शुरू करने के लिए पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद था।

ग. तथापि, दोनों मामलों में शुल्कों की सिफारिश करने का कोई आधार नहीं था। स्पष्ट रूप से, दोनों मामलों में जांच समाप्त होने तक पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क की मौजूदगी का *प्रथम दृष्टया* आकलन पलट दिया गया था।

घ. वर्तमान जांच में ईरान को शामिल न करने के बाद, आवेदक पर पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 और 6 के अनुसार ईरान से आयात के प्रभाव को कम करने के बाद आंकड़ों को फिर से प्रस्तुत करने का दायित्व था।

ङ. वर्तमान जांच क्षेत्राधिकार के बाहर है क्योंकि आवेदन-पत्र दिल्ली उच्च न्यायालय से अनुमोदन के बिना घरेलू उद्योग द्वारा वापस ले लिया गया था।

च.2 घरेलू उद्योग की ओर से अनुरोध

24. घरेलू उद्योग की ओर से निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

क. पहली जाँच जनवरी-सितंबर 2019 की जाँच अवधि के लिए 2019 में शुरू की गई थी। कार्यवाही के दौरान, आवेदकों ने जांच की शुरुआत के चरण की बजाय संबद्ध देशों से अधिक पाटन पाया। इसके अतिरिक्त, पहले आवेदन-पत्र में जाँच अवधि के आँकड़े जाँच अवधि के बाद की बाज़ार वास्तविकताओं को नहीं दर्शाते थे, क्योंकि पाटन के स्रोत बदल गए थे।

ख. दूसरे आवेदन-पत्र में, प्राधिकारी ने पाया कि कुवैत और सऊदी अरब के निर्यातक संबद्ध सामानों का पाटन कर रहे थे, लेकिन यह माना कि कोई क्षति नहीं हुई क्योंकि घरेलू उद्योग ने संबंधित जाँच अवधि (जनवरी-दिसंबर 2020) के दौरान बिक्री लागत पर 20% लाभ अर्जित किया। घरेलू उद्योग ने इसे सेस्टैट के समक्ष चुनौती दी, जिसने पुनः जाँच का निर्देश दिया। हालाँकि, उस जाँच अवधि के बाद से लगभग तीन वर्ष बीत जाने और पाटन व क्षति की स्थिति बिगड़ जाने के कारण, एक नया आवेदन-पत्र दायर किया गया और दूसरा आवेदन-पत्र वापस ले लिया गया।

ग. प्राधिकारी के समक्ष बार-बार किए गए आवेदनों से भारतीय एमईजी उद्योग की कमजोर स्थिति का पता चलता है, तथा कुवैत और सऊदी अरब के निर्यातकों की अनुचित व्यापार परिपाटियों का खुलासा होता है।

च.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

25. प्राधिकारी ने जाँच की शुरूआत के चरण में साक्ष्य की पर्याप्तता की जाँच की। यह नोट किया जाता है कि आवेदक ने पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य दिये थे, जिसके आधार पर प्राधिकारी ने वर्तमान जाँच शुरू की थी।

26. प्राधिकारी ने पिछली जाँच के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियों के साथ-साथ अपने स्वयं के जांच परिणामों पर भी विचार किया है। तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्रत्येक जाँच, उस विशिष्ट जाँच से संबंधित अवधि के तथ्यों के आधार पर की जानी है।

छ. <u>सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मर्जिन</u>

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों की ओर से अनुरोध

27. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. सामान्य मूल्य की गणना करने की घरेलू उद्योग की पद्धति गलत है क्योंकि इसमें संबद्ध देशों में उत्पादकों की घरेलू बिक्री पर विचार नहीं किया गया है। प्राधिकारी, अधिनियम की धारा 9क(1)(ग)(i) के अंतर्गत, निर्यातकों के प्रश्नावली उत्तर में घोषित उत्पादक/निर्यातक की घरेलू बिक्री के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए बाध्य हैं। तथापि, यदि इस आधार के लिए निर्धारित शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तो सामान्य मूल्य का निर्धारण तीसरे देश को की गई बिक्री के आधार पर किया जा सकता है।

ख. एसएबीआईसी समूह ने अपने घरेलू बाजार में पर्याप्त मात्रा में बिक्री [***%] की है। सामान्य मूल्य की गणना पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अनुसार की जानी है, जब तक कि कंपनी के रिकॉर्ड जीएएपी के अनुरूप न हों या रिकॉर्ड उत्पाद के उत्पादन और बिक्री से जुड़ी लागतों को उचित रूप से न दर्शाते हों। एसएबीआईसी समूह ने तीसरे देश के बिक्री आंकड़े भी उपलब्ध कराए हैं।

ग. एसजीएंडए लागत और लाभ उत्पादक के उत्पादन और बिक्री से संबंधित वास्तविक आंकड़ों पर आधारित होने चाहिए, जब तक कि व्यापार के सामान्य क्रम में कोई बिक्री न हो।

घ. एशियाई संविदा कीमत ("एसीपी") वह आधार नहीं है जिस पर भारत सहित एशिया में एमईजी की वार्षिक या स्थल बिक्री की जाती है। बल्कि इसका उपयोग दीर्घकालिक अनुबंधों के लिए किया जाता है, जो आमतौर पर 7-15 वर्षों तक होते हैं। इक्वेट ग्रुप ने कई देशों में विचाराधीन उत्पाद की वार्षिक खरीद संविदा प्रस्तुत की है, एक तथ्य जिसे घरेलू उद्योग ने पिछली जांच में स्वीकार किया था जो औसत चीन सीएफआर कीमतों पर चिह्नित हैं। भारत को निर्यात कीमत की एसीपी के साथ तुलना अनुचित है और आवेदक द्वारा एक कृत्रिम और बढ़ी-चढ़ी कीमत अंतर बनाने का प्रयास है।

ङ. भारत को इक्वेट ग्रुप की औसत निर्यात कीमत जांच की अवधि के दौरान चीन या पाकिस्तान से अधिक थी।

च. पीआरसी ने जांच की अवधि के दौरान न तो भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात किया है और न ही घरेलू बिक्री की है। हालाँकि, इसने जाँच में भाग लिया है क्योंकि यह सऊदी अरामको की साझा शेयरधारिता के कारण एसएबीआईसी समूह का एक संबद्ध पक्षकार है। एलडीपीई जाँच में प्राधिकारी ने पीआरसी और सदारा को संबद्ध माना था और उन्हें शुल्क की एक ही दर प्रदान की थी।

छ. इक्वेट समूह ने वर्तमान जाँच में पूर्ण सहयोग किया है और घरेलू बिक्री की नगण्य मात्रा को देखते हुए, सामान्य मूल्य की गणना मूल देश में सीओपी के आधार पर तथा उचित मात्रा में एसजीएंडए और लाभ के आधार पर की जानी

चाहिए। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी की सतत परिपाटी के अनुरूप, प्राधिकारी को उचित राशि के रूप में 5% प्रतिशत का लाभ मार्जिन अपनाना चाहिए। इक्वेट समूह ने अपने विश्लेषण में प्राधिकारी की सहायता के लिए तीसरे देश के बिक्री आँकड़े भी दिए हैं।

ज. टीकेओसी के वित्तीय विवरणों पर भरोसा करना गलत है क्योंकि यह जांच की अवधि से संबंधित नहीं है और यह इक्वेट निष्पादन को ध्यान में नहीं रखता है। टीकेओसी के वित्तीय विवरणों में सूचित लाभ मार्जिन एथिलीन और एमईजी के लिए हैं और इस प्रकार, विचाराधीन उत्पाद के लिए उचित लाभ मार्जिन निर्धारित करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है।

झ. कारपोरेट स्तर की लाभप्रदता सामान्य वाणिज्यिक एमईजी बिक्री से परे कई कारकों से प्रभावित होती है जैसे दीर्घकालिक आपूर्ति करार, एकीकरण लाभ और अन्य कार्य-नीतिक प्रचालन। इक्वेट ग्रुप ने एमईजी से संबंधित उत्पाद विशिष्ट लागत और बिक्री की सूचना दी है और इसलिए, पाटनरोधी नियमावली के नियम 4 और पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अनुसार, निर्मित सामान्य मूल्य निर्यातकों के रिकॉर्ड के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए क्योंकि पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के तहत दीर्घ अवधि की शर्तें पूरी की जा रही हैं।

ञ. पीएमएस को सीटीए या पाटनरोधी नियमावली में परिभाषित नहीं किया गया है। विशेषण "विशिष्ट" और "बाजार" के प्रयोग से संकेत मिलता है कि बाजार की स्थिति 'अपवादात्मक, विशिष्ट, व्यक्तिगत, एकल, विशिष्ट' होनी चाहिए और पीएमएस सिद्ध करने के लिए प्राधिकारी को यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि बाजार में कार्यों की अपवादात्मक/विशिष्ट स्थिति मौजूद है।

ट. भारतीय कानून और विश्व व्यापार संगठन करार इनपुट/कच्चे माल के बाजार में पीएमएस की जांच की अनुमति नहीं देते हैं। घरेलू उद्योग ने यह दावा करने के लिए यूरोपीय संघ, कनाडा और अमेरिका के कानूनों का हवाला देकर प्राधिकारी को भ्रमित करने का प्रयास किया कि ये देश इनपुट के लिए पीएमएस पर विचार करते हैं। ऐसे देशों में नगरपालिका कानून भारत से काफी अलग है।

ठ. यूरोपीय संघ के पाटनरोधी शुल्क विनियमन में कच्चे माल की विकृति के प्रावधान भारतीय कानून में मौजूद नहीं हैं और इसलिए, इस संबंध में यूरोपीय संघ का व्यवहार असंगत है।

ड. पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2 में सभी संदर्भ समान उत्पाद या विचाराधीन उत्पाद से संबंधित हैं, इसलिए, यह प्राधिकारी को इनपुट में विकृति के आरोप की जांच करने की अनुमति नहीं देता है।

ढ. पीएमएस सिद्ध करने के लिए सबूत का भार आवेदक पर है और उसने कुवैत या सऊदी अरब के लिए इसे सिद्ध नहीं किया है जैसा कि पैनल ने यूएस-शर्ट्स

एंड ब्लाउज़ में माना है। आवेदक ने पिछली जांचों में भी पीएमएस के गलत कानूनी मानक पर विश्वास किया है।

ण. आवेदक के अनुरोध अनुमानों और अनुमानों पर आधारित हैं कि फीडस्टॉक गैसों के कीमत निर्धारण पर कथित सरकारी नियंत्रण पीएमएस के दावे को सिद्ध करने के लिए अपर्याप्त हैं। इसके अतिरिक्त, आवेदक का पीएमएस आरोप पीयूसी विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में प्रयुक्त फीडस्टॉक से संबंधित है, न कि स्वयं विचाराधीन उत्पाद से।

त. सऊदी अरब सरकार ("जीकेएसए") द्वारा प्राकृतिक गैस या तरल पदार्थों की कीमतों के विनियमन को "इनपुट और फीडस्टॉक की आपूर्ति के संबंध में विशिष्ट स्थिति" नहीं माना जा सकता। भारत सरकार सहित सभी सरकारों द्वारा ऐसे नियामक उपाय अपनाए जाते हैं। इस बात का कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि ऐसे उपाय देश के भीतर इनपुट के बाजार को कैसे विकृत करते हैं।

थ. आवेदकों ने कीमतों के मात्र विनियमन को विकृति के समान बताया है। इसके अतिरिक्त, मात्र सरकारी उपाय की मौजूदगी से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि एमईजी के उत्पादन और बिक्री से जुड़ी लागतें उचित रूप से नही दर्शाई गई हैं या यह सिद्ध नहीं होता है कि घरेलू और निर्यात बिक्री के बीच उचित तुलना नहीं की जा सकती है।

द. निर्यातकों की बहियों में दर्ज लागत को केवल इसलिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि इनपुट कीमतें राज्य द्वारा विनियमित की जा रही हैं या क्योंकि विनियमन की मौजूदगी के कारण इनपुट कीमतें कथित रूप से अनुचित हैं। अर्जेंटीना निर्यात कर प्रणाली के कारण इनपुट की घरेलू कीमतें अंतरराष्ट्रीय कीमतों से कम होने के बावजूद, ईयू-बायोडीजल (अर्जेंटीना) में अपीलीय निकाय ने माना कि यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त आधार नहीं था कि उत्पादक के रिकॉर्ड बायोडीजल के उत्पादन और बिक्री की लागत को उचित रूप से नहीं दर्शाते हैं। यूक्रेन -अमोनियम नाइट्रेट (रूस) और यूरोपीय संघ-लागत समायोजन पद्धतियां (रूस) में अपीलीय निकाय द्वारा यही दृष्टिकोण अपनाया गया था। इसके अतिरिक्त, "उपयुक्त रूप से दर्शाना" यह दर्शाता है कि निर्यातक द्वारा रखे गए रिकॉर्ड की केवल सत्यता और सटीकता की ही जांच की जा सकती है और क्या ऐसे रिकॉर्ड जांचे गए उत्पादक द्वारा विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री में वास्तव में किए गए खर्चों के उपयुक्त और पर्याप्त रूप से अनुरूप हैं।

ध. आवेदक ने यह सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि केएसए में कीमत समतुल्यता का सिद्धांत मौजूद है या यह कि केएसए में निर्यातक संबद्ध सामानों के विनिर्माण में ऐसी व्यवस्था से लाभान्वित होते हैं।

न. ईयू-बायोडीजल के अनुसार, जांच प्राधिकारी "देश में उत्पादन लागत" को आवेदक द्वारा सुझाए गए एथिलीन बेंचमार्क जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों से प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं।

प. *अनकोटेड कॉपियर पेपर* में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित कानूनी मानक के अनुसार, घरेलू उद्योग को यह साबित करना होगा कि सरकारी हस्तक्षेप से घरेलू बाजार में कीमतें कम हुई हैं।

फ. ऑस्ट्रेलिया - A4 कॉपी पेपर पर निर्भरता इस कारण से त्रुटिपूर्ण है कि पैनल ने इंडोनेशिया के इस दावे पर कहीं भी अपने जांच परिणाम नहीं दिए हैं कि पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2 में उल्लिखित "विशेष बाजार स्थिति" शब्द का उपयोग इनपुट की लागत में विकृतियों को दूर करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

ब. जीकेएसए में ईथेन का कीमत निर्धारण वाणिज्यिक कारणों और पर्यावरणीय चिंताओं के संयोजन पर आधारित है, इसके अलावा प्रोपेन और ब्यूटेन के लिए, जीकेएसए ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत सूत्र निर्धारित किया है कि घरेलू प्राकृतिक गैस की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमतों पर आधारित हों। फीडस्टॉक की कीमतों को बाजार कीमतों से जोड़ने से यह सुनिश्चित होता है कि कीमतें वाणिज्यिक विचारों पर आधारित हों और उत्पादकों को पूरी लागत वसूलने और व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में लाभ कमाने में सक्षम बनाती हों। इसे केएसए के डब्ल्यूटीओ अभिगम वार्ता के दौरान कार्यकारी पक्षकार द्वारा स्वीकार किया गया था।

भ. ईथेन के लिए निर्धारित कीमतों का उपयोग निर्यात बाजारों के लिए या केएसए के अंतर्गत खपत के लिए निचले स्तर के उत्पादों के उत्पादन के लिए किया जाता है। तदनुसार, कीमत तुलनीयता प्रभावित नहीं होती है।

म. यूरोपीय आयोग ने अपनी एमईजी जांच में अपनी बहियों में दर्ज एसएबीआईसी समूह की उत्पादन लागत पर भरोसा किया था।

य. यूएसडीओसी ने कई जांचों में सरकारी नियंत्रण को पीएमएस के गठन के लिए अपर्याप्त साक्ष्य माना है।

कक. आवेदक का पीएमएस पर आरोप जीकेएसए द्वारा कथित सब्सिडी से जुड़ा है, तथापि, ऐसे कथित कार्यक्रमों का कोई विवरण नहीं दिया गया। यदि ऐसी कथित योजनाओं के साक्ष्य को स्वीकार भी कर लिया जाए, तो उचित उपाय प्रतिकारी शुल्क होगा, न कि पाटनरोधी शुल्क।

खख. आवेदक का तीसरे देश की निर्यात कीमतों से संबंधित वेबसाइटों पर भरोसा करना अनुचित है। एसएबीआईसी समूह ने तीसरे देश की कीमत दी हैं, जो वास्तव में दर्शाता है कि ये कीमत भारत के बराबर हैं।

गग. केएसए में पीएमएस की मौजूदगी से लागतों को स्वतः अस्वीकार नहीं किया जा सकता। यह सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि पीएमएस निर्यात और घरेलू कीमतों के बीच उचित तुलना को रोकता है। आवेदक लागत की 'उचितता' और "क्या लागतें संबद्ध सामानों के उत्पादन और बिक्री से जुड़ी लागतों को उचित रूप से दर्शाती हैं" के बीच अंतर करने में विफल रहा है। पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2, ऑस्ट्रेलिया में पैनल की रिपोर्ट - ए4 कॉपी पेपर और ईईसी - कॉटन यार्न के संदर्भ में, प्राधिकारी को यह पता लगाना होगा कि क्या पीएमएस की मौजूदगी घरेलू बिक्री की निर्यात बिक्री के साथ उचित तुलना की अनुमति नहीं देता है।

घघ. घरेलू और निर्यात दोनों उत्पादों के लिए उत्पादन लागत समान है, दोनों प्रकार की बिक्री के लिए कोई अलग-अलग लागत दर्ज नहीं की जाती है और विचाराधीन उत्पाद दोनों बाजारों में बाजार निर्धारित दरों पर बेचे जाते हैं।

ङङ. केएसए और कुवैत के मामले में, यह सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि घरेलू बिक्री और निर्यात बिक्री के बीच उचित तुलना अस्वीकार्य है। इसके अतिरिक्त, पिछली जांच में भले ही प्राधिकारी ने केएसए में पीएमएस की मौजूदगी का निष्कर्ष निकाला था, उन्होंने केएसए से निर्यातकों की वास्तविक लागतों को खारिज नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, भले ही आवेदक के पीएमएस से संबंधित आरोप सही पाए जाते हैं, प्रतिवादियों की दर्ज लागतों को खारिज करने का कोई कानूनी आधार नहीं है।

चच. पिछली जांच में पीएमएस के जांच परिणाम के बावजूद, प्राधिकारी ने केएसए के उत्पादकों की दर्ज उत्पादन लागत में कोई समायोजन नहीं किया।

छछ. किसी विशेष वस्तु की कम कीमत को पीएमएस नहीं माना जा सकता है। यदि क्षेत्रीय लाभों के कारण ऐसी लागतें कम हैं तो लागतों को खारिज नहीं किया जा सकता है। प्राकृतिक लाभ को पीएमएस नहीं माना जा सकता है।

जज. एसओके के विरुद्ध पीएमएस के आरोप को पुष्ट करने या पीएमएस पर एसओके के विरुद्ध प्राधिकारी के पिछले जांच परिणामों का खंडन करने के लिए कोई नया साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। यद्यपि आवेदक ने केएसए और एसओके में सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों का उल्लेख किया है, परन्तु इस बात का कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि एसओके सरकार ("जीएसओके") इनपुट सामग्रियों की बिक्री पर किस प्रकार नियंत्रण रखती है जिससे घरेलू कीमतें विकृत होती हैं या सामान्य मूल्य की गणना के लिए घरेलू कीमतें अविश्वसनीय हो जाती हैं। केवल यह तथ्य कि कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है, पीएमएस के आरोप को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

झझ. आवेदक ने वह कथित शाही आदेश भी प्रस्तुत नहीं किया है जिसके आधार पर उसने पीएमएस का दावा किया है।

ञञ. कोई एकीकृत जीसीसी बाजार नहीं है और विभिन्न फीडस्टॉक उत्पादक फीडस्टॉक की कीमतें अलग-अलग रखते हैं। इसके अतिरिक्त, आवेदक ने एसओके और केएसए के निर्यातकों की उत्पादन लागत की तुलना अंतर्राष्ट्रीय एथिलीन निर्धारण कीमतों से करने का अनुरोध किया है, जिसका आवेदक ने अगोपनीय रूपांतर में खुलासा नहीं किया है, और दावा किया है कि कच्चे माल की कम लागत पीएमएस में योगदान करती है। केवल एसओके में इनपुट की कम कीमतें पीएमएस के होने का निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं। खाड़ी क्षेत्र, सऊदी अरब और अमेरिका में कम कीमतें प्राकृतिक प्रतिस्पर्धात्मक और क्षेत्रीय लाभों के कारण हैं, जिनमें तेल और गैस संसाधनों तक प्रचुर पहुंच शामिल है, न कि सरकारी हस्तक्षेप के कारण, जैसा कि आवेदक ने आरोप लगाया है।

टट. घरेलू उद्योग आयातित फीडस्टॉक पर निर्भर करता है जिससे भारत में उत्पादन की लागत बढ़ जाती है।

ठठ. अपर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर कच्चे माल की उपलब्धता के मुद्दे की जांच केवल सब्सिडी-रोधी जांच के माध्यम से की जा सकती है, जैसा कि प्राधिकारी ने *अनकोटेड कॉपियर पेपर* (फा.सं. 6/32/2017-डीजीएडी) में माना है। कथित "वित्तीय योगदान" की जांच केवल प्रतिकारी शुल्क जांच में ही की जा सकती है।

डड. प्राधिकारी ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से क्लियर फ्लोट ग्लास में केएसए में पीएमएस के दावों को खारिज कर दिया है। इसके अलावा, कतर, केएसए, सिंगापुर, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका से एलडीपीई में, प्राधिकारी ने निष्कर्ष निकाला था कि इस बात के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद नहीं थे कि क्या पीएमएस ने घरेलू बिक्री और निर्यात कीमत के बीच उचित और निष्पक्ष तुलना को रोका था।

ढढ. जब मामले की पहले ही विस्तृत जांच हो चुकी हो तो विस्तृत पीएमएस प्रश्नावली जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

छ.2 घरेलू उद्योग की ओर से अनुरोध

28. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग की ओर से निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. किसी भी प्रतिभागी निर्यातक ने इस तथ्य से इनकार नहीं किया है कि वे भारत में संबद्ध सामानों का पाटन कर रहे हैं।

ख. एशियाई क्षेत्र और भारत के लिए निर्यातकों द्वारा प्रकाशित मासिक संविदा कीमतें निर्यातकों द्वारा पाटन के स्तर को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। इस संबंध में, आवेदक ने जांच की अवधि के लिए इक्वेट समूह की आधिकारिक वेबसाइट

पर प्रकाशित एशियाई संविदा कीमत पर विश्वास किया है, जो दर्शाता है कि भारतीय संविदा कीमतों और एशियाई संविदा कीमतों के बीच औसत कीमत अंतर कम से कम 300 अमेरिकी डॉलर है।

ग. एसएबीआईसी समूह अन्य एशियाई बाजारों में भारत की तुलना में काफी अधिक कीमतों पर बिक्री करता है, जिसमें एशियाई संविदा कीमतों और भारत को वास्तविक निर्यात कीमत के बीच का अंतर लगभग 300 अमेरिकी डॉलर है। इस प्रयोजन के लिए, आवेदक ने गौण स्रोत (अर्गाम वेबसाइट) पर प्रकाशित नवंबर, 2023 माह के एशियाई संविदा कीमत पर भरोसा किया है।

घ. निर्यातकों का यह दावा कि एशियाई संविदा कीमतें 7-15 वर्षों के दीर्घकालिक अनुबंधों के लिए तय की जाती हैं, भ्रामक है, क्योंकि इस बात का कोई तर्क नहीं है कि ऐसे दीर्घकालिक करारों के लिए मासिक कीमतें क्यों घोषित की जाएंगी। यह दूसरी मौखिक सुनवाई के दौरान एसएबीआईसी समूह के अपने ही बयान का खंडन करता है, जहाँ उसने दावा किया था कि एशियाई संविदा कीमतें 1-2-वर्षीय संविदाओं के लिए हैं। इसके अलावा, एमईग्लोबल (इक्वेट समूह का एक हिस्सा) की वेबसाइट स्पष्ट रूप से बताती है कि एशियाई संविदा कीमतें एशियाई बाजार में अल्पकालिक मांग-आपूर्ति गतिशीलता को दर्शाते हैं।

ड. यह भी स्पष्ट नहीं है कि जब भारतीय संविदा कीमत कुवैत से भारत में एमईजी की वास्तविक आयात कीमत के लगभग बराबर हैं, तो एशियाई संविदा कीमतें एशियाई देशों को निर्यात कीमतों को क्यों नहीं दर्शाएँगे, जब तक कि कुवैत के निर्यातक अन्य एशियाई बाजारों में अपने निर्यात में व्यापार विकृत कार्यकलापों में भी शामिल न हों।

च. कुवैत के निर्यातकों ने निर्मित सामान्य मूल्य के आधार पर पाटन मार्जिन का निर्धारण करने की मांग की है। सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9क(1)(सी) के अनुसार, जहां घरेलू या तीसरे देश की बिक्री उपलब्ध नहीं है, वहां बिक्री की लागत और उचित लाभ का उपयोग करके सामान्य मूल्य का निर्माण किया जाना है। प्राधिकारी को सीएनवी की गणना के लिए उनके द्वारा अर्जित वास्तविक लाभ पर विचार करना चाहिए।

छ. आवेदक ने दोनों संबद्ध देशों के मामले में विशेष बाजार स्थिति के अपने आरोप का समर्थन करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रदान किए हैं।

ज. सऊदी अरब और कुवैत के बाजार, और सामान्य रूप से, खाड़ी सहयोग परिषद क्षेत्र, प्रमुख इनपुट और यूटिलिटियों की कीमत निर्धारण में सरकारी हस्तक्षेप के कारण एक विशेष बाजार स्थिति से प्रभावित हैं। यह हस्तक्षेप प्रमुख कच्चे माल और यूटिलिटियों की लागत को विकृत करता है, और परिणामस्वरूप, उत्पादकों के रिकॉर्ड में दर्शाई गई लागतें संबद्ध सामानों के उत्पादन से जुड़ी लागतों को उचित रूप से नहीं दर्शाती हैं। अत:, पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए ऐसी

लागतों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से व्यापार परीक्षण की सामान्य प्रक्रिया करने के लिए। इस संबंध में, आवेदक पाटनरोधी संबंधी डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 पर भरोसा करता है, जो दर्ज की गई लागतों से विचलन की अनुमति देता है जहां वे विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री से जुड़ी लागतों को उचित रूप से नहीं दर्शाती।

झ. यदि अनुच्छेद 2.2.1.1 के तहत निर्धारित शर्तें पूरी होती हैं, तो प्राधिकारी निर्यातकों द्वारा बताई गई उत्पादन लागत को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है, बशर्ते कि उसे ऐसी लागतों की उपेक्षा करने का कोई ठोस कारण मिले।

ञ. आवेदक का कहना है कि एक बार किसी विशेष बाजार स्थिति के आरोप का समर्थन करने के लिए *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य प्रदान कर दिए जाने के बाद, एसओके के मामले में, यह साबित करने का भार संबंधित देश के निर्यातकों पर है कि विशेष बाजार स्थिति मौजूद नहीं है।

ट. सऊदी अरब सरकार, गैस आपूर्ति एवं कीमत निर्धारण विनियमन कानून और इसके कार्यान्वयन विनियमन के माध्यम से, कुछ हाइड्रोकार्बन की कीमत निर्धारण को नियंत्रित करती है जिनका उपयोग संबद्ध सामानों के उत्पादन में इनपुट या यूटिलिटियों के रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त, एक एक कीमत समतुल्यन व्यवस्था लागू है जिसके तहत सरकार सऊदी अरामको को इन विनियमित गैस उत्पादों को निचले स्तर के प्रयोक्ताओं को बेचने में हुए नुकसान की भरपाई करती है। इस व्यवस्था को सऊदी अरब सरकार ने अपनी व्यापार नीति समीक्षा में स्वीकार किया है।

ठ. दोहरी कीमत निर्धारण व्यवस्था के तहत, सऊदी अरब सरकार के अधीन ऊर्जा मंत्रालय, अरामको को विनियमित घरेलू कीमतों पर निचले स्तर के उत्पादकों को विनियमित गैस उत्पादों की आपूर्ति करने का आदेश देती है। सऊदी अरब सरकार इन विनियमित दरों पर इनपुट बेचने से हुए किसी भी नुकसान की भरपाई अरामको को करती है।

ड. एसएबीआईसी समूह का यह तर्क कि इनपुट और फीडस्टॉक मूल्य विनियमन से संबंधित "साधारण सरकारी उपाय" पीएमएस का गठन नहीं कर सकते, पूरी तरह से गलत है। इस संबंध में- ए 4 कॉपी पेपर में पैनल के निर्णय पर भरोसा किया गया है। तदनुसार, साधारण सरकारी उपाय भी एक विशेष बाजार स्थिति को बढ़ा सकते हैं यदि वे बाजार विकृतियों का कारण बनते हैं।

ढ. पिछली जांच में भी, प्राधिकारी ने स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकाला था कि विनियमित गैस उत्पादों के कीमत विनियमन से सऊदी अरब में विशेष बाजार स्थिति उत्पन्न होती है।

ण. कुवैत में भी इसी तरह की विकृतियाँ मौजूद होने की संभावना है, हालाँकि सीमित पारदर्शिता के कारण, विकृति का प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त नहीं किया जा

सका। बाजार की खुफिया सूचना के आधार पर, कुवैत सरकार ने एक शाही डिक्री जारी की है, जिसमें इक्वेट समूह के दो निर्यातकों को सरकारी आपूर्तिकर्ता से काफी कम दरों पर प्रमुख फीडस्टॉक खरीदने की अनुमति दी गई है।

त. एमईजी की बिक्री पर इक्वेट समूह द्वारा अर्जित लाभ सऊदी अरब के निर्यातकों से भी अधिक है। एमईजी उत्पादन की कुल लागत में एथिलीन की पर्याप्त हिस्सेदारी को देखते हुए, आवेदक का मानना है कि कुवैत के निर्यातकों को कच्चे माल और यूटिलिटी लागतों से लाभ होता है जो सऊदी अरब के निर्यातकों की पहले से ही विकृत लागतों से भी कम हैं।

थ. इक्वेट ग्रुप के इस दावे के उत्तर में कि कम इनपुट लागतें तब तक एक विशेष बाजार स्थिति नहीं बना सकतीं जब तक कि वे सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बीच उचित तुलना को बाधित न करें, आवेदक का अनुरोध है कि एक विशेष बाजार स्थिति की मौजूदगी और कीमत तुलनीयता पर इसका प्रभाव दो अलग-अलग कानूनी परीक्षण हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया - ए4 कॉपी पेपर में पैनल द्वारा स्पष्ट किया गया है।

द. यदि निचले स्तर की कंपनियों को प्राकृतिक गैस या इनपुट आपूर्तिकर्ता वास्तव में विनियमित घरेलू कीमतों पर बिक्री करते हुए पूर्ण लागत वसूली के आधार पर काम कर रहे थे, तो सऊदी अरब सरकार को उन्हें मुआवजा देने की कोई आवश्यकता नहीं होती।

ध. यह तथ्य कि एक विशेष बाजार स्थिति की ओर ले जाने वाला एक सरकारी उपाय सब्सिडी के रूप में भी पात्र हो सकता है, प्राधिकारी को निर्यातक देश में संबद्ध सामानों की लागत और कीमतों पर इसके प्रभाव की जांच करने से नहीं रोकता है। इस संबंध में *ऑस्ट्रेलिया - ए4 कॉपी पेपर* मामले में पैनल के फैसले पर विश्वास किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी विशेष बाजार स्थिति का निष्कर्ष किसी सब्सिडी के खिलाफ कोई विशिष्ट कार्रवाई नहीं है।

न. ऑस्ट्रेलिया ए4-कॉपी पेपर पैनल ने बहुत स्पष्ट रूप से पाया कि "बाज़ार की स्थिति विशिष्ट, व्यक्तिगत, एकल, विशिष्ट होनी चाहिए, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि वह असामान्य या असाधारण हो - अर्थात अपवादात्मक" तर्क यह है कि ऐसी स्थिति में सामान्य सरकारी उपायों को भी रोका नहीं जा सकता जहाँ ऐसे उपाय किसी विशेष बाज़ार स्थिति को जन्म देते हों।

प. प्राधिकारी ने पिछली जाँच में सऊदी अरब में विशेष बाज़ार स्थिति की मौजूदगी की स्पष्ट रूप से पुष्टि की थी।

फ. जब पीएमएस सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत दोनों को प्रभावित करता है, तब भी यह कीमत तुलनीयता पर इसके प्रभाव को नकारता नहीं है। *ऑस्ट्रेलिया - ए4 कॉपी पेपर* में पैनल ने जाँच अधिकारियों को केवल इसलिए गैर-

तुलनीयता पर निष्कर्ष देने से नहीं रोका क्योंकि घरेलू और निर्यात दोनों उत्पादन में समान इनपुट का उपयोग किया जाता है। पैनल ने स्पष्ट रूप से पाया कि जब घरेलू और निर्यात दोनों बाज़ारों के लिए सामानों के उत्पादन में विकृत इनपुट का उपयोग किया जाता है, तब भी निर्यातक मौजूदा बाज़ार स्थितियों के आधार पर, बाज़ारों में ऐसी विकृत लागतों का अलग-अलग लाभ उठा सकते हैं।

ब. यूरोपीय आयोग ने पहले ही 2021 में एसएबीआईसी समूह और एमईजीलोबल अमेरिकास इंक., जो कि इक्वेट समूह का एक संबंधित पक्षकार है, द्वारा निर्यातित एमईजी पर क्रमशः 7.7% और 46.7% पाटनरोधी शुल्क लगाया है, जो यह भी दर्शाता है कि संबद्ध देशों के निर्यातक अनुचित व्यापार परिपाटियों को अपनाते हैं और तीसरे देश के बाजारों में भी पाटित कीमतों पर बिक्री कर रहे हैं।

भ. पिछली जांच में, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालने से पहले लागत, कीमत निर्धारण और लाभप्रदता का आकलन करने में विफल रहे कि विशेष बाजार स्थिति की मौजूदगी ने कीमत तुलनीयता को प्रभावित नहीं किया।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

29. धारा 9क(1)(ग) के तहत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रकिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगाः-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

(ख) बशर्ते यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

30. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के साथ-साथ उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधियों को प्रश्नावली भेजी, जिसमें उन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप और तरीके से सूचना देने की सलाह दी गई।

31. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने केएसए और एसओके में निर्यात विशेष बाजार स्थिति की मौजूदगी का दावा किया है। केएसए के संबंध में, घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि केएसए सरकार कीमत समतुल्यन व्यवस्था के माध्यम से विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में प्रयुक्त विनियमित गैस उत्पादों के लिए दोहरी कीमत निर्धारण पद्धति संचालित करती है, जिसके अंतर्गत वह निचले स्तर के उद्योग को ऐसे इनपुट (ईथेन, प्रोपेन आदि) की आपूर्ति के लिए कीमत निर्धारित करती है। घरेलू उद्योग ने यह दावा करने के लिए सऊदी अरब की व्यापार नीति समीक्षा और सऊदी अरामको की वार्षिक रिपोर्ट के उद्धरण दिए हैं। इसके अतिरिक्त, एसओके के संबंध में, घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि एसओके के एकीकृत जीसीसी बाजार का हिस्सा होने के कारण, जिसमें विकृत कीमतें मौजूद हैं, एसओके में फीडस्टॉक की कीमतें भी विकृत हैं।

32. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने पीएमएस की मौजूदगी के संबंध में घरेलू उद्योग के दावे पर विवाद किया है। एसएबीआईसी समूह ने दावा किया है कि केएसए में कोई कीमत समतुल्यन व्यवस्था नहीं है और घरेलू उद्योग द्वारा कथित विकृत कीमत निर्धारण उपाय केएसए सरकार द्वारा सामान्य कीमत विनियमन हैं, जैसा कि विश्व- भर में सरकारों द्वारा किया जाता है।

33. केएसए के संबंध में, रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर, विशेष रूप से सऊदी अरामको की वार्षिक रिपोर्ट, और कुवैत, सऊदी अरब और अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित मोनोएथिलीन ग्लाइकॉल के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच में प्राधिकारी के पिछले जांच परिणामों के आधार पर, प्राधिकारी को केएएए में पीएमएस की मौजूदगी के संबंध में अपने पिछले निष्कर्ष से विचलित होने का कोई कारण नहीं मिलता है। तथापि, प्राधिकारी को रिकॉर्ड में यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य भी नहीं मिले हैं कि ऐसी विकृति निर्यात कीमत और घरेलू कीमत के बीच तुलनीयता को प्रभावित करती

हैं। तदनुसार, प्राधिकारी ने केएसए के उत्पादकों की उत्पादन लागत में पीएमएस के आरोप के आधार पर कोई समायोजन नहीं किया है।

34. इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी को जांच अवधि के दौरान एसओके में पीएमएस के की मौजूदगी के संबंध में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिला। तदनुसार, एसओके के उत्पादकों के मामले में पीएमएस के कारण कोई समायोजन नहीं किया गया है।

35. संबद्ध देशों के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत नीचे दिए अनुसार निर्धारित की गई है।

छ.3.1 सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

क) एसओके के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

इक्वेट समूह के लिए सामान्य मूल्य

(ख) इक्वेट पेट्रोकेमिकल कंपनी ("इक्वेट")

36. उत्पादक ने जांच की अवधि में *** एमटी की घरेलू बिक्री की सूचना दी है, जिसका मूल्य *** अमेरिकी डॉलर है, जो उसके असंबद्ध पक्षकारों को किया गया है। उत्पादक ने अंतर्देशीय परिवहन और ऋण लागत के निमित्त के समायोजनों का दावा किया है। यह नोट किया जाता है कि घरेलू बिक्री, इक्वेट द्वारा भारत को की गई कुल निर्यात बिक्री मात्रा के 5% से कम है और तदनुसार, इक्वेट द्वारा की गई घरेलू बिक्री पर्याप्तता परीक्षण के लिए योग्य नहीं है। तदनुसार, प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु ऐसी बिक्री पर विचार नहीं किया है।

37. अपने प्रश्नावली के उत्तर में, इक्वेट ने उत्पादन लागत, उचित बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय और लाभ के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है। तदनुसार, प्राधिकारी ने मूल देश में संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य की गणना की है, जिसमें बिक्री और प्रशासनिक व्ययों को उचित रूप से जोड़ा गया है और लाभ मार्जिन भी जोड़ा गया है। इस प्रकार, निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में प्रस्तावित किया गया है।

(ग) दि कुवैत ओलेफिन्स कंपनी ("टीकेओसी")

38. उत्पादक ने जांच की अवधि में *** एमटी की घरेलू बिक्री की सूचना दी है जिसका मूल्य *** अमेरिकी डॉलर है। तथापि, टीकेओसी की सभी घरेलू बिक्री उसके संबद्ध पक्षकार, इक्वेट को की गई है, जिसने संबद्ध सामानों का निर्यात किया है और इसीलिए, एसओके के घरेलू बाजार में उनकी खपत नहीं हुई है। तदनुसार, प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य की गणना के लिए टीकेओसी की घरेलू बिक्री पर विचार नहीं किया है।

39. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि टीकेओसी ने अपने प्रश्नावली के उत्तर में निर्मित सामान्य मूल्य अर्थात उत्पादन लागत तथा उचित बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय और लाभ के आधार पर पाटन मार्जिन की गणना का दावा किया है। तदनुसार, प्राधिकारी ने मूल देश में संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्मित किया है, जिसमें बिक्री और प्रशासनिक व्यय और लाभ को उचित रूप से जोड़ा गया है। इस प्रकार निर्धारित कारखानागत, सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में प्रस्तावित किया गया है।

असहयोगी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य

40. एसओके से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य, पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में प्रस्तावित है।

ख) एसओके के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

इक्वेट समूह के लिए निर्यात कीमत

(घ) इक्वेट

41. उत्पादक ने जांच की अवधि के दौरान भारत को *** एमटी संबद्ध सामानों का निर्यात किया है, जिसका मूल्य *** अमेरिकी डॉलर है। इक्वेट ने प्रत्यक्ष निर्यात के साथ-साथ असंबद्ध व्यापारियों के माध्यम से भी निर्यात किया है। मित्सुबिशी कारपोरेशन को छोड़कर, किसी अन्य असंबद्ध व्यापारी ने वर्तमान जाँच में भाग नहीं लिया है। इक्वेट ने शिपिंग पोत-परिवहन लागत, बैंक शुल्क और एलसी डिस्काउंटिंग प्रभारों के लिए समायोजन का दावा किया है। इक्वेट समूह ने इक्वेट समूह के अलावा अन्य उत्पादकों द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों को भी बेचा है। ऐसे लेनदेन को इक्वेट समूह के लिए पाटन मार्जिन या क्षति मार्जिन की गणना के लिए नहीं माना गया है, और ऐसे अन्य उत्पादकों के लिए विचार किया गया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में प्रस्तावित है।

(ड.) टीकेओसी

42. टीकेओसी ने जांच अवधि के दौरान भारत को *** एमटी संबद्ध सामानों का निर्यात किया है, जिसका मूल्य *** अमेरिकी डॉलर है। टीकेओसी ने भारत को कोई प्रत्यक्ष बिक्री नहीं की है, और इसकी सभी बिक्री या तो इसके संबद्ध व्यापारी इक्वेट या असंबद्ध व्यापारियों के माध्यम से की गई है। मित्सुबिशी कारपोरेशन को छोड़कर, किसी अन्य असंबद्ध व्यापारी ने वर्तमान जाँच में भाग नहीं लिया है। तथापि, टीकेओसी द्वारा भारत

को निर्यात की गई कुल मात्रा के संदर्भ में ऐसे लेनदेन नगण्य हैं। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में प्रस्तावित है।

असहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए निर्यात कीमत

43. एसओके के असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत, पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में प्रस्तावित है।

ख) केएसए के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

एसएबीआईसी समूह के लिए सामान्य मूल्य

44. एसएबीआईसी समूह के निम्नलिखित उत्पादकों ने वर्तमान जाँच में भाग लिया है:

(i) अरेबियन पेट्रोकेमिकल कंपनी (पेट्रोकेमिया),
(ii) ईस्टर्न पेट्रोकेमिकल कंपनी (शार्क);
(iii) जुबैल यूनाइटेड पेट्रोकेमिकल कंपनी (यूनाइटेड),
(iv) सऊदी कायन पेट्रोकेमिकल कंपनी (सऊदी कायन),
(v) सऊदी यानबू पेट्रोकेमिकल कंपनी (यानपेट);
(vi) यानबू नेशनल पेट्रोकेमिकल कंपनी (यानसब);
(vii) रबीग रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल कंपनी (रबीग)।

45. प्राधिकारी ने नोट किया है कि जांच की अवधि के दौरान, केवल शार्क और यानपेट ने सऊदी अरब के घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद की बिक्री की है। घरेलू बाजार में सभी बिक्री संबद्ध व्यापारी, एसएबीआईसी को की गई, जिसने संबद्ध सामानों को असंबद्ध घरेलू ग्राहकों को बेचा है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पेट्रोकेमिया, यूनाइटेड, सऊदी कायन और यानसब द्वारा विचाराधीन उत्पाद की कोई घरेलू बिक्री नहीं की गई है।

(क) शार्क के लिए सामान्य मूल्य

46. शार्क ने अपने घरेलू बाजार में *** एमटी की घरेलू बिक्री की सूचना दी है, जिसका मूल्य *** अमेरिकी डॉलर है। सभी घरेलू बिक्री उसके संबद्ध व्यापारी एसएबीआईसी के माध्यम से की गई थी। शार्क की घरेलू बिक्री भारत को उसके निर्यात बिक्री मात्रा के 5% से अधिक है और इसलिए, उनका मानना है कि शार्क मात्रा में पर्याप्त है। प्राधिकारी ने लाभदायक लेनदेन की जांच के लिए व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण भी किया। जांच करने पर, यह पाया गया कि ***% से अधिक बिक्री उत्पादन लागत से कम पर की गई थी। तदनुसार, सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए, प्राधिकारी ने केवल लाभप्रद बिक्री पर ही विचार किया है। शार्क ने संभारिकी के लिए समायोजन का दावा किया है और डेस्क सत्यापन के बाद उसे स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में प्रस्तावित किया गया है।

(ख) पेट्रोकेमिया, सऊदी कायन, यूनाइटेड के लिए सामान्य मूल्य

47. पेट्रोकेमिया, सऊदी कायन और यूनाइटेड ने जांच अवधि में संबद्ध सामानों की घरेलू बिक्री नहीं की है। उपर्युक्त उत्पादकों ने तीसरे देश के निर्यात प्रस्तुत किए हैं। तथापि, इस तथ्य को देखते हुए कि एसएबीआईसी समूह अन्य क्षेत्राधिकारों में पाटन करता पाया गया है, प्राधिकारी तीसरे देश के निर्यात के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करना उचित नहीं समझते हैं। तदनुसार, प्राधिकारी ने बिक्री और प्रशासनिक व्ययों और लाभों को उचित रूप से जोड़कर मूल देश में संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्मित किया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में प्रस्तावित किया गया है।

(ग) यांसाब, यानपेट और रबीग के लिए सामान्य मूल्य

48. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि यानसब, यानपेट और पीआरसी ने भी वर्तमान जाँच में भाग लिया है। तथापि, इनमें से किसी ने भी जाँच अवधि में भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात नहीं किया है। तदनुसार, प्राधिकारी ने उनके लिए सामान्य मूल्य/निर्यात कीमत निर्धारित नहीं की है। हालाँकि, चूँकि ये उत्पादक एक ही समूह का हिस्सा हैं, इसलिए एसएबीआईसी समूह के लिए निर्धारित शुल्क मार्जिन इन निर्यातकों पर लागू होगा।

(घ) असहयोगी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य

49. केएसए के असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य, पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में प्रस्तावित है।

सऊदी अरब के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

एसएबीआईसी समूह के लिए निर्यात कीमत

(क) शार्क के लिए निर्यात कीमत

50. शार्क ने जाँच की अवधि के दौरान भारत को *** एमटी संबद्ध सामानों का निर्यात किया है, जिनका मूल्य *** अमेरिकी डॉलर है। शार्क ने अपने संबद्ध व्यापारियों, एसएबीआईसी और एसपीडीसी के माध्यम से बिक्री की है। एसएबीआईसी ने अपनी संबद्ध कंपनी एसएपीपीएल के माध्यम से भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। एसपीडीसी ने अपने संबद्ध व्यापारी मित्सुबिशी कारपोरेशन के माध्यम से भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। शार्क और उसके संबद्ध व्यापारियों ने समुद्री माल ढुलाई, बीमा, अंतर्देशीय माल ढुलाई, बंदरगाह और अन्य संबंधित व्यय, ऋण लागत, आउटसोर्सिंग शुल्क, बैंक प्रभार और कमीशन के लिए समायोजन का दावा किया है, जिसे डेस्क सत्यापन के बाद स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में प्रस्तावित की गई है।

(ख) पेट्रोकेमिया के लिए निर्यात कीमत

51. पेट्रोकेमिया ने जांच अवधि के दौरान भारत को *** एमटी संबद्ध सामानों का निर्यात किया है, जिसका मूल्य *** अमेरिकी डॉलर है। पेट्रोकेमिया ने अपने संबद्ध व्यापारी, एसएबीआईसी और एसएपीपीएल के माध्यम से बिक्री की है। पेट्रोकेमिया और उसके व्यापारियों ने समुद्री माल ढुलाई, बीमा, अंतर्देशीय माल ढुलाई, बंदरगाह और अन्य संबंधित व्यय, ऋण लागत, आउटसोर्सिंग शुल्क, बैंक प्रभार और कमीशन के लिए समायोजन का दावा किया है, जिसे डेस्क सत्यापन के बाद स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में प्रस्तावित की गई है।

(ग) सऊदी कायान के लिए निर्यात कीमत

52. सऊदी कायन ने जांच अवधि के दौरान भारत को *** एमटी संबद्ध सामानों का निर्यात किया है, जिसका मूल्य *** अमेरिकी डॉलर है। सऊदी कायन ने अपने संबद्ध व्यापारी, एसएबीआईसी और एसएपीपीएल के माध्यम से बिक्री की है। सऊदी कायन और उसके व्यापारियों ने समुद्री माल ढुलाई, बीमा, अंतर्देशीय माल ढुलाई, बंदरगाह और अन्य संबंधित व्यय, ऋण लागत, आउटसोर्सिंग शुल्क, बैंक प्रभार और कमीशन के लिए समायोजन का दावा किया है, जिसे डेस्क सत्यापन के बाद स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में प्रस्तावित की गई है।

(घ) यूनाइटेड के लिए निर्यात कीमत

53. यूनाइटेड ने जांच अवधि के दौरान भारत को *** मीट्रिक टन संबद्ध सामानों का निर्यात किया है, जिसका मूल्य *** अमेरिकी डॉलर है। यूनाइटेड ने अपने संबद्ध व्यापारी, एसएबीआईसी और एसएपीपीएल के माध्यम से बिक्री की है। यूनाइटेड और उसके व्यापारियों ने समुद्री माल ढुलाई, बीमा, अंतर्देशीय माल ढुलाई और अन्य संबंधित व्यय, ऋण लागत, आउटसोर्सिंग शुल्क, बैंक प्रभार और कमीशन के लिए समायोजन का दावा किया है, जिसे डेस्क सत्यापन के बाद स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में प्रस्तावित की गई है।

असहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए निर्यात कीमत

54. केएसए से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत, पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में प्रस्तावित है।

आरओएस से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

असहयोगी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य।

55. आरओएस से संबद्ध सामानों के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जाँच में भाग नहीं लिया है।

56. तदनुसार, आरओएस से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य, पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

असहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए निर्यात कीमत

57. आरओएस असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत, पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

छ.3.2 पाटन मार्जिन

58. प्राधिकारी नोट करते हैं कि एसओके और केएसए दोनों के मामले में, प्रतिभागी निर्यातक एक-दूसरे से संबद्ध हैं और एक समूह हैं। तदनुसार, प्राधिकारी ने समूह के लिए भारित औसत पाटन मार्जिन निर्धारित किया है। वर्तमान जाँच में निर्धारित सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन निम्नानुसार हैं:

पाटन मार्जिन तालिका

उत्पादक	सामान्य मूल्य (यूएसडॉ./एमटी)	निवल निर्यात कीमत (यूएसडॉ./एमटी)	पाटन मार्जिन (यूएसडॉ./एमटी)	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन रेंज (%)
एसओके					
इक्वेट पेट्रोकेमिकल कंपनी	***	***	***	***	40-50%
कुवैत ओलेफिन्स कंपनी ("टीकेओसी")	***	***	***	***	0-10%
इक्वेट समूह भारित औसत	***	***	***	***	20-30%
अन्य	***	***	***	***	40-50%
केएसए					
अरेबियन पेट्रोकेमिकल कंपनी	***	***	***	***	40-50%

ईस्टर्न पेट्रोकेमिकल कंपनी	***	***	***	***	0-10%
जुबैल यूनाइटेड पेट्रोकेमिकल कंपनी	***	***	***	***	30-40%
सऊदी कायान पेट्रोकेमिकल कंपनी	***	***	***	***	30-40%
एसएबीआईसी समूह भारित औसत	***	***	***	***	20-30%
अन्य	***	***	***	***	40-50%
आरओएस					
अन्य	***	***	***	***	40-50%

ज. क्षति और कारणात्मक संपर्क का मूल्यांकन

ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

59. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. प्राधिकारी को उचित क्षति आकलन के लिए आईजीएल के आंकड़ों की जांच करनी चाहिए क्योंकि अधिनियम की धारा 9ख के अनुसार क्षति का आकलन भारत में 'स्थापित उद्योग' के लिए किया जाना होता है, न कि केवल आवेदक के लिए।

ख. प्राधिकारी ने प्लेन मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड (एमडीएफ) जैसी पिछली जांचों में अन्य घरेलू उत्पादकों से सूचना मांगी है। आईओसीएल और आईजीएल द्वारा गैर-प्रतिभागिता न होने के कारण, प्राधिकारी को इन दोनों उत्पादकों की गैर-प्रतिभागिता से निष्कर्ष निकालने चाहिए।

ग. आवेदक के सभी क्षति मानदंड आधार वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में सुधार दर्शाते हैं। डीजीटीआर के पिछले जांच परिणामों के अनुसार, घरेलू उद्योग को दिसंबर 2020 तक कोई क्षति नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त, अनंतिम जांच परिणामों की सिफारिश न करना यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग की स्थिति कमोबेश एक जैसी ही रही है।

घ. उत्तरदाता निर्यातकों के अनुसार, पाटन मार्जिन नकारात्मक है और तदनुसार, भले ही मानदंड क्षति के मामले का समर्थन करते हों, किसी शुल्क की सिफारिश नहीं की जा सकती।

ड. प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी शुल्क न लगाने का निर्णय और पिछले आवेदन-पत्र को वापस लेना इस बात का प्रमाण है कि घरेलू उद्योग का मामला तुच्छ था। पिछले आवेदन-पत्र को वापस लेने के बाद आरआईएल यूएसए इंक से आयात में वृद्धि हुई,

जो आंकड़ों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करने और वर्तमान आवेदन-पत्र को उचित ठहराने के लिए क्षति का भ्रम पैदा करने का एक प्रयास है।

च. 2020-21 से लगातार क्षति के संबंध में आवेदक का दावा कानूनी रूप से असमर्थनीय है क्योंकि प्राधिकारी ने कोई वास्तविक क्षति न होने के आधार पर जांच समाप्त कर दी।

छ. भारत की उत्पादन क्षमता 27 लाख नहीं है, और आवेदकों को भारतीय उद्योग के वास्तविक उत्पादन और क्षमता के संबंध में सख्त प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी को समग्र उपलब्ध क्षमता की गणना करते समय आरआईएल के सामने आई बंदी की स्थिति को अलग करना चाहिए।

ज. यह स्पष्ट नहीं है कि 27 लाख एमटी की घरेलू क्षमता की रिपोर्ट करते समय आरआईएल की कैप्टिव खपत पर विचार किया गया है या नहीं। यदि ऐसी कैप्टिव खपत को शामिल किया गया है, तो यह विचाराधीन उत्पाद के लिए अधिक क्षमता का बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया दृष्टिकोण है।

झ. ईरान को वर्तमान जांच के क्षेत्र से बाहर रखा गया है, भले ही ईरान से आयात कुल आयातों के 3% से अधिक थे (जैसा कि आवेदकों द्वारा दावा किया गया है) और तदनुसार, ईरान को वर्तमान जांच में शामिल किया जाना चाहिए था।

ञ. प्राधिकारी को एक्सोटिक डेकोर प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, पाटनरोधी शुल्क एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय के मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार लेनदेन-वार आयात आंकड़ों की एक्सेल कॉपी विश्लेषण और टिप्पणियों के लिए साझा करनी चाहिए ताकि हितबद्ध पक्षकार प्राधिकारी को सही निष्कर्ष पर पहुंचने में सहायता कर सकें। आयात आंकड़े पक्षकार विशिष्ट नहीं है, तद्नुसार इसे गोपनीय होने का दावा नहीं किया जा सकता।

ट. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II के पैरा (ii) में "महत्वपूर्ण" शब्द यह दर्शाता है कि प्राधिकारी को यह आकलन करना चाहिए कि क्या पाटित आयातों की मात्रा में निरपेक्ष रूप से या भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में कोई उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

ठ. वर्तमान जांच में कोई प्रतिकूल मात्रात्क प्रभाव नहीं है। 2022-23 और आधार वर्ष की तुलना में निरपेक्ष रूप से आयात की मात्रा में गिरावट आई है। आवेदक के इस दावे के विरोध में कि उक्त गिरावट क्यूसीओ लागू होने के कारण है, आयात की मात्रा में गिरावट घरेलू क्षमता और उत्पादन में वृद्धि के कारण है।

ड. आयात के मात्रात्क प्रभाव के संबंध में आवेदक के दावे असंगत हैं और कथित क्षति के साथ कोई कारणात्मक संपर्क सिद्ध करने में विफल हैं। आवेदक ने स्वीकार किया है कि वित्त वर्ष 2022-23 तक, भारतीय बाजार में मांग-आपूर्ति के अंतर के कारण आयात आवश्यक था। फरवरी 2022 में आईओसीएल नई क्षमता

चालू होने के साथ, घरेलू क्षमता की कुल मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो गई।

ढ. यह घटनाक्रम इस बात की पुष्टि करता है कि पहले के आयात आपूर्ति की बाधाओं से प्रेरित थे, न कि आयातों की क्षतिकारक कीमत प्रभाव के कारण। उल्लेखनीय रूप से, जांच की अवधि के दौरान आयात में गिरावट आई, जो आईओसीएल के विस्तार के साथ मेल खाती है, जो भारतीय खरीदारों द्वारा घरेलू आपूर्तिकर्ताओं की ओर स्वाभाविक परिवर्तन दर्शाती है। यदि कुवैत से आयात घरेलू उत्पादन का विस्थापन कर रहा होता, तो इस क्षमता विस्तार का आयात प्रवृत्तियों पर बहुत कम या कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

ण. जांच की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों के आयात की मात्रा में गिरावट स्पष्ट रूप से घरेलू सोर्सिंग की ओर परिवर्तन का संकेत देती है। इस प्रकार, जांच की अवधि के दौरान आयात की मात्रा में गिरावट यह दर्शाती है कि आयातों ने घरेलू उद्योग पर निरंतर मात्रा संबंधी दबाव नहीं डाला है।

त. कुल मांग में वृद्धि के बावजूद आयात में गिरावट आई है, जो दर्शाता है कि क्षति को संबद्ध देशों द्वारा एमईजी के आयातों के कारण नहीं माना जा सकता।

थ. घरेलू उद्योग ने स्वीकार किया है कि उसने अपने निचले स्तर के मूल्यवर्धित उत्पादों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संबद्ध सामानों का पर्याप्त मात्रा में आयात किया है। यदि मौजूदा क्षमताएं भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं, तो यह स्पष्ट नहीं है कि वह अन्य घरेलू उत्पादकों से इसे क्यों नहीं खरीद सका।

द. यह दर्शाने की आवश्यकता है कि कीमत कटौती काफी है या आयात की कीमतों का घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों पर ह्रासमान या न्यूनीकरण प्रभाव पड़ा है।

ध. घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत आधार वर्ष से ऊपर की ओर बढ़ी है, जो दर्शाती है कि घरेलू बिक्री कीमतों में कमी नहीं आई। जबकि बिक्री लागत में उतार-चढ़ाव आया है, बिक्री कीमत में गति बनी रही है और इसलिए, संबद्ध आयातों से जुड़ी कीमतों में कोई स्पष्ट न्यूनीकरण अथवा ह्रास नहीं है।

न. संबद्ध सामानों की पहुंच कीमत और बिक्री कीमत के बीच कोई सह-संबंध नहीं है। क्षति विश्लेषण अवधि के दौरान कीमत कटौती समान रही है और घरेलू उद्योग का पहुँच कीमत और बिक्री कीमत एक साथ बढ़ी हैं।

प. घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत आयात पर आधारित नहीं है, बल्कि यह सीएफआर चीनी कीमत पर आधारित है। इस प्रकार, भारत में आयात कीमतों की कोई भूमिका नहीं है और इसीलिए, संबद्ध देशों से आयातित एमईजी का घरेलू उद्योग पर कोई कीमत प्रभाव नहीं हो सकता है।

फ. प्राधिकारी को यह निर्धारित करना होगा कि आवेदकों द्वारा प्रदान की गई बिक्री कीमत के संबंध में सूचना गैर-कैप्टिव बिक्री के संबंध में है या कैप्टिव और गैर-कैप्टिव दोनों बिक्री के लिए है, ऐसी स्थिति में, घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई कीमत कटौती सही प्रतिनिधिकारक नहीं होगी।

ब. कोई कीमत कटौती नहीं हुई है, या यह केवल मामूली है।

भ. आवेदक द्वारा प्रदान की गई कीमत कटौती की गणना गलत है। आवेदक की व्युत्पन्न बिक्री कीमत जांच की अवधि के दौरान 40,886 रुपये प्रति एमटी है, जिसके आधार पर कीमत कटौती नकारात्मक है। इस प्रकार, आवेदक का सकारात्मक और काफी कटौती से संबंधित दावा झूठा और भ्रामक है।

म. इसके अलावा, चीन - एक्स-रे उपकरण के मामले में, जहां कीमत कटौती नकारात्मक आती है, घरेलू उद्योग या प्राधिकारी के लिए यह स्पष्ट करना अनिवार्य है कि घरेलू उद्योग अपनी कीमतें क्यों नहीं बढ़ा सका और आयातों और कथित क्षति के बीच क्या कारणात्मकता है।

य. संबद्ध सामानों की कीमतें जांच की अवधि के दौरान वैश्विक स्तर पर गिरीं, जिसमें गैर-संबद्ध देशों से निर्यात भी शामिल है और यह पाटन के कारण नहीं बल्कि चीन में कीमतों में गिरावट के कारण है, जो भारतीय बाजार के लिए निर्यातकों द्वारा अपनाया जाने वाला मानक है।

कक. घरेलू उद्योग ने यह नहीं दर्शाया है कि क्षमता उपयोग का वर्तमान स्तर, उच्च होने के बावजूद, संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात के कारण अपर्याप्त है।

खख. घरेलू उद्योग की बिक्री आधार वर्ष की तुलना में बढ़ी है। कैप्टिव खपत में 15 सूचकांक की कमी के बावजूद, कुल बिक्री मात्रा में केवल 14 सूचकांक की गिरावट आई है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पिछले वर्षों की तुलना में जांच की अवधि के दौरान बिक्री में गिरावट कैप्टिव खपत में कमी और निर्यात बिक्री में कमी के कारण हुई थी।

गग. घरेलू उद्योग ने आयात किया है, जबकि उसके पास मालसूची थी और उसकी क्षमता उपयोग कम रही, जिससे यह आवश्यक निष्कर्ष निकलता है कि उसने वास्तविक कार्यशील क्षमता से अधिक क्षमता का अनुमान लगाया है।

घघ. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि उसने मालसूची बढ़ने से बचने के लिए उत्पादन कम करने का वाणिज्यिक निर्णय लिया है। तथापि, साथ ही, वह यह भी दावा कर रहा है कि अर्थक्षम बने रहने के लिए उसे क्षमता उपयोग 80-90% की रेंज में बनाए रखना होगा। ये अनुरोध परस्पर विरोधाभासी हैं।

ङङ. संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में जांच की अवधि में घटा है और वास्तव में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में जांच की अवधि के दौरान सुधार हुआ है।

चच. अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री क्षति अवधि के दौरान दोगुनी हो गई है।

छछ. बाजार हिस्से में कमी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा क्षमता विस्तार के कारण हुई। 2020-21 और 2021-22 के बीच आयातों की बाजार हिस्सेदारी में कोई भी वृद्धि मांग-आपूर्ति के अंतर के कारण हुई और जब घरेलू उत्पादकों ने अपनी क्षमता बढ़ाई तो आयातों ने अपना बाजार हिस्सा खो दिया।

जज. घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्य और बिक्री कीमत में आधार वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है।

झझ. घरेलू उद्योग और आयात की कीमतों के बीच कोई संबंध नहीं है। जबकि कुवैत से संबद्ध आयातों की कीमतें 2020-21 में 100 सूचकांक से बढ़कर 2021-22 में 142 हो गईं, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता खराब हो गई। यदि आयात कीमत ह्रास और क्षति के लिए जिम्मेदार थे, तो आयात कीमतों में वृद्धि के साथ लाभप्रदता में वृद्धि होनी चाहिए थी। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता जांच की अवधि में बेहतर हुई है, जब कुवैत से कीमतें गिर गईं और संबद्ध सामानों को कथित तौर पर 60-70% तक के उच्च मार्जिन पर पाटित किया जा रहा था, जो सहसंबंध ना होने की पुष्टि करता है।

ञञ. लाभप्रदता मापदंडों में परिवर्तन घरेलू उद्योग की बिक्री की बढ़ी हुई लागत के कारण है। बढ़ती लागत संरचना घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में लगातार गिरावट के साथ मेल खाती है जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आयात कीमतों में उतार-चढ़ाव के बजाय बिक्री लागत लाभप्रदता को प्रभावित करने वाला प्राथमिक कारक है।

टट. घरेलू उद्योग अपने ईथेन का आयात अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी आरआईएल यूएसए इंक से करता है। जिस कीमत पर घरेलू उद्योग आरआईएल यूएसए इंक से ईथेन खरीदता है, वह अमेरिका से ईथेन की निर्यात कीमत से बहुत अधिक है।

ठठ. घरेलू उद्योग का यह स्पष्टीकरण कि अंतर बिक्री की शर्तों के कारण था, अर्थात, अमेरिकी कीमतें एफओबी आधार पर रिपोर्ट की गई थीं, जबकि भारतीय आयात कीमतें एफओबी आधार पर रिपोर्ट की गई थीं, गलत है। इतने अधिक अंतर को माल ढुलाई और बीमा के कारण नहीं माना जा सकता। आवेदक की ईथेन की लागत कृत्रिम रूप से अधिक है और इसलिए, प्राधिकारी को यह आकलन करना चाहिए कि क्या आवेदक द्वारा ईथेन की खरीद निकटतम स्तर पर की गई है।

डड. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में अपनी संबद्ध कंपनी से ईथेन का आयात शुरू करने के बाद से उल्लेखनीय गिरावट आई है और उसे यह स्पष्ट करना चाहिए कि आयात की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी के लिए उपर्युक्त तथ्य जिम्मेदार क्यों नहीं थे।

ढढ. अचल संपत्तियों, नियोजित पूंजी और कार्यशील पूंजी में किसी भी बदलाव के बिना पिछले वर्षों की तुलना में जांच की अवधि में घरेलू उद्योग का मूल्यह्रास काफी बढ़ गया है। मूल्यह्रास में अचानक वृद्धि के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

णण. घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मापदंडों में 2022-23 की तुलना में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। लाभप्रदता में सुधार घरेलू उद्योग के बिगड़ती क्षति के दावों के विपरीत है।

तत. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम यूओआई में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों पर भरोसा करना अनुचित है क्योंकि वे विशेष रूप से क्षति रहित कीमत के निर्धारण के संदर्भ में कैप्टिव इनपुट के व्यवहार से संबंधित थे, जो आयात कीमतों के साथ तुलना के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला एक निर्मित, मानक बेंचमार्क है।

थथ. लाभप्रदता एक सैद्धांतिक निर्माण नहीं है, और कृत्रिम रूप से घाटे को दिखाने के लिए वास्तविक लागतों को काल्पनिक बाजार कीमतों से प्रतिस्थापित करना क्षति मूल्यांकन की अखंडता को कमजोर करता है और घरेलू उद्योग के वास्तविक आर्थिक निष्पादन को विकृत करता है।

दद. प्राधिकारी को बाहरी बेंचमार्क के आधार पर कोई काल्पनिक समायोजन किए बिना अपनी बहियों में घरेलू उद्योग द्वारा रिपोर्ट किए गए वित्तीय आंकड़ों पर भरोसा करना चाहिए क्योंकि एमईजी उत्पादक आमतौर पर एथिलीन का उत्पादन अपने देश में करते हैं या इसे कैप्टिव व्यवस्था के माध्यम से प्राप्त करते हैं।

धध. उत्पादन की लागत घरेलू उत्पादकों द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए, न कि काल्पनिक लागतों पर।

नन. घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति भौगोलिक कारकों के कारण है, कथित पाटन के कारण नहीं।

पप. आरआईएल ने अपनी हालिया प्रेस विज्ञप्ति में स्वीकार किया है कि उसके एमईजी मार्जिन में निम्न आधार से 46% सुधार हुआ है। तदनुसार, घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हो रही है।

फफ. जबकि अंतिम मालसूची में वृद्धि हुई है, बिक्री की औसत मालसूची दिनों में गिरावट आई है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि मालसूची सूचकांक में वृद्धि बिक्री में कमी के कारण नहीं, बल्कि निचले स्तर के प्रतिस्पर्धियों को आपूर्ति रोकने के आरआईएल के वाणिज्यिक निर्णय के कार्यनीतिक स्टॉकिंग के कारण हुई है।

बब. उत्पादकता मापदंडों में गिरावट घरेलू उद्योग द्वारा कैप्टिव खपत में कमी और निर्यात बिक्री में कमी के कारण हुई।

भभ. घरेलू उद्योग स्वयं एक बहु-उत्पाद कंपनी है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि पूंजी जुटाने की उसकी क्षमता किसी भी तरह से प्रभावित हुई है।

मम. वास्तविक क्षति का खतरा स्पष्ट रूप से पूर्वानुमानित और आसन्न होना चाहिए। केवल अधिशेष क्षमताओं की मौजूदगी या तीसरे देश के बाजारों में परिवर्तन अपर्याप्त हैं और वास्तविक क्षति के खतरे का निष्कर्ष नहीं निकाल सकते।

यय. इस दावे के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया गया है कि भारत निर्यात के लिए पसंदीदा गंतव्य होगा। बीआईएस प्रमाणन आवश्यकताओं की उपस्थिति आयात पर अतिरिक्त शर्तें लगाती है, जिससे बाज़ार तुलनात्मक रूप से कम सुलभ हो जाता है।

ककक. ऐतिहासिक व्यापार पैटर्न भी भारत में अनियंत्रित उछाल नहीं दिखाते हैं, भले ही संबद्ध देशों में क्षमता विस्तार हुआ हो।

खख. सऊदी अरब से भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात भारत को उनके कुल निर्यात के 5% से अधिक नहीं रहा है।

गगग. केवल इसलिए कि संबद्ध देशों में उच्च निर्यात क्षमता है, इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसे सामानों का निर्यात किया जाएगा क्योंकि यह कच्चे माल, आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं जैसे कारकों पर निर्भर है।

घघघ. घरेलू उद्योग का वित्तीय निष्पादन मुख्य रूप से बाजार-संचालित कारकों से प्रभावित रहा है, जिसमें कच्चे माल की बढ़ती लागत, मालसूची के स्तर में वृद्धि और वैश्विक अति-आपूर्ति की स्थिति शामिल है, जिसने कीमत वसूली को बाधित किया है और लाभप्रदता को प्रभावित किया है।

डडड. आरआईएल ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अपनी दूसरी तिमाही के निवेशक प्रस्तुति में कहा है, "एमईजी-नेफ्था मार्जिन 53% बढ़कर 67 अमेरिकी डॉलर प्रति एमटी हो गया, जो निचले स्तर के प्रचालनों में वृद्धि और नेफ्था की कमजोर कीमतों के कारण हुआ। हालांकि, क्षमता में अधिकता और अधिक मालसूची के कारण मार्जिन कमजोर बना हुआ है।"

चचच. चीन में आर्थिक मंदी के कारण चीन में एमईजी की खपत कम हुई है, जिससे एमईजी मार्जिन प्रभावित हुआ है, जिसे आरआईएल ने अपने वित्त वर्ष 23 की चौथी तिमाही के मीडिया विज्ञप्ति में भी स्वीकार किया था।

छछछ. आवेदक की बिक्री में गिरावट आयात से प्रतिस्पर्धा के कारण नहीं, बल्कि अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री में वृद्धि के कारण हुई। यदि आयात क्षति का कारण होता, तो सभी भारतीय उत्पादकों की बिक्री में गिरावट होती।

जजज. एमईजी का उत्पादन नेफ्था-व्युत्पन्न एथिलीन पर बहुत अधिक निर्भर है। आरआईएल ने अपने निवेशक प्रस्तुतीकरण में स्वीकार किया है कि नेफ्था की मजबूत कीमतों के कारण एमईजी डेल्टा कम रहा। इस प्रकार, लाभप्रदता में

गिरावट बढ़ती इनपुट लागत के कारण है, न कि आयात द्वारा कीमत न्यूनीकरण के कारण।

ज.2 <u>घरेलू उद्योग की ओर से अनुरोध</u>

60. क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में घरेलू उद्योग की ओर से निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं;

क. भारतीय मांग में वृद्धि ने इसे संबद्ध सामानों के निर्यात के लिए अत्यधिक आकर्षक लक्ष्य बना दिया है। संबद्ध देशों के उत्पादकों ने बाजार में प्रवेश करने के लिए अपनी कीमतों में आक्रामक रूप से कमी की है। परिणामस्वरूप, भारतीय घरेलू उद्योग 2019 से लगातार पाटित आयातों से क्षति का सामना कर रहा है।

ख. क्षति मापदंडों से संबंधित आंकड़ों की विश्वसनीयता के संबंध में, घरेलू उद्योग ने सभी आवश्यक सत्यापन के लिए सहमति व्यक्त की है, जिसकी आवश्यकता प्राधिकारी को रिपोर्ट किए गए आंकड़ों की सत्यता और शुद्धता का पता लगाने के लिए हो सकती है।

ग. घरेलू उद्योग को 2019 से पाटित एमईजी आयातों से क्षति का सामना करना पड़ रहा है। संबद्ध देश अपने उत्पादन की केवल ***% घरेलू स्तर पर खपत करते हैं और मुख्य रूप से निर्यात पर केंद्रित हैं। जबकि क्षति की अवधि में भारतीय मांग में ***% की वृद्धि हुई, वैश्विक एमईजी खपत में केवल ***% की वृद्धि हुई, जिससे 2024 में संबद्ध देशों की 20% क्षमताएँ निष्क्रिय रह गईं - जो भारत की मांग के ***% के बराबर है।

घ. आईओसीएल के दो संयंत्र पानीपत (क्षमता 457000 एमटी) और पारादीप (क्षमता 357000 एमटी) में स्थित हैं। इस प्रकार, वर्तमान जांच की जांच अवधि के अंत में, भारतीय एमईजी क्षमता 27 लाख एमटी हो गई और यह संपूर्ण भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

ङ. 28 जून, 2021 की अधिसूचना संख्या 6/8/2021-डीजीटीआर के माध्यम से शुरू की गई पूर्व जांच के बावजूद, जिसमें पाटन और काफी क्षति मार्जिन की पुष्टि की गई थी, कोई पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया गया क्योंकि घरेलू उद्योग को उचित लाभ अर्जित करने वाला माना गया था और उसे क्षति नहीं हो रही थी।

च. जनवरी 2019 से जारी पाटन और क्षति के बावजूद उपचारात्मक उपायों के अभाव के कारण भारतीय घरेलू उद्योग की स्थिति काफी खराब हो गई है, जो समय के साथ तेज हो गई है। घरेलू उद्योग की लाभप्रदता लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गई है, और उसे गैर-लाभकारी कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इसके परिणामस्वरूप पीबीआईटी और आरओसीई में लगभग ***% की गिरावट आई है।

छ. आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों में पूर्ण दृष्टि से और भारत के उत्पादन और खपत के संबंध में काफी

वृद्धि हुई है, । इसके अलावा, आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में आयात दोगुना हो गया है।

ज. संबद्ध देशों से पाटित आयात भी 2022-23 तक घरेलू उद्योग के उत्पादन और कुल गैर-कैप्टिव खपत के सापेक्ष उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है।

झ. संबद्ध देशों से आयात 2022-23 तक क्षति अवधि के दौरान लगातार बढ़ा है। यद्यपि 2022-23 की तुलना में जांच की अवधि में आयात में मामूली गिरावट आई है, लेकिन यह केवल जून 2023 में एमईजी आयातों पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लागू होने के कारण हुआ, जिसने घरेलू उद्योग को केवल अस्थायी राहत प्रदान की। उल्लेखनीय रूप से, जांच की अवधि के बाद की अवधि में, संबद्ध देशों से आयात पहले ही 2022-23 के स्तर को पार कर गया है।

ञ. संबद्ध देशों से आयातों की बाजार हिस्सेदारी लगातार बढ़ी है, 2022-23 की तुलना में जांच की अवधि के दौरान इसमें मामूली गिरावट आई है, लेकिन यह आधार वर्ष और 2021-22 की तुलना में अधिक रही। इसके विपरीत, घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी आधार वर्ष में लगभग ***% से जांच की अवधि में ***% तक तेजी से घटी है।

ट. संबद्ध देशों से आयात 2020-21 से मांग-आपूर्ति के अंतर से अधिक रहा है। जांच की अवधि की चौथी तिमाही में आईओसीएल की क्षमता के चालू होने तक, मांग-आपूर्ति का अंतर 3,00,000-5,00,000 एमटी के बीच था। हालाँकि, संबद्ध देशों से पाटित आयातों का स्तर मांग-आपूर्ति के अंतर से कहीं अधिक था।

ठ. पाटित आयातों का घरेलू उद्योग की कीमतों पर ह्रासमान और न्यूनीकरण प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा, ऐसे आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं।

ड. संबद्ध सामानों का पहुँच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत से कम था, जो स्पष्ट रूप से घरेलू उद्योग पर कीमत दबाव को दर्शाता है।

ढ. एसएबीआईसी समूह ने पिछली जाँच की प्रवृत्तियों के आधार पर काल्पनिक परिकलनों पर भरोसा करते हुए आरोप लगाया है कि वर्तमान जांच की अवधि में संबद्ध देशों से कीमत कटौती नकारात्मक है। केवल अनुमान पर कोई भार नहीं डाला जाना चाहिए, विशेष रूप से उन परिस्थितियों में जहाँ वास्तविक सत्यापित आंकड़े प्राधिकारी के पास आसानी से उपलब्ध हैं।

ण. जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में उल्लेखनीय गिरावट आई है। ऐतिहासिक रूप से, 2018-19 से क्षमता उपयोग ***% से ऊपर रहा है, लेकिन निरंतर पाटन के कारण, यह ***% से नीचे गिर गया है, जिससे उत्पादन गैर-अर्थक्षम हो गया है। उत्पादन ने जांच की अवधि में उल्लेखनीय गिरावट की इस प्रवृत्ति को दर्शाया है।

त. 2020-21 और 2022-23 के बीच मांग में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद, इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की गैर-कैप्टिव बिक्री में गिरावट आई। यद्यपि गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लागू होने के कारण जांच की अवधि में मामूली सुधार हुआ, जांच की अवधि के दौरान बिक्री का स्तर आधार वर्ष की तुलना में ***% कम रहा। इसके विपरीत, इसी अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयात लगभग दोगुना हो गया।

थ. जांच की अवधि को छोड़कर, संबद्ध देशों से आयातों का बाजार हिस्सा लगातार बढ़ा, जिसमें यह 2022-23 के स्तर की तुलना में थोड़ा कम हुआ, लेकिन आधार वर्ष और 2021-22 की तुलना में अधिक रहा।

द. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा आधार वर्ष में लगभग 50% से घटकर जांच की अवधि में 30% हो गया।

ध. जांच की अवधि में मामूली सुधार के बावजूद, बाजार हिस्सेदारी आधार वर्ष और 2021-22 के स्तर से काफी नीचे रही है।

न. जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की स्थिति की 2018-19 की अवधि (अर्थात वह अवधि जब कोई पाटन नहीं था) के साथ तुलना करने पर घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग, निवेश पर आय और लाभ में उल्लेखनीय गिरावट दिखाई देती है।

प. लाभप्रदता के लिए उपलब्ध कराए गए आंकड़े रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के बहीखातों पर आधारित है, जो एक एकीकृत निर्माता है जिसे कैप्टिव एथिलीन के कारण लागत लाभ प्राप्त है। उल्लेखनीय रूप से, प्रमुख कच्चा माल, एथिलीन, आरआईएल के बहीखातों में लागत पर अंतरित किया गया है। माननीय सेस्टैट ने 29.09.2023 के अपने निर्णय में, *रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत संघ (2006 (202) ई.एल्टी 23 (एस.सी.))* में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए निर्णय सुनाया कि क्षति के आकलन में कैप्टिव इनपुट की बाजार कीमत पर विचार किया जाना चाहिए, न कि आंतरिक अंतरण कीमतों पर। यदि एथिलीन की बाजार कीमतों को शामिल किया जाए तो आरआईएल का सीमांत लाभ घाटे में बदल जाएगा।

फ. सभी वित्तीय मापदंडों, पीबीटी, पीबीआईटी, नकद लाभ, आरओसीई और पीबीडीआईटी में 2020-21 से उल्लेखनीय गिरावट आई है और घरेलू उद्योग को 2022-23 के दौरान काफी नुकसान उठाना पड़ा। जांच की अवधि में आंशिक सुधार क्यूसीओ के कारण अस्थायी राहत के कारण हुआ।

ब. आधार वर्ष और 2021-22 की तुलना में, घरेलू उद्योग के सभी लाभप्रदता मापदंडों में उल्लेखनीय गिरावट आई है।

भ. एसएबीआईसी समूह ने चुनिंदा रूप से अपने दावे प्रस्तुत किए हैं, जबकि घरेलू उद्योग के ईथेन की कथित आयात कीमतों का खुलासा करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है, जो उसके दावे का आधार है।

म. घरेलू उद्योग ने ऑन-साइट सत्यापन के दौरान जांच दल के साथ पूरा सहयोग किया है और आरआईएल यूएसए के माध्यम से ईथेन की कीमतों की खरीद के संबंध में सभी वांछित सूचना प्रदान की है, जो स्पष्ट रूप से एसएबीआईसी समूह द्वारा किए गए झूठे विवरण को खारिज करता है।

य. आरआईएल, आरआईएल यूएसए के माध्यम से आपूर्तिकर्ताओं से सीधे ईथेन खरीदता है। विगत में भी, आरआईएल इंडिया ने उन व्यापारियों से एथेन प्राप्त किया है जो ट्रेडिंग मार्जिन लेते थे। यही मार्जिन आरआईएल यूएसए को सोर्सिंग के खर्च के रूप में दिया जाता रहा है। एथेन खरीद कीमत का मानकीकरण उसी मानक के अनुसार किया जाता है जो पहले असंबद्ध आपूर्तिकर्ताओं के लिए प्रयुक्त किया जाता था।

कक. घरेलू उद्योग एथिलीन का निजी तौर पर निर्माण करता है और उसे लागत पर अंतरित करता है। चूँकि एथिलीन लागत पर अंतरित होता है, इसलिए यह बाजार में उतार-चढ़ाव के अधीन नहीं होता है।

खख. एथिलीन की बाजार कीमत को लागू करने से एथेन की कथित बढ़ी हुई कीमत और उसके परिणामस्वरूप एथिलीन की कीमतों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों का समाधान हो जाएगा।

गग. बढ़ती घरेलू माँग के बावजूद, निरंतर पाटन और क्षति के कारण, किसी भी नई घरेलू क्षमता की घोषणा नहीं की गई है, क्योंकि मौजूदा क्षमताएँ अभी भी कम उपयोग में हैं।

घघ. एमईजी, आरआईएल के अंतर्गत एक कार्य-नीतिक व्यावसायिक इकाई है और एमईजी से संबंधित सभी निवेश, जिसमें भविष्य में पूंजी निवेश जुटाना भी शामिल है, एमईजी व्यवसाय की लाभप्रदता और उससे अर्जित आय के आधार पर तय किए जाते हैं। यदि हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों को स्वीकार कर लिया जाए, तो इसका अर्थ यह होगा कि सभी बहु-उत्पाद कंपनियों को लाभदायक व्यावसायिक क्षेत्रों से धन घाटे वाले क्षेत्रों में लगाना चाहिए।

डड. इक्वेट ग्रुप ने आरआईएल की निवेशक प्रस्तुति का हवाला देते हुए दावा किया है कि वैश्विक अतिक्षमता के कारण आरआईएल की लाभप्रदता में गिरावट आई है। संबद्ध देशों में अत्यधिक क्षमता और उनके संबंधित बाजारों में लगभग शून्य घरेलू खपत के कारण, संबद्ध देशों के निर्यातकों ने उच्च एमईजी खपत वाले एकमात्र शेष बाजार, अर्थात भारत को ही लक्ष्य बनाया है।

चच. संबद्ध देशों के उत्पादक मुख्यतः निर्यातोन्मुख हैं और अपने घरेलू बाजार की खपत के संबंध में महत्वपूर्ण अतिरिक्त क्षमता बनाए रखते हैं, जिससे भारतीय घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का खतरा है।

छछ. संबद्ध देशों में घरेलू मांग से काफी अधिक क्षमताएं स्थापित की गई हैं। ये क्षमताएं संपूर्ण भारतीय मांग का लगभग ***% हैं।

जज. संबद्ध देशों के बाजारों में संबद्ध सामानों की खपत और उत्पादन अपेक्षाकृत स्थिर है। यह संभावना नहीं है कि संबद्ध देशों के संबद्ध सामानों के निर्यातक अपने निर्यात को तीसरे देशों में भेज पाएंगे।

झझ. संबद्ध देशों में से एक (सऊदी अरब) से यूरोपीय संघ को संबद्ध सामानों का निर्यात पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण प्रतिबंधित है। इसके अलावा, चीन में बढ़ी हुई स्वदेशी क्षमता के कारण चीन का बाजार भी अब उपलब्ध नहीं है।

ज.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

61. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में *पाटित आयातों की मात्रा, समान सामानों के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए"* घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करने में, यह जांच करना आवश्यक माना जाता है कि क्या भारत वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा क्या इन आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों का काफी मात्रा में ह्रास करना अथवा कीमत वृद्धि रोकना है जो अन्यथा काफी मात्रा तक हुई होती। भारत में घरेलू उद्योगों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, इन सूचकांकों जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन आदि की मात्रा और मार्जिन पर विचार किया गया है।

62. प्राधिकारी ने उपर्युक्त पैराग्राफों में घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में सभी हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों की जांच की है।

ज.3.1 क्षति का संचयी आकलन

63. विश्व व्यापार संगठन करार के अनुच्छेद 3.3 और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II के पैरा (iii) में यह प्रावधान है कि यदि किसी उत्पाद का एक से अधिक देशों से आयात एक साथ पाटनरोधी जाँच के अधीन हो रहा है, तो प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन करेगा, यदि वह यह निर्धारित करता है कि:

क. प्रत्येक देश से आयात के संबंध में स्थापित पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से

आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात का तीन प्रतिशत (या अधिक) है या जहाँ अलग-अलग देशों का निर्यात तीन प्रतिशत से कम है, वहाँ आयात सामूहिक रूप से समान वस्तु के आयात का सात प्रतिशत से अधिक है, और

ख. आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के आलोक में आयात के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन उपयुक्त है।

64. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

क. संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध सामान एक-दूसरे की समान वस्तु हैं और प्रयोक्ता उद्योग ने एक या अधिक संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात किया है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि ऊपर खंड ग में उल्लेख किया गया है, संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध सामान घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामानों के समान वस्तु भी हैं।

ख. जैसा कि इस अंतिम जांच परिणाम के खंड छ में निर्धारित किया गया है, संबद्ध सामान संबद्ध देशों से भारत में पाटित किए जा रहे हैं और पाटन मार्जिन पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।

ग. इसके अतिरिक्त, प्रत्येक संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयात की मात्रा कुल आयात मात्रा के 3% से अधिक है।

घ. संबद्ध देशों से आयात न केवल उनमें से प्रत्येक द्वारा प्रस्तुत समान सामानों के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करते हैं, बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत समान वस्तुओं के साथ भी प्रतिस्पर्धा करते हैं।

65. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी का मानना है कि आयातों के संचयी मूल्यांकन हेतु निर्धारित शर्तें पूरी कर ली गई हैं और उन्होंने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के घरेलू उद्योग पर प्रभाव का संचयी मूल्यांकन किया है।

66. क्षति मूल्यांकन हेतु ईरान को शामिल करने के संबंध में आयातक एसोसिएशन द्वारा किए गए अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातों की मात्रा पाटनरोधी नियमावली में निर्दिष्ट न्यूनतम स्तर से कम थी। तदनुसार, ईरान को वर्तमान जाँच के क्षेत्र से बाहर रखा गया था।

ज.3.2 पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क) मांग/स्पष्ट खपत का आकलन

67. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों की मात्रा में, चाहे निरपेक्ष रूप से या भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष, कोई उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

68. प्राधिकारी ने वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ, भारत में संबद्ध सामानों की कुल माँग को घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री, अन्य घरेलू उत्पादकों की घरेलू बिक्री और डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों के आधार पर सभी स्रोतों से संबद्ध सामानों के आयात के योग के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रकार मूल्यांकित माँग नीचे दी गई तालिका में दी गई है।

विवरण	**यूनिट**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**जांच की अवधि**
संबद्ध देश	एमटी	5,28,528	9,12,575	13,12,512	10,57,586
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	173	248	200
कुवैत	एमटी	3,83,519	6,16,079	7,85,939	7,14,900
सऊदी अरब	एमटी	1,24,417	2,31,913	4,11,242	3,06,948
सिंगापुर	एमटी	20,592	64,583	1,15,332	35,739
गैर-संबद्ध देशों से आयात	एमटी	44,878	9,424	74,336	15,586
कुल आयात	एमटी	5,73,407	9,21,998	13,86,849	10,73,172
घरेलू उद्योग की कुल बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	100	93
अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	141	84	156
कैप्टिव सहित कुल मांग/खपत	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	126	135	122
कैप्टिव को छोड़कर कुल मांग/खपत	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	132	145	135

69. यह नोट किया जाता है कि:

क. संबद्ध सामानों की मांग 2022-23 तक लगातार बढ़ी है। 2022-23 की तुलना में जांच अवधि के दौरान मामूली गिरावट आई है। तथापि, मांग 2021-22 और 2022-23 के स्तर से ऊपर बनी हुई है। यह भी नोट किया जाता है कि क्षति अवधि के दौरान, मांग में ***% की वृद्धि हुई है।

ख. क्षति अवधि के दौरान संबद्ध सामानों के आयात में पर्याप्त वृद्धि हुई है। आधार वर्ष की तुलना में, जांच अवधि में संबद्ध आयातों की मात्रा लगभग

दोगुनी हो गई है, जबकि 2022-23 की तुलना में, जांच अवधि में संबद्ध आयातों की मात्रा में गिरावट आई है।

ख) संबद्ध देशों से आयात की मात्रा

70. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों में, चाहे निरपेक्ष रूप से या भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष, उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर भरोसा किया है। क्षति जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात की मात्रा और पाटित आयात का हिस्सा निम्नानुसार है:

विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
कुवैत	एमटी	3,83,519	6,16,079	7,85,939	7,14,900
सऊदी अरब	एमटी	1,24,417	2,31,913	4,11,242	3,06,948
सिंगापुर	एमटी	20,592	64,583	1,15,332	35,739
संबद्ध देश	एमटी	5,28,528	9,12,575	13,12,512	10,57,586
गैर-संबद्ध देश	एमटी	44,878	9,424	74,336	15,586
कुल आयात	एमटी	5,73,407	9,21,998	13,86,849	10,73,172
निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध देश से आयात					
कैप्टिव खपत के बिना मांग	%	36%	46%	61%	53%
उत्पादन	%	31%	55%	89%	78%
कुल आयात	%	92%	99%	95%	99%

71. उपर्युक्त से, प्राधिकारी नोट करते हैं कि-

क. आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों की मात्रा में निरपेक्ष रूप से उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यद्यपि 2022-23 की तुलना में जांच की अवधि में संबद्ध आयातों की मात्रा में गिरावट आई है, फिर भी यह नोट किया जाता है कि ऐसे आयात आधार वर्ष और 2021-22 के स्तर से काफी ऊपर बने हुए हैं।

ख. संबद्ध देशों से संबद्ध आयात भारत में कुल आयातों का लगभग पूरा हिस्सा थे, जो जांच की अवधि के दौरान 99% का पर्याप्त हिस्सा दर्शाते हैं।

ग. आधार वर्ष की तुलना में, भारतीय मांग और उत्पादन के संबंध में संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों की मात्रा में क्रमशः ***% और ***% की वृद्धि हुई है। यद्यपि 2022-23 की तुलना में, जांच की अवधि में भारतीय मांग और उत्पादन

के संबंध में संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों की मात्रा में गिरावट आई है, फिर भी वे आधार वर्ष और 2021-22 के स्तर से काफी ऊपर बने हुए हैं।

घ. आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयात में निरपेक्ष रूप से और सापेक्ष रूप से उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

72. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि वित्त वर्ष 2022-23 तक, मांग-आपूर्ति के अंतर के कारण आयात आवश्यक थे और एमईजी के लिए आईओसीएल की विस्तारित क्षमता के प्रचालनीकरण के साथ, जांच की अवधि में आयात में गिरावट आई है, जो घरेलू सोर्सिंग की ओर परिवर्तन का संकेत देता है, जो दर्शाता है कि आयात का कोई निरंतर दबाव नहीं है। दूसरी ओर, घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि भारत सरकार द्वारा क्यूसीओ लागू करने के कारण जांच की अवधि में आयात में अस्थायी रूप से गिरावट आई है।

73. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आईओसीएल की क्षमता में वृद्धि के बावजूद, जांच की अवधि में संबद्ध सामानों का आयात 2021-22 और आधार वर्ष के स्तर से ऊपर बना हुआ है। आईओसीएल ने संबद्ध सामानों के लिए दो चरणों में क्षमता विस्तार किया है - पहला क्षमता विस्तार 2022-23 में हुआ, जिसमें इसके पानीपत संयंत्र में एमईजी क्षमता पहले के 3,02,000 एमटी से बढ़ाकर 425,000 एमटी कर दी गई थी। दूसरा क्षमता विस्तार जांच की अवधि के अंत में हुआ, जिसमें इसके पारादीप संयंत्र में 332,000 एमटी के साथ एक नए एमईजी संयंत्र का उद्घाटन किया गया। 2021-22 और जांच की अवधि के बीच, आईओसीएल की क्षमता में लगभग 1,20,000 एमटी की वृद्धि हुई। हालाँकि, इसी अवधि के दौरान, संबद्ध देशों से आयात में भी 1,45,011 एमटी की वृद्धि हुई। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता कि आईओसीएल द्वारा क्षमता विस्तार के कारण संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात की मात्रा में गिरावट आई।

74. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भी दावा किया है कि भारतीय मांग में वृद्धि के बावजूद संबद्ध देशों से संबद्ध आयात में गिरावट आई है, और इसलिए, क्षति को संबद्ध देशों से संबद्ध आयात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि जांच अवधि में मांग 2022-23 के स्तर की तुलना में कम हुई है, फिर भी जांच अवधि में मांग का स्तर 2021-22 के स्तर से ऊपर और तुलनीय बना हुआ है।

75. यह नोट किया जाता है कि 2021-22 और जांच अवधि के बीच, जबकि मांग में केवल ***% की वृद्धि हुई, संबद्ध देशों से आयात की मात्रा में 16% की वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान, भारतीय उद्योग की गैर-कैप्टिव बिक्री में ***% की गिरावट आई। आधार वर्ष की तुलना में, संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों की निरपेक्ष मात्रा में वृद्धि जांच अवधि में मांग में निरपेक्ष वृद्धि से अधिक रही है। यह दर्शाता है कि जांच अवधि में

संबद्ध आयातों की मात्रा में निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों दृष्टियों से वृद्धि हुई है। तदनुसार, प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों से असहमत हैं।

76. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों से काफी मात्रा में आयात किया है। जैसा कि ऊपर पहले ही जांच की जा चुकी है, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा किया गया आयात उसके कुल उत्पादन और बिक्री का केवल लगभग 1% है।

ज.3.3 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

77. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II(ii) के अनुसार कीमतों के प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों से काफी कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव काफी मात्रा तक अन्यथा कीमत ह्रास करने के लिए है या कीमत वृद्धि रोकने के लिए है जो अन्यथा काफी मात्रा तक हुई होती।

क) कीमत कटौती

78. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं, डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों के आधार पर संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत की तुलना जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति के साथ करके कीमत कटौती का निर्धारण किया गया है।

कीमत कटौती					
संबद्ध देश	**सीआईएफ मूल्य**	**पहुंच मूल्य**	**एनएसआर**	**कीमत कटौती**	**कीमत कटौती रेंज**
	रु./एमटी	**रु./एमटी**	**रु./एमटी**	**%**	**रेंज**
कुवैत	41,574	43,860	***	***	0-10
सऊदी अरब	41,952	44,260	***	***	0-10
सिंगापुर	42,988	44,171	***	***	0-10
संबद्ध देश	41,731	43,987	***	***	0-10

79. जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है, संबद्ध देशों के मूल के संबद्ध सामान घरेलू उद्योग के एनएसआर से कम कीमतों पर भारतीय बाजार में आयात किए गए थे। संबद्ध देशों से कीमत कटौती समग्र रूप से और प्रत्येक संबद्ध देश से सकारात्मक है।

80. एसएबीआईसी समूह ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई कीमत कटौती परिकलन पर विवाद किया है और दावा किया है कि केएसए की तुलना में कीमत कटौती नकारात्मक है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की वास्तविक निवल बिक्री प्राप्ति पर विचार किया है जिसके आधार पर उन्होंने केएसए के लिए कीमत कटौती को सकारात्मक निर्धारित किया है।

81. एसएबीआईसी समूह ने दावा किया है कि कीमत कटौती पर विचार करते समय केवल गैर-कैप्टिव बिक्री पर ही विचार किया जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक द्वारा एमईजी को कैप्टिव और गैर-कैप्टिव खपत के लिए बाजार कीमत पर अंतरित किया जाता है। तदनुसार, प्राधिकारी ने कटौती के परिकलन के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग द्वारा की गई सभी घरेलू बिक्री के लिए निवल बिक्री प्राप्ति पर विचार किया है।

ख) कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

82. कीमत ह्रास और न्यूनीकरण का विश्लेषण करने के उद्देश्य से, आवेदकों ने (क) बिक्री लागत, (ख) घरेलू निवल बिक्री प्राप्ति के बारे में सूचना प्रदान की है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिया गया है। इसकी तुलना संबद्ध सामानों के पहुँच मूल्य से की गई है।

कीमत ह्रास/कीमत न्यूनीकरण					
विवरण	**यूओएम**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**जांच की अवधि**
बिक्री लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	149	187	142
पहुंच कीमत	रु./एमटी	39,064	53,481	46,402	43,987
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	137	119	113
निवल बिक्री प्राप्ति	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	137	126	119

83. यह देखा जाता है कि वर्ष 2021-22 तक, संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों की पहुंच कीमत बढ़ी और आवेदक की बिक्री लागत से ऊपर रही। घरेलू उद्योग वर्ष 2021-22 तक अपनी बिक्री लागत में वृद्धि के साथ-साथ अपनी बिक्री कीमत में भी वृद्धि करने में सक्षम रहा। तथापि, वर्ष 2022-23 से, संबद्ध सामानों का पहुंच मूल्य लगातार कम हुआ है, जिसके साथ ही संबद्ध सामानों की मात्रा में भी वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने स्पष्ट किया है कि उसे अपनी बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए आयात कीमतों के बराबर कीमत रखने के लिए बाध्य होना पड़ा। यह उल्लेखनीय है कि घरेलू उद्योग का एनएसआर भी संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों की पहुंच कीमत के समान ही रहा है। इस प्रकार,

पहुँच कीमत में गिरावट ने घरेलू उद्योग को प्रतिस्पर्धी बने रहने और अपनी बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए अपने एनएसआर को कम करने के लिए मजबूर किया।

84. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग लागत स्तर पर बिक्री कर रहा है और मुश्किल से कोई लाभ कमा रहा है, जबकि जांच की अवधि में उसकी बिक्री लागत में कमी आई है।

85. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि चूंकि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत आधार वर्ष से ऊपर की ओर बढ़ी है, अत: यह नहीं माना जा सकता कि घरेलू उद्योग की कीमतों का ह्रास किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में वृद्धि के बावजूद, घरेलू उद्योग अपनी बिक्री कीमतों में तद्नरूपी वृद्धि करने में सक्षम नहीं रहा है। इसके अतिरिक्त, 2022-23 की तुलना में, संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों की पहुँच कीमतों में गिरावट आई है। तदनुसार, प्राधिकारी मानते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण और ह्रास किया है।

86. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भी टिप्पणी की है कि चीन में कीमतों में गिरावट के कारण जांच की अवधि के दौरान वैश्विक स्तर पर संबद्ध सामानों की कीमतों में गिरावट आई। प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्ष ने वैश्विक कीमतों में गिरावट को प्रमाणित करने वाली कोई सूचना प्रदान नहीं की है। इसके विपरीत, एसओके और केएसए के प्रतिभागी निर्यातकों, जो वैश्विक स्तर पर विचाराधी उत्पाद के प्रमुख निर्यातक हैं, द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तर में तीसरे देशों को निर्यात के संबंध में उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि तीसरे देशों को निर्यात कीमतें वास्तव में 2022-23 की तुलना में जांच अवधि में बढ़ी हैं। तदनुसार, यह नहीं माना जा सकता कि वैश्विक कीमतों में गिरावट के कारण भारतीय बाजार में कीमतें घटी हैं।

ञ.1 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

87. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संगत आर्थिक कारकों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता के उपयोग सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले तत्वों; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारकों, पाटन मार्जिन की मात्रा; नकद प्रवाह; मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि और पूंजीगत निवेश जुटाने की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों के उद्देश्यपूर्ण एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होने चाहिएं। तद्नुसार, घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर नीचे चर्चा की गई है।

क) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा

88. प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा पर विचार किया है।

उत्पादन, संस्थापित क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री					
विवरण	**यूओएम**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**जांच की अवधि**
क्षमता	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100
उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	86	80
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
रेंज	%	90-100%	90-100%	80-90%	80-90%
घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	100	93

89. उपर्युक्त से, प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

क. घरेलू उद्योग की क्षमता संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान स्थिर रही है। तथापि, घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग इसी अवधि में लगातार कम होता गया और जांच की अवधि के दौरान अपने निम्नतम स्तर पर पहुँच गया।

ख. घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि के बावजूद, आधार वर्ष और 2021-22 की तुलना में जांच अवधि के दौरान घरेलू बिक्री के साथ-साथ घरेलू उद्योग के उत्पादन में भी उल्लेखनीय गिरावट देखी गई।

90. एसएबीआईसी समूह ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग ने वास्तविक प्रकार्यात्मक क्षमता से अधिक क्षमता की सूचना दी है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा दी गई क्षमता का सत्यापन किया है और पाया है कि यह सही ढंग से दी गई है।

91. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि जांच की अवधि के दौरान बिक्री में गिरावट कैप्टिव खपत में कमी और निर्यात बिक्री में कमी के कारण हुई। प्राधिकारी ने पिछले कुछ वर्षों में घरेलू उद्योग द्वारा की गई कैप्टिव बिक्री और गैर-कैप्टिव बिक्री की मात्रा की तुलना की है। यह नोट किया जाता है कि कुल बिक्री में कैप्टिव और मुक्त बाजार बिक्री के बीच का अनुपात क्षति अवधि के दौरान समान श्रेणी में रहा है। यह नोट किया जाता है कि 2022-23 की तुलना में जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की गैर-कैप्टिव बिक्री में

कुछ मामूली सुधार हुआ है। घरेलू उद्योग ने स्पष्ट किया है कि ऐसा जांच अवधि के दौरान क्यूसीओ लागू होने के कारण हुआ है।

92. निर्यात बिक्री में गिरावट के संबंध में, घरेलू उद्योग ने स्पष्ट किया है कि निर्यात बिक्री आधार वर्ष और 2021-22 के दौरान की गई क्योंकि केएसए, एसओके और यूएसए द्वारा बेचे जा रहे पाटित और कम कीमत के आयातों के कारण घरेलू बाजार की कीमतें लाभप्रद नहीं थीं।

ख) बाजार हिस्सा

93. घरेलू उद्योग और आयातों का बाजार हिस्सा नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

बाजार हिस्सा					
बाजार हिस्सा	**यूनिट**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**जांच की अवधि**
घरेलू उद्योग की गैर-कैप्टिव बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	85	87
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	141	84	156
कुल भारतीय बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	85	102
संबद्ध देशों से आयात	एमटी	5,28,528	9,12,575	13,12,512	10,57,586
अन्य देशों से आयात	एमटी	44,878	9,424	74,336	15,586
भारत में गैर-कैप्टिव मांग	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	एमटी	100	132	145	135
बाजार हिस्सा					
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
अन्य भारतीय उत्पादक	%	***	***	***	***
भारतीय उद्योग	%	***	***	***	***
संबद्ध देश	%	***	***	***	***
अन्य देश का आयात	%	***	***	***	***

94. यह देखा जाता है कि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में ***% की उल्लेखनीय गिरावट आई है। इसी अवधि के दौरान, संबद्ध देशों से आयातों की बाजार हिस्सेदारी में ***% की वृद्धि हुई है। यह प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से

दर्शाती है कि संबद्ध देशों से आयात पाटित कीमतों पर बिक्री करके घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी पर कब्जा कर रहे हैं।

95. यह नोट किया जाता है कि 2022-23 की तुलना में जांच की अवधि में संबद्ध देशों की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है, तथापि, संबद्ध देशों की बाजार हिस्सेदारी आधार वर्ष और 2021-22 के स्तर से ऊपर बनी हुई है।

96. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी तर्क दिया है कि जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री में गिरावट अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री में वृद्धि के कारण है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों की गैर-कैप्टिव बिक्री 2022-23 की तुलना में जांच अवधि में बढ़ी है। घरेलू उद्योग ने स्पष्ट किया है कि ऐसा जांच अवधि के दौरान क्यूसीओ लगाए जाने के कारण हुआ है। इसके अलावा, 2021-22 की तुलना में, अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री में वृद्धि घरेलू उद्योग द्वारा झेली गई समग्र गिरावट के संबंध में काफी नहीं थी और संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा में तीव्र वृद्धि के अनुरूप नहीं थी।

97. इसके अतिरिक्त, 2021-22 अर्थात्, वह अवधि जिसमें मांग का स्तर जांच की अवधि के समान था, से तुलना करने पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारतीय उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में वास्तव में गिरावट आई है, जबकि जांच की अवधि में संबद्ध देशों की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है, जिससे यह सिद्ध होता है कि भारतीय उद्योग ने संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण सामूहिक रूप से बाजार हिस्सेदारी खो दी है।

ग) मालसूची

98. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

मालसूची					
विवरण	**यूओएम**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**जांच की अवधि**
औसत मालसूची	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	72	87	98

99. यह नोट किया जाता है कि 2022-23 तक मालसूची में गिरावट आई, जिसके बाद इसमें वृद्धि हुई और यह लगभग आधार वर्ष के स्तर पर पहुँच गई।

घ) लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय

100. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

लाभप्रदता मापदंड					
विवरण	**यूओएम**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**जांच की अवधि**
बिक्री लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	149	187	142
एनएसआर	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	137	126	119
पीबीटी	रु./एमटी	***	***	(***)	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	82	(170)	5
पीबीआईटी	रु./एमटी	***	***	(***)	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	78	(104)	25
पीबीडीआईटी	रु./एमटी	***	***	(***)	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	65	(44)	60
नकद लाभ	रु./एमटी	***	***	(***)	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	64	(69)	56
नियोजित औसत पूंजी के % के रूप में पीबीआईटी (आरओसीई)	%	***	***	(***)%	***
रेंज	%	0-10	0-10	(10)-0	0-10

101. उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि:

क. घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में वर्ष 2021-22 और 2022-23 की तुलना में जांच की अवधि में गिरावट आई है।

ख. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता और नियोजित पूंजी पर आय में 2022-23 तक काफी गिरावट आई, जिसके बाद मामूली सुधार देखा गया। आवेदक ने अनुरोध किया है कि जांच की अवधि के दौरान, भारत सरकार ने विचाराधीन उत्पाद पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लागू किया था। फलस्वरूप, आयात में आंशिक कमी आई, जिससे पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में थोड़ा सुधार हुआ, जिसके दौरान घरेलू उद्योग को काफी हानियां हुई थीं।

ग. आवेदक ने यह भी अनुरोध किया है कि क्यूसीओ लागू करना घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए एक व्यापक उपाय नहीं है, क्योंकि अधिकतर निर्यातकों ने भारत को निर्यात जारी रखने के लिए आवश्यक प्रमाणपत्र पहले ही

प्राप्त कर लिए हैं। परिणामस्वरूप, यद्यपि कयूसीओ के कारण आयात में अस्थायी रूप से बहुत कम कमी आई हो सकती है, यह कम कीमतों पर आयात के मूलभूत मुद्दे का समाधान नहीं करता है, जो घरेलू उद्योग के निष्पादन पर दबाव बना रहा है।

102. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि लाभप्रदता में गिरावट घरेलू उद्योग द्वारा 2022-23 से अपने संबद्ध पक्षकार, आरआईएल यूएसए इंक. से ईथेन की खरीद के कारण है। यह भी उल्लेख किया गया है कि बाजार आसूचना के माध्यम से रिपोर्ट की गई आरआईएल की ईथेन की खरीद कीमत, अमेरिका से ईथेन की निर्यात कीमत से काफी अधिक है। इसकी जांच करने के लिए, प्राधिकारी ने संपूर्ण क्षति अवधि के लिए ईथेन के खरीद बीजक मांगे। इसकी जांच के आधार पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की ईथेन की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित हैं और घरेलू उद्योग 2022-23 से पहले अन्य असंबद्ध स्रोतों से खरीद के लिए समान मानक का उपयोग कर रहा था। कमीशन और अन्य प्रभार भी उसी रेंज में है। मूल्यह्रास में परिवर्तन के संबंध में, प्राधिकारी ने उसका सत्यापन किया है और जहाँ भी आवश्यक हुआ, उचित समायोजन किया गया है।

103. इक्वेट ग्रुप ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट और पहुँच मूल्य के बीच कोई संबंध नहीं है क्योंकि 2021-22 में पहुँच मूल्य में वृद्धि के बावजूद, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि 2020-21 और 2021-22 के बीच, घरेलू उद्योग पहुँच मूल्य में वृद्धि के अनुरूप अपनी कीमतें बढ़ाने में सक्षम रहा। हालाँकि, संबद्ध आयातों का पहुँच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में वृद्धि के अनुरूप नहीं बढ़ा। तदनुसार, घरेलू उद्योग के लाभ में गिरावट आई।

104. अन्य हित पक्षकारों ने भी आरआईएल की निवेशक प्रस्तुति का हवाला देते हुए तर्क दिया है कि क्षति पाटित आयातों के कारण नहीं, बल्कि वैश्विक अतिक्षमता के कारण है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि निवेशक प्रस्तुतियाँ शेयरधारकों के लिए समेकित कारपोरेट संचार होती हैं, जबकि क्षति परीक्षण घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सत्यापित उत्पाद-विशिष्ट लागत आँकड़ों के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार, निवेशक प्रस्तुतियों में दिए गए पृथक विवरण क्षति के अस्तित्व या गैर-अस्तित्व के बारे में निर्धारक नहीं होते हैं।

ड.) रोज़गार, उत्पादकता और मजदूरी

105. घरेलू उद्योग के रोज़गार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में स्थिति इस प्रकार है:

श्रम और उत्पादकता मापदंड					
विवरण	**यूओएम**	**2020-**	**2021-**	**2022-**	**जांच**

		21	22	23	की अवधि
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	96	95
मजदूरी	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	95	80	92
उत्पादकता/दिन	एमटी/दिन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	86	80

106. यह नोट किया जाता है कि आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में कर्मचारियों की संख्या और उनकी मजदूरी में कमी आई है।

107. घरेलू उद्योग के उत्पादन में कमी के परिणामस्वरूप क्षति अवधि के दौरान प्रति दिन उत्पादकता और प्रति कर्मचारी उत्पादकता में लगातार गिरावट आई है।

च) वृद्धि

वृद्धि				
विवरण	**2021-22**	**2022-23**	**POI**	**आधार वर्ष के संबंध में**
उत्पादन	(***)%	(***)%	(***)%	(***)%
घरेलू बिक्री	(***)%	(***)%	***%	(***)%
लाभ	(***)%	(***)%	***%	(***)%
आरओसीई	(***)%	(***)%	***%	(***)%

108. उपरोक्त से, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में भी नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में घरेलू उद्योग के लाभ में काफी गिरावट आई है। यद्यपि, 2022-23 की तुलना में जांच की अवधि में आरओसीई से संबंधित आंकड़ों में सुधार देखा गया है, फिर भी प्राधिकारी नोट करते हैं कि आधार वर्ष की तुलना में आरओसीई में उल्लेखनीय गिरावट आई है।

छ) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रभाव

109. घरेलू उद्योग का अनुरोध है कि वह लाभ पर पर्याप्त आय अर्जित नहीं कर पाया है और इसलिए, पूंजी निवेश जुटाने की उसकी क्षमता में काफी कमी आई है। यह भी दावा किया गया है कि पाटित आयातों के कारण कोई नया निवेश करने की योजना नहीं बनाई जा

रही है क्योंकि घरेलू उत्पादक पहले से किए गए निवेश पर पर्याप्त आय अर्जित नहीं कर पाए हैं।

ज) पाटन की मात्रा

110. संबद्ध देशों से पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से ऊपर है और इसे काफी माना जाता है।

111. पूर्वोक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई है।

ञ.2. वास्तविक क्षति का खतरा

112. वास्तविक क्षति के अपने दावे के अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने यह भी दावा किया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात से घरेलू उद्योग को और अधिक वास्तविक क्षति होने का खतरा है। आवेदकों ने संबद्ध देशों की खपत, उत्पादन और बिक्री के संबंध में पीसीआई वुडमैकेंज़ी पर आधारित आँकड़े उपलब्ध कराए हैं।

संबद्ध देशों में उत्पादन, मांग और क्षमताएं				
विवरण	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
संबद्ध देशों का उत्पादन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	112	111	113
संबद्ध देशों की क्षमताएं	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	105	105	105
बेकार क्षमताएँ	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	80	82	77
संबद्ध देशों की मांग	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	104	101	106
भारतीय मांग	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	123	135	122
भारतीय मांग के % के रूप में बेकार क्षमता	***	***	***	***
रेंज	110-120	70-80	70-80	70-80

स्रोत: पीसीआई वुड मैकेंज़ी रिपोर्ट

113. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों ने 2021 से 2024 की अवधि के दौरान काफी बेकार क्षमताएँ बनाए रखी हैं। यद्यपि बेकार क्षमताओं में 2021 में *** एमटी से 2024 में *** एमटी तक आंशिक गिरावट आई है, फिर भी ऐसी बेकार क्षमताएँ पर्याप्त बनी हुई हैं। संबद्ध देशों में घरेलू माँग उनकी क्षमताओं की तुलना में नगण्य है। यह दर्शाता है कि संबद्ध देशों में 95% से अधिक उत्पादन घरेलू आवश्यकताओं से अधिक है, जिससे वे संरचनात्मक रूप से निर्यातोन्मुख बन जाते हैं। बढ़ती भारतीय माँग, संबद्ध देशों में नगण्य घरेलू माँग के साथ, भारत को संबद्ध देशों के अधिशेष उत्पादन के लिए एक स्वाभाविक आधार बनाती है।

114. आवेदकों ने यह भी दावा किया है कि संबद्ध देशों के प्रमुख बाजारों में से एक, चीन ने भी एमईजी के उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है और तदनुसार, निर्यात संबद्ध देशों से भारत को भेजा जाएगा। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के प्रतिभागी निर्यातकों द्वारा उनके व्यक्तिगत प्रश्नावली उत्तर के अनुबंध-1 में प्रदान की गई मात्रात्मक सूचना की भी जांच की है। कुवैत के मामले में, प्राधिकारी नोट करते है कि संबद्ध सामानों का उत्पादन 2022-23 की तुलना में जांच की अवधि में बढ़ा है, और भारत को निर्यात बिक्री भी बढ़ी है और जांच की अवधि में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। इसके अतिरिक्त, जांच की अवधि में तीसरे देशों को निर्यात बिक्री में गिरावट आई है। यह नोट किया जाए कि इन बिक्रियों में इक्वेट समूह द्वारा की गई व्यापारिक बिक्री भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, भारत को निर्यात इक्वेट समूह के कुल उत्पादन का लगभग 53% है।

115. सऊदी अरब के मामले में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में भाग लेने वाले उत्पादकों ने केवल जांच की अवधि के लिए बाजार-वार बिक्री सूचना प्रदान की है। तदनुसार, प्राधिकारी ने इस जांच के लिए उनके संबंधित व्यापारी एसएबीआईसी द्वारा की गई बिक्री पर विचार किया है। इसके आधार पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत और तृतीय देशों को संबद्ध सामानों के निर्यात में कैलेंडर वर्ष 2022 में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और फिर कैलेंडर वर्ष 2023 में और वृद्धि हुई, जबकि भारत और तृतीय देशों को निर्यात के लिए जांच की अवधि में आंशिक गिरावट आई। तथापि, क्षति अवधि के दौरान भारत को निर्यात की वृद्धि दर, तृतीय देशों को निर्यात की वृद्धि दर से काफी अधिक रही। उल्लेखनीय है कि भारत को निर्यात में वृद्धि कैलेंडर वर्ष 2022 में हुई, जो यूरोपीय संघ को संबद्ध सामानों के निर्यात के संबंध में एसएबीआईसी समूह पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की अवधि के साथ मेल खाती है।

116. आवेदकों ने तीसरे देशों में एमईजी की मांग भी उपलब्ध कराई है।

तीसरे देशों में एमईजी मांग

विवरण	2021	2022	2023	2024
मांग	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	99	101	107

117. यह नोट किया जाता है कि भारत की तुलना में तीसरे देशों में मांग अपेक्षाकृत स्थिर रही है, जहाँ मांग में काफी वृद्धि देखी गई है। बढ़ती भारतीय मांग और संबद्ध देशों से भारत को संबद्ध सामानों के निर्यात की वृद्धि दर को देखते हुए, प्राधिकारी का मानना है कि संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का निर्यात भारतीय बाजार की ओर मोड़ा जाएगा।

118. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों में उत्पादकों के पास पर्याप्त अधिशेष और बेकार क्षमताएँ हैं, जो उनकी सीमित घरेलू मांग से कहीं अधिक हैं, जिससे वे संरचनात्मक रूप से निर्यातोन्मुख बन जाते हैं। बेकार क्षमताएँ ही भारतीय मांग के एक बड़े हिस्से के बराबर हैं। इसके अलावा, यूरोपीय संघ द्वारा व्यापार सुधारात्मक उपाय लागू करने के कारण, ऐसे निर्यातों के लिए सीमित बाजार हैं। साथ ही, भारतीय मांग में वृद्धि जारी रही है, जिससे भारत निर्यात के लिए एक आकर्षक लक्ष्य स्थान बन गया है।

ञ.3. क्षति का समग्र मूल्यांकन

119. संबद्ध सामानों के आयात और घरेलू उद्योग के निष्पादन की जाँच से निम्नलिखित पता चलता है:

i. संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात संपूर्ण क्षति की अवधि के दौरान निरंतर उच्च स्तर पर बना रहा है। यद्यपि 2022-23 की तुलना में जांच अवधि में मामूली गिरावट आई, फिर भी जांच अवधि में आयात की मात्रा 2020-21 और 2021-22 की तुलना में काफी अधिक थी।

ii. संबद्ध आयातों का पहुँच मूल्य 2022-23 और जांच की अवधि के दौरान उल्लेखनीय रूप से काफी कम हुआ। इस गिरावट के साथ-साथ बड़ी आयात मात्रा ने घरेलू बिक्री कीमतों पर निरंतर गिरावट का दबाव बनाया।

iii. संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती की है और इसकी बिक्री कीमतों का न्यूनीकरण और ह्रास भी किया है, जिससे घरेलू उद्योग अपनी लागतों के अनुरूप कीमतें बढ़ाने से रुक गया है।

iv. आधार वर्ष और 2021-22 की तुलना में, मांग में वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री की मात्रा में गिरावट आई है, जो पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण उद्योग की उत्पादन बढ़ाने में असमर्थता को दर्शाता है। यद्यपि, 2022-23 की तुलना में जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के मापदंडों में आंशिक रूप से सुधार हुआ है, फिर भी 2021-22 की

तुलना में इसकी बाजार हिस्सेदारी निम्न स्तर पर बनी हुई है, जबकि संबद्ध देशों ने मांग के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर कब्जा कर लिया है।

v. घरेलू उद्योग का वित्तीय निष्पादन काफी खराब हो गया है। लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय 2022-23 में नकारात्मक हो गई। 2022-23 की तुलना में जांच की अवधि में मामूली सुधार हुआ, लेकिन घरेलू उद्योग गैर-लाभकारी आय और लाभ अर्जित कर रहा है।

vi. जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची में वृद्धि हुई है।

vii. संबद्ध देश अपनी घरेलू मांग से कहीं अधिक बड़ी उत्पादन क्षमता बनाए रखते हैं, जिसमें बेकार क्षमताएं अकेले भारतीय मांग के ***% के बराबर हैं। संबद्ध देशों के उत्पादक संरचनात्मक रूप से निर्यातोन्मुख हैं।

viii. संबद्ध देशों में पर्याप्त बेकार क्षमता, उन देशों में महत्वपूर्ण घरेलू मांग का अभाव, अन्य प्रमुख बाजारों में प्रतिबंध, तथा बढ़ती भारतीय मांग के संयोजन से यह सिद्ध होता है कि भारत संबद्ध देशों के निर्यातकों के लिए एक स्वाभाविक लक्ष्य है, जिससे आगे और अधिक क्षति का वास्तविक और आसन्न खतरा पैदा हो रहा है।

झ. क्षति मार्जिन की मात्रा

120. प्राधिकारी ने यथासंशोधित अनुबंध III के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत (एनआईपी) निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की क्षति रहित कीमत घरेलू उद्योग द्वारा दी गई उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित की गई है। क्षति मार्जिन के परिकलन के लिए संबद्ध देश से पहुंच कीमत की तुलना करने के लिए क्षति रहित कीमत पर विचार किया गया है। क्षति रहित कीमत के निर्धारण के लिए क्षति की अवधि में कच्ची सामग्री और यूटिलिटियों के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। क्षति की अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। उत्पादन लागत से असाधारण अथवा गैर-आवर्ती व्यय अलग किए गए हैं। विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात औसत निवल अचल परिसंपत्तियां और औसत कार्यशील पूंजी) पर उपयुक्त आय (कर-पूर्व 22% की दर से) पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III मे निर्धारित क्षति रहित कीमत निकालने के लिए कर पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी।

121. सहयोगी निर्यातकों के लिए पहुँच कीमत का निर्धारण निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर किया गया है। संबद्ध देशों के सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पहुँच कीमत निर्धारित की है।

झ.1. संबंधित उत्पादकों और निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन

122. उपरोक्त के अनुसार, संबंधित उत्पादकों और निर्यातकों को एक एकल कंपनी माना गया है और उन्हें एक ही क्षति मार्जिन दिया गया है, जिसकी गणना सहयोगी संबंधित उत्पादकों और निर्यातकों के क्षति मार्जिन के भारित औसत के आधार पर की गई है।

123. ऊपर निर्धारित पहुँच कीमत और क्षति रहित कीमत के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा अनंतिम रूप से निर्धारित क्षति मार्जिन नीचे दी गई तालिका में दिया गया है।

क्षति मार्जिन तालिका

उत्पादक	**क्षति रहित कीमत (डॉ./एमटी)**	**पहुंच कीमत (डॉ./एमटी)**	**क्षति मार्जिन (डॉ./एमटी)**	**क्षति मार्जिन (%)**	**क्षति मार्जिन रेंज**
कुवैत					
इक्वेट पेट्रोकेमिकल कंपनी	***	***	***	***	20-30
कुवैत ओलेफिन्स कंपनी	***	***	***	***	20-30
इक्वेट समूह भारित औसत	***	***	***	***	20-30
अन्य	***	***	***	***	30-40
सऊदी अरब					
अरेबियन पेट्रोकेमिकल कंपनी	***	***	***	***	20-30
ईस्टर्न पेट्रोकेमिकल कंपनी	***	***	***	***	20-30
जुबैल यूनाइटेड पेट्रोकेमिकल कंपनी	***	***	***	***	20-30
सऊदी कायन पेट्रोकेमिकल कंपनी	***	***	***	***	20-30
एसएबीआईसी समूह भारित औसत	***	***	***	***	20-30
अन्य	***	***	***	***	30-40
सिंगापुर					
अन्य	***	***	***	***	20-30

ञ. गैर-आरोपण विश्लेषण और कारणात्मक संपर्क

124. प्राधिकारी ने इस बात की जाँच की कि क्या पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति पहुँची हो सकती है। प्राधिकारी ने पाटित आयातों को छोड़कर अन्य ज्ञात कारकों की भी जाँच की और यह सुनिश्चित किया कि क्या ये कारक भी घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा रहे हैं, ताकि अन्य कारकों, यदि कोई हों, से हुई क्षति पाटित आयातों के कारण न हो। इस संबंध में संगत कारकों में, अन्य बातों के साथ-साथ, पाटित कीमतों पर न बेची गई संबद्ध सामानों की मात्रा, माँग में संकुचन या खपत के पैटर्न में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन और घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल हैं।

क) तृतीय देशों से आयात की मात्रा और मूल्य

125. यह नोट किया जाता है कि गैर-संबद्ध देशों से आयात मात्रा की दृष्टि से नगण्य हैं। संबद्ध देशों से आयात भारत में होने वाले आयात का लगभग 1% है। अतः, हुई क्षति के लिए तृतीय देशों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

ख) मांग में संकुचन

126. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध सामानों की मांग वित्त वर्ष 2022-23 तक बढ़ी है। जांच की अवधि के दौरान मांग में आंशिक गिरावट आई है। तथापि, मांग का स्तर आधार वर्ष और 2021-22 के स्तर से ऊपर बना हुआ है। तदनुसार, प्राधिकारी का मानना है कि मांग में संकुचन के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।

ग) खपत का पैटर्न

127. यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद की खपत के पैटर्न में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी।

घ) प्रतिस्पर्धा की स्थितियाँ और व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां

128. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रतिस्पर्धा की स्थितियों या व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियों का ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति के लिए जिम्मेदार हो सकते हों।

ङ) प्रौद्योगिकी में विकास

129. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध सामानों के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

च) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

130. ऊपर जाँची गई क्षति संबंधी सूचना केवल घरेलू बाजार के संदर्भ में घरेलू उद्योग के निष्पादन से संबंधित है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने जाँच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का निर्यात नहीं किया है। इसलिए, हुई क्षति को घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन के कारण नहीं माना जा सकता।

छ) अन्य उत्पादों का निष्पादन

131. प्राधिकारी ने केवल संबद्ध सामानों के निष्पादन से संबंधित आंकड़ों पर विचार किया है। इसलिए, उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का संभावित कारण नहीं है।

ञ.1. कारणात्मक संपर्क सिद्ध करने वाले कारक

132. यद्यपि नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है, फिर भी प्राधिकारी नोट करते हैं कि निम्नलिखित मापदंड दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है।

i. प्रत्येक संबद्ध देश से संबद्ध आयात न्यूनतम सीमा से ऊपर पाटित किए जा रहे हैं, और संचयी मूल्यांकन उपयुक्त पाया गया है क्योंकि प्रत्येक देश से आयात न्यूनतम मात्रा सीमा से अधिक है।

ii. संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों की मात्रा लगातार उच्च बनी हुई है और 2022-23 की तुलना में जांच की अवधि में गिरावट के बावजूद, भारत में कुल आयात का 99% हिस्सा है और भारतीय मांग का ***% से अधिक है। 2021-22 और जांच की अवधि के बीच, आयात में ***% की वृद्धि हुई जबकि मांग में केवल ***% की वृद्धि हुई।

iii. घरेलू उद्योग की खपत और उत्पादन के संबंध में संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों की मात्रा में भी वृद्धि हुई है।

iv. संबद्ध देशों की पहुँच कीमत एनएसआर से कम है, जिससे जाँच की अवधि में सकारात्मक कीमत कटौती हो रही है।

v. 2022-23 से, संबद्ध देशों की पहुंच कीमत में गिरावट आई है, जबकि मात्रा उच्च बनी हुई है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग के एनएसआर में भी यही गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है, जो कीमत ह्रास/न्यूनीकरण दर्शाता है। जाँच की अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग को लागत के करीब बिक्री करने के लिए मजबूर होना पड़ा और वह लागत के अनुरूप कीमतें नहीं बढ़ा सका।

vi. जाँच की अवधि में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा ***% था। यद्यपि 2022-23 की तुलना में आंशिक सुधार हुआ है, फिर भी यह 2020-21 और 2021-22 के स्तर से काफी नीचे बना हुआ है।

vii. आधार वर्ष की तुलना में जाँच अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता के मापदंडों में काफी गिरावट आई है। लाभ ***% से कम हो गया है जबकि आरओसीई ***% तक कम हो गया है।

133. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि संबद्ध सामानों के पाटन और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच एक कारणात्मक संपर्क मौजूद है।

ट. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

134. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. एमईजी को शुद्ध टेरेफ्थैलिक अम्ल ("पीटीए") के साथ मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया जाता है जिसे मेल्ट कहा जाता है, जिसका उपयोग सिंथेटिक यार्न के उत्पादन में किया जाता है। मेल्ट की लागत में एमईजी का योगदान 23.40% है और पाटनरोधी शुल्क लगाने से निचले स्तर के उद्योग पर काफी प्रभाव पड़ेगा।

ख. 20%-30% पाटनरोधी शुल्क लगाने से एमईजी की कीमतों में 5.10 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि होगी। यदि एमईजी पर शुल्क लगाया जाता है, तो भारतीय विनिर्माण उद्योग अपने प्रचालनों का विस्तार नहीं कर पाएगा क्योंकि वह अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर एमईजी की खरीद नहीं कर पाएगा।

ग. वित्त मंत्रालय ने पीटीए पर शुल्कों के प्रतिकूल प्रभाव को स्वीकार किया था और तदनुसार, पाँच वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले शुल्कों को समाप्त कर दिया था।

घ. आवेदक ने कथित 0.3% के प्रभाव की गणना कैसे की गई है, इसका अगोपनीय विवरण प्रदान नहीं किया है। उत्पादन और वितरण के प्रत्येक चरण में अपेक्षाकृत छोटी लागत वृद्धि, विशेष रूप से कम मार्जिन पर काम करने वाले उद्योगों में, जटिल हो सकती है।

ड. विचाराधीन उत्पाद, पॉलिएस्टर फाइबर, वस्त्र और विभिन्न निचले स्तर के उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट है, और पैकेजिंग, सौंदर्य प्रसाधन और ईवी बैटरी जैसे क्षेत्रों के लिए आवश्यक है। भारत का घरेलू उत्पादन अपर्याप्त है, जिसका 70% से अधिक हिस्सा निजी उपयोग में ही कैप्टिव रूप से खपत होता है, जिससे मांग को पूरा करने के लिए आयात करना आवश्यक हो जाता है। विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क निचले स्तर के उद्योगों की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकता है, जिससे पॉलिएस्टर वस्त्र और पीईटी पैकेजिंग अधिक महंगी हो जाएगी, उल्टा शुल्क ढांचा और भी जटिल हो जाएगा और प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित होगी। इससे 40,000 से अधिक छोटे और मध्यम आकार के निर्माताओं पर असर पड़ेगा, नौकरियों पर खतरा मंडराएगा और लिथियम-आयन बैटरी की लागत में वृद्धि के कारण भारत के ईवी लक्ष्यों में बाधा आएगी। कुल मिलाकर, पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारतीय अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

च. पाटनरोधी शुल्क लगाने से पूरे टेक्सटाइल क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो पहले से ही कीमत दबाव में है। आवेदक अंतिम उत्पादों के लिए एमईजी का एक बड़ा हिस्सा निजी तौर पर उपयोग करता है, अन्य उत्पादकों को नुकसान

होगा, उन्हें आवेदक के साथ प्रतिस्पर्धा करने और महंगा कच्चा माल खरीदते हुए एमईजी का आयात करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

छ. पाटनरोधी शुल्क लगाने से पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर ("पीएसएफ") की विनिर्माण लागत में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, क्योंकि घरेलू उद्योग लगभग पूरी क्षमता से काम कर रहा है, इसके बावजूद उच्च पहुंच लागत और घरेलू आपूर्ति की भारी कमी है। इसके अतिरिक्त, घरेलू एमईजी की कीमतों में पाटनरोधी शुल्क के साथ-साथ वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे मानव निर्मित फाइबर मूल्य श्रृंखला में लागत और बढ़ जाएगी। इससे भारतीय पीएसएफ और निचले स्तर के उद्योगों पर सस्ते आयात के कारण पहले से ही पड़ रहा कीमत निर्धारण का दबाव और बढ़ जाएगा, जिससे वे कम प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे, व्यवसाय बंद होने का जोखिम होगा और संभावित रूप से नौकरी छूटने की संभावना होगी। पीएसएफ जैसे कम मार्जिन वाले व्यवसाय के लिए, 100 डॉलर/एमटी का पाटनरोधी शुल्क कच्चे माल की लागत में 2,530 रुपये/एमटी की वृद्धि करेगा, जिससे काफी वित्तीय भार बढ़ेगा और इस क्षेत्र की अर्थ क्षमता को खतरा होगा।

ज. आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से निचले स्तर के उत्पादों की लागत बढ़ जाएगी, जिससे घरेलू और निर्यात बाजारों में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो जाएगी। खरीदारों के पास सीमित खरीद विकल्प हो सकते हैं, जिससे पहले से ही आपूर्तिकर्ताओं की कम संख्या के कारण एकाधिकार की स्थिति पैदा हो सकती है। इससे संकटग्रस्त टेक्सटाइल उद्योग के लिए चुनौतियाँ और बढ़ जाएँगी। इसके अतिरिक्त, विचाराधीन उत्पादकों के बीच भारतीय मानक ब्यूरो के प्रमाणन की कमी के कारण उत्पाद की उपलब्धता और भी सीमित हो जाती है।

झ. टेक्सटाइल उद्योग के लिए एक प्रमुख कच्चे माल, विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से घरेलू कीमतें बढ़ेंगी, जिससे टेक्सटाइल यार्न की उत्पादन लागत बढ़ जाएगी। इससे माँग कम होगी, उत्पादन दर कम होगी और लाभ मार्जिन पर दबाव पड़ेगा। फलस्वरूप, घरेलू बाजारों में टेक्सटाइल क कीमतों में वृद्धि होगी, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता कमजोर होगी। विचाराधीन उत्पाद की कमी के कारण, घरेलू निर्माता अपनी कीमतें आयातित कीमतों के अनुरूप कर देंगे, जिससे लागत और बढ़ जाएगी।

ट.2 घरेलू उद्योग की ओर से अनुरोध

135. घरेलू उद्योग की ओर से निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. भारतीय एमईजी उद्योग एकाधिकार नहीं है, जैसा कि भारत के दो अन्य महत्वपूर्ण उत्पादकों (आईजीएल और आईओसीएल) और विशेष रूप से, आईओसीएल द्वारा अपनी क्षमताओं के हालिया विस्तार से प्रमाणित होता है। उद्योग में प्रतिस्पर्धा के लिए वास्तविक खतरा भारी पाटन है, जिसने किसी भी

अन्य नए प्रवेशकों के प्रवेश में बाधा उत्पन्न की है; और मौजूदा व्यापारियों को उद्योग में आगे कोई निवेश करने से भी रोक रहा है।

ख. संबद्ध सामानों का प्रयोग मुख्य रूप से पॉलिएस्टर-आधारित कपड़ों और पीईटी बोतलों के निर्माण में किया जाता है। पाटनरोधी शुल्क के संबंध में विस्तृत परिकलन पहले ही प्रस्तुत किए जा चुके हैं, जो स्पष्ट रूप से सिद्ध करते हैं कि लगभग 50 अमेरिकी डॉलर/एमटी के पाटनरोधी शुल्क का अंतिम प्रयोक्ता पर प्रभाव 0.3% या उससे कम होगा।

ग. मौखिक सुनवाई के दौरान, कुछ हितबद्ध पक्षकारों/प्रयोक्ता उद्योगों ने दावा किया कि यदि 30% शुल्क लगाया जाता है, तो पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर ("पीएसएफ") पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव 15% की रेंज में होगा।

घ. आवेदक ने अनुरोध किया है कि मध्यवर्ती कच्चा माल होने के कारण, 4.28% का प्रभाव पीएसएफ आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अगले चरण के उपभोक्ताओं पर आसानी से डाला जा सकता है। शुल्क केवल अंतिम उपभोक्ताओं के हाथों में लागत बन जाते हैं, जिन पर शुल्क का प्रभाव, निर्विवाद रूप से, 0.3% से अधिक नहीं होगा।

ङ. तत्काल निचले स्तर के उत्पाद और अंतिम उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव न्यूनतम है।

च. गणना की परिकलन की भारी अशुद्धि के बावजूद, पॉलिएस्टर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने "मेल्ट" पर प्रभाव का आकलन करने का सुझाव दिया है, जो एक ऐसा उत्पाद है जो बाजार में वाणिज्यिक रूप से बेचा भी नहीं जाता है। तदनुसार, आवेदक प्राधिकारी से इन अनुरोधों को अनदेखा करने का अनुरोध करता है।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

136. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए जांच की शुरुआत की अधिसूचना जारी की है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं से वर्तमान जाँच से संबंधित संगत सूचना प्रदान करने का अनुरोध किया है, जिसमें अंतिम प्रयोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का संभावित प्रभाव, विचाराधीन उत्पाद की प्रतिस्थापनीयता, माँग की कीमत-संवेदनशीलता, दीर्घकालिक संविदा आदि शामिल हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध सामानों के कई प्रयोक्ताओं ने वर्तमान जाँच में भाग लिया है। प्रयोक्ता उद्योग ने अपने उत्तर में निम्नलिखित मुद्दों पर प्रकाश डाला है:

क. बीकेलॉन, गार्डन सिल्क्स, डीएनएच, सनाथन और वेलनोउन उल्लेख किया है कि विचाराधीन उत्पाद पर पहले से ही 18% जीएसटी लागू है और इस बात पर प्रकाश डाला है कि कच्चे माल एमईजी और अंतिम उत्पाद, मानव निर्मित

फाइबर के बीच कर अंतर है। पाटनरोधी शुल्क लगाने से समस्या और बढ़ जाएगी।

ख. बीकेलॉन, गार्डन सिल्क्स, डीएनएच, सनाथन और वेलनोउन ने भी उल्लेख किया है कि उन्हें भारत में विचाराधीन उत्पाद उत्पादकों के प्रतिस्पर्धा-विरोधी या भेदभावपूर्ण व्यवहार की जानकारी नहीं है।

ग. बीकेलॉन, गार्डन सिल्क्स, डीएनएच, सनाथन और वेलनोउन ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि शुल्क लगाए जाने की स्थिति में भारत में विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति में कमी आ जाएगी।

घ. फिलाटेक्स ने कहा है कि टेक्सटाइल उद्योग में लाभ मार्जिन बहुत कम है और विचाराधीन उत्पाद के आयात पर शुल्क लगाने से निचले स्तर के उद्योगों का लाभ और भी कम हो जाएगा, जो ऐसे उद्योगों के होने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

ङ. इंडोरामा सिंथेटिक्स ने उल्लेख किया है कि भारत में एमईजी की मांग उत्पादन क्षमता से अधिक है। इसलिए, अधिकांश उत्पादक विचाराधीन उत्पाद के आयात पर निर्भर हैं। विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से टेक्सटाइल बाजार अप्रतिस्पर्धी हो जाएगा।

च. बॉम्बे डाइंग का अनुरोध है कि भारतीय पीएसएफ उद्योग और निचले स्तर के मानव निर्मित फाइबर श्रृंखला पहले से ही चीन जैसे देशों से सस्ते आयात के कारण भारी कीमत निर्धारण दबाव का सामना कर रहा है और पाटनरोधी शुल्क लागू होने से पीएसएफ उत्पादकों की लागत बढ़ जाएगी।

छ. पीटीए प्रयोक्ता एसोसिएशन ने तर्क दिया है कि एमईजी "पॉलिएस्टर मेल्ट" की लागत का 23.40% है। अत:, पाटनरोधी शुल्क लागू होने से निचले स्तर के उत्पाद पर काफी प्रभाव पड़ेगा।

ज. भिलोसा इंडस्ट्रीज ने अनुरोध किया है कि मानव निर्मित फाइबर उद्योग कम लाभ मार्जिन पर काम करता है और शुल्क लागू होने की स्थिति में, कंपनी के पास निचले स्तर के प्रयोक्ताओं पर बढ़ी हुई लागत डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि 30% शुल्क मार्जिन से पीएसएफ (एक मध्यवर्ती उत्पाद) पर 10-15% प्रभाव पड़ेगा।

137. घरेलू उद्योग ने अंतिम उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव पर विचार करने के बाद अंतिम उपभोक्ता पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव का परिकलन भी दिया है, जिसका अनुमान उन्होंने 1% से कम लगाया है। घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव के संबंध में भिलोसा इंडस्ट्रीज द्वारा प्रस्तुत परिकलन पर भी विवाद किया है और अनुरोध किया है कि पीएसएफ एक मध्यवर्ती उत्पाद है। पीएसएफ पर पाटनरोधी शुल्क का अधिकतम प्रभाव 4% होगा, जिसे अंतिम उपभोक्ताओं पर आसानी से डाला जा सकता है।

138. प्राधिकारी नोट करते हैं कि व्यापार सुधारात्मक उपाय लागू करने का उद्देश्य आयातों को प्रतिबंधित करना नहीं है, बल्कि अनुचित व्यापार परिपाटियों से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करना और भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा स्थापित करना है। प्राधिकारी वास्तव में जानते हैं कि ऐसे शुल्कों का प्रभाव केवल विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विचाराधीन उत्पाद के प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं को भी प्रभावित करता है। यद्यपि शुल्क लगाने से घरेलू स्तर पर प्रतिस्पर्धा संबंधी चिंताएँ उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन साथ ही यह देश के भीतर नए उत्पादकों के उद्भव या आगे के निवेश को भी प्रोत्साहित कर सकता है।

139. प्राधिकारी नोट करते हैं कि व्यापार सुधारात्मक उपायों को लागू करने का उद्देश्य घरेलू उत्पादकों के लिए समान अवसर बहाल करना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि निचले स्तर के प्रयोक्ताओं को उचित और क्षतिरहित कीमतों पर संबद्ध सामानों तक पहुँच मिलती रहे। प्राधिकारी नोट करते हैं कि निरंतर और बेरोकटोक अनुचित व्यापार परिपाटियों का घरेलू उद्योग की कीमतों और स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल क्षमता में भविष्य के निवेश हतोत्साहित होंगे, जिससे भारत की दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता कमजोर होगी। इस प्रकार, व्यापार सुधारात्मक उपायों को लागू करने से न केवल घरेलू उद्योग को समान शर्तों पर प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी, बल्कि आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों से प्रयोक्ताओं का जोखिम भी कम होगा, जिससे प्रयोक्ता उद्योग दीर्घावधि में कई स्रोतों से संबद्ध सामानों को अधिक प्रतिस्पर्धी रूप से खरीद सकेगा।

140. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई प्रतिक्रिया और अनुरोधों के आधार पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रयोक्ता उद्योग वर्तमान में विचाराधीन उत्पाद और अंतिम उत्पाद पर भिन्न जीएसटी के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहा है और उन्होंने वस्त्र मंत्रालय के समक्ष इस बात को उजागर किया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि किसी भी प्रयोक्ता ने विचाराधीन उत्पाद के भारतीय उत्पादकों द्वारा किसी भी प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार या भेदभावपूर्ण व्यवहार का उल्लेख नहीं किया है।

141. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि वस्त्र उद्योग में लाभ मार्जिन बहुत कम है और शुल्क लगाने से उनकी लाभप्रदता प्रभावित होगी।

142. पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर के संबंध में, प्राधिकारी ने भिलोसा इंडस्ट्रीज द्वारा प्रस्तुत गणना की जाँच की है और उसे गलत पाया है। उदाहरण के लिए, पीएसएफ पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की गणना करते समय, प्रयोक्ता उद्योग ने एमईजी पर प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क को तैयार उत्पाद के कुल मूल्य के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया है,

इस तथ्य की स्पष्ट रूप से अनदेखी करते हुए कि पाटनरोधी शुल्क के कारण एमईजी की कीमतों में वृद्धि केवल एमईजी के कारण होने वाली लागत को प्रभावित करेगी, जो पीएसएफ के कुल मूल्य का केवल 16% है। इसे नीचे दर्शाया गया है।

विवरण	**गणना विधि**	**मूल्य**
एमईजी की कीमत (रु./एमटी)	ए	43,987
पीएसएफ की कीमत (रु./एमटी)	बी	***
पीएसएफ में एमईजी का %	सी	***
पाटनरोधी शुल्क (केवल उदाहरण) (*** डॉ./एमटी)	डी	***
पीएसएफ पर पाटनरोधी शुल्क प्रभाव (जैसा कि प्रयोक्ताओं द्वारा आरोप लगाया गया है) की गणना पाटनरोधी शुल्क/तैयार उत्पाद के मूल्य के रूप में की जाती है।	ई=डी/बी	***
पीएसएफ में एमईजी लागत (रु./एमटी)	एफ=सी*बी	***
एमईजी लागत पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव (रु./एमटी)	जी= एफ * (डी/ए)	***
पीएसएफ पर प्रभाव	I = जी/बी	3.6%

143. इस प्रकार, एक मध्यवर्ती उत्पाद, पीएसएफ पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का प्रभाव केवल 3.6% हो सकता है। यह नोट किया जाता है कि यदि शुल्क लगाया जाता है, तो इसका प्रभाव काफी नहीं होगा। यह भी नोट किया जाता है कि किसी भी प्रयोक्ता ने यह तर्क नहीं दिया है कि वे इस लागत को अंतिम उपभोक्ताओं पर नहीं डाल सकते। इसके अलावा, किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने अंतिम उपभोक्ता पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव का विवरण नहीं दिया है। और न ही पीएसएफ जैसे तात्कालिक निचले स्तर के उत्पादों और पॉलिएस्टर मेल्ट जैसे मध्यवर्ती उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव के संबंध में गणना प्रदान की है। हालाँकि, किसी भी प्रयोक्ता ने अंतिम उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव का विवरण नहीं दिया है।

144. दूसरी ओर, घरेलू उद्योग ने विभिन्न अंतिम उपभोक्ता उत्पादों, अर्थात् पीईटी बोतलों और परिधानों (पुरुषों की शर्ट और महिलाओं की साड़ियों) पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की गणना प्रस्तुत की है। इसे नीचे दर्शाया गया है:

अंतिम उत्पाद		**पीईटी आधारित अंतिम उत्पाद**			**यार्न आधारित अंतिम उत्पाद**	
विवरण	**यूओएम**	**पेय जल**	**कार्बोनेटेड**	**यूओएम**	**पुरुषों की**	**साड़ी**

			पेय		**शर्ट**	
मात्रा/ लंबाई	एमएल	1000	750	m	2.5	6
खुदरा मूल्य	रु.	20	40	रु.	350	300
पॉलिएस्टर जीएसएम	जीएम/एम	एनए	एनए	जीएम/एम	110	90
वजन	जीएम	18	25	जीएम	275	420
एमईजी मानक	किग्रा./किग्रा.	0.35	0.35	किग्रा./किग्रा.	0.35	0.35
एमईजी कीमत	रु./किग्रा.	44.00	44.00	रु./किग्रा.	44.00	44.00
अंतिम उत्पाद में एमईजी	जीएम	6.3	8.75	जीएम	96.25	147
अंतिम उत्पाद में एमईजी मूल्य	रु.	0.28	0.39	रु.	4.24	6.47
अंतिम उत्पाद में एमईजी %	**%**	**1.4%**	**1.0%**	**%**	**1.2%**	**2.2%**
एमईजी पाटनरोधी शुल्क दर	डॉ./एमटी	***	***	डॉ./एमटी	***	***
एमईजी पाटनरोधी शुल्क दर	रु./कि.ग्रा.	***	***	रु./कि.ग्रा.	***	***
एमईजी पाटनरोधी शुल्क प्रभाव	रु.	0.06	0.09	रु.	0.95	1.45
अंतिम उत्पाद कीमत का प्रभाव %	**%**	**0.31%**	**0.22%**	**%**	**0.27%**	**0.48%**

145. उपर्युक्त के आधार पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से अंतिम उत्पाद की कीमत पर 1% से भी कम प्रभाव पड़ेगा, जिसे वह आसानी से अंतिम उपभोक्ताओं पर डाल सकता है।

146. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भी टिप्पणी की है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से देश में आरआईएल का एकाधिकार हो जाएगा। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आरआईएल के अलावा, भारत में एमईजी के दो अन्य उत्पादक, अर्थात आईओसीएल और आईजीएल हैं।

आईओसीएल ने हाल ही में अपने पानीपत संयंत्र में एमईजी का विस्तार किया है और पारादीप कॉम्प्लेक्स में नए एमईजी संयंत्र का भी प्रचालन किया है। इसके अलावा, प्रयोक्ता उद्योग की प्रतिक्रिया के आधार पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारतीय प्रयोक्ताओं ने आरआईएल और आईओसीएल दोनों से बड़ी मात्रा में विचाराधीन उत्पाद खरीदा है।

147. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी तर्क दिया है कि वे चीन से निचले स्तर के उत्पादों के सस्ते आयात के कारण पहले से ही दबाव में हैं और पाटनरोधी शुल्क लगाने से स्थिति और बिगड़ जाएगी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन से पीईटी रेजिन, जो एक निचले स्तर के उत्पाद है, का आयात पहले से ही पाटनरोधी शुल्क के अधीन है। इसके अतिरिक्त, यदि अन्य निचले स्तर के उत्पादों का आयात भारत में पाटन किया जा रहा है, तो वे उचित समाधान के लिए इस प्राधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

148. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि संबद्ध सामानों पर क्यूसीओ लगाए जाने के कारण, भारतीय बाजार तक पहुँच प्रतिबंधित हो गई है, जिससे भारत में एमईजी की आपूर्ति सीमित हो गई है, जो पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से और भी बढ़ जाएगी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्यूसीओ एक नियामक उपाय है, जिसका उद्देश्य आयात और घरेलू उत्पादन एवं बिक्री की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है, प्रयोक्ता उद्योग के हितों को बढ़ावा देना है और यह संबद्ध देशों या अन्यत्र से आयात को नहीं रोकता है। इसके अतिरिक्त, किसी भी प्रतिभागी निर्यातक ने यह दावा नहीं किया है कि उन्हें अपेक्षित प्रमाणन प्राप्त नहीं हुआ है।

149. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी उल्लेख किया है कि भारत में विचाराधीन उत्पाद की माँग और आपूर्ति में काफी अंतर मौजूद है। जैसा कि ऊपर दिए गए खंडों में जांच की गई है, जांच की अवधि के अंत में आईओसीएल की नई क्षमता के चालू होने के बाद, प्राधिकारी ने पाया है कि बढ़ती भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता मौजूद है। इसके अलावा, पाटनरोधी शुल्क लगाने से किसी भी तरह से संबद्ध देशों से भारत में संबद्ध सामानों के आयात पर रोक नहीं लगेगी, बल्कि इससे केवल भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करते हुए कीमतों में सुधार होगा। इसके अतिरिक्त, ऐसे सामानों का गैर-संबद्ध देशों से भी आयात किया जा सकता है, जिससे भारतीय एमईजी बाजार और अधिक प्रतिस्पर्धी बन जाएगा।

ठ. <u>प्रकटीकरण के बाद प्रस्तुतियाँ</u>

ठ.1 अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा प्रस्तुतियाँ

150. अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दी गई हैं:

i. प्राधिकारी ने जांच अवधि के बाद की अवधि सहित संपूर्ण क्षति जांच अवधि के दौरान आरआईएल द्वारा किए गए आयातों का विश्लेषण नहीं किया है, तथा क्षति निर्धारण पर ऐसे आयातों के पूर्ण प्रभाव की उपेक्षा की है।

ii. आईजीएल के आंकड़ों पर भरोसा करना गलत है क्योंकि उसने लागत या क्षति के आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं। इंडिया ग्लाइकॉल लिमिटेड ने ट्रेड नोटिस संख्या 13/2018 और 14/2018 के अनुसार जानकारी दाखिल नहीं की है।

iii. प्राधिकरण के पास वर्तमान एंटी-डंपिंग आवेदन पर विचार करने का अधिकार नहीं है।

iv. कम शुल्क नियम के सिद्धांत के अनुसार प्राधिकरण को भारित औसत/व्यक्तिगत उत्पादक के डंपिंग मार्जिन और क्षति मार्जिन में से न्यूनतम शुल्क लगाना होगा।

v. प्रकटीकरण विवरण के पैरा 46 (ए) में प्राधिकरण ने संकेत दिया है कि उसने शर्क की उत्पादन लागत को स्वीकार कर लिया है, लेकिन उसने यह उल्लेख नहीं किया है कि अन्य उत्पादकों द्वारा बताई गई लागत को स्वीकार किया गया है या नहीं।

vi. प्राधिकरण ने प्रतिवादियों के वास्तविक आंकड़ों की अनदेखी की है, जबकि ऐसे आंकड़े प्रतिवादियों के रिकार्ड से मेल खाते हैं तथा आवश्यक सिस्टम डंप के माध्यम से सत्यापित किए गए हैं।

vii. प्राधिकरण ने बिना कोई औचित्य बताए उत्तरदाताओं के वास्तविक आंकड़ों को अघोषित समायोजित आंकड़ों से बदल दिया है।

viii. इक्वेट और टीकेओसी की उत्पादन लागत में क्रमशः *** % और *** % की वृद्धि हुई है। उसी उत्पाद और उसी कंपनी के लिए, प्राधिकारी ने पिछली जाँच में कोई समायोजन नहीं किया था। दोनों जाँचों में कोई अंतर न होने के कारण, प्राधिकारी को निर्यातकों द्वारा दावा की गई उत्पादन लागत को स्वीकार करना चाहिए था।

ix. प्राधिकरण ने प्रतिवादियों के समक्ष आवश्यक तथ्यों का खुलासा नहीं किया है, जैसा कि एंटी-डंपिंग नियम, 1995 के नियम 16 के अंतर्गत अपेक्षित है और यह रूस - वाणिज्यिक वाहन मामले में पैनल के निर्णय के विपरीत है। एसओपी के मैनुअल में कार्यप्रणाली सहित सामान्य मूल्य का विस्तृत खुलासा अपेक्षित है।

x. एंटी-डंपिंग समझौते के अनुच्छेद 2.2.2 के अनुसार, प्राधिकरण को निर्यातकों के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर एसजीए और लाभ मार्जिन की गणना करनी होगी। प्राधिकरण ने निर्यातकों की वास्तविक लागतों में कुछ अघोषित समायोजन

किए हैं और इस प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और न्यायाधिकरणों द्वारा निर्धारित प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है।

xi. प्राधिकरण द्वारा निर्धारित एसजीए और लाभ कंपनी के अभिलेखों में रखे गए वास्तविक आंकड़ों से कहीं अधिक हैं। प्राधिकरण ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि सामान्य मूल्य की गणना के लिए अपनाया गया एसजीए और लाभ घरेलू बाजार में समान सामान्य श्रेणी के उत्पादों के उत्पादकों द्वारा सामान्यतः प्राप्त लाभ से अधिक है या नहीं।

xii. प्राधिकरण को अपनी प्रथा के अनुसार निर्यातकों के सामान्य मूल्य की गणना के लिए 5% लाभ मार्जिन अपनाना चाहिए।

xiii. प्राधिकरण ने पेट्रोकेमिया, सऊदी कायान और यूनाइटेड के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित करने हेतु एसजीए लागत को दो बार जोड़ा है।

xiv. प्राधिकरण को व्यापारी के लाभ मार्जिन को समायोजित करना चाहिए तथा निर्यात मूल्य में अप्रत्यक्ष एसजीए को अवश्य जोड़ा जाना चाहिए।

xv. चीन - एचपी-एसएसएसटी (ईयू) मामले में अपीलीय निकाय ने माना कि प्राधिकरण के लिए केवल उन आंकड़ों का उल्लेख करना पर्याप्त नहीं है जो इसकी गणना का आधार बनते हैं, बल्कि उसे आंकड़ों का खुलासा करना होगा।

xvi. अनुच्छेद 2.2.1.1, प्राधिकारी को उत्पादन लागत की गणना के लिए निर्यातक के अभिलेखों का उपयोग करने के लिए बाध्य करता है, यदि ऐसी जानकारी अनुच्छेद में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करती है। वर्तमान मामले में, SABIC द्वारा निर्यातकों को प्रदान की गई जानकारी ऐसी शर्तों को पूरा करती है और इसलिए, प्राधिकारी को ऐसी जानकारी पर भरोसा करना चाहिए था, जब तक कि उन्हें ऐसी जानकारी को नज़रअंदाज़ करने के लिए कोई ठोस कारण न मिले।

xvii. प्राधिकरण को उत्पादन लागत की गणना करते समय इन्वेंट्री समायोजन की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए क्योंकि ऐसे समायोजनों में अन्य समायोजन शामिल होते हैं जैसे कि ***

xviii. प्राधिकरण आईओसीएल सहित अन्य उत्पादकों से आंकड़े मांगने में विफल रहा है और इस प्रकार, प्राधिकरण ने उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। आईओसीएल के आंकड़ों और प्रतिक्रिया को शामिल न करने से क्षति और कारण विश्लेषण की निष्पक्षता कमज़ोर होती है।

xix. उपयोगकर्ता उद्योग का मानना है कि आईओसीएल पीयूसी पर मुनाफ़ा कमा रहा है। तदनुसार, उत्तरदाताओं का मानना है कि बाजार में आईओसीएल का प्रदर्शन आरआईएल के क्षति दावों के विपरीत है।

xx. वित्त वर्ष 2021-22 से पीयूसी की निर्यात बिक्री में भारी गिरावट आई है, जबकि 2020-21 से वैश्विक स्तर पर पीयूसी की समग्र मांग बढ़ रही है, जिससे आरआईएल के आर्थिक मानदंड नकारात्मक हो रहे हैं।

xxi. आईओसीएल के हालिया क्षमता विस्तार के बावजूद, आरआईएल की बाजार हिस्सेदारी 75-90% है। केवल आरआईएल के प्रदर्शन पर आधारित क्षति विश्लेषण को घरेलू उद्योग का प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता।

xxii. यदि आयात क्षति का कारण होता, तो अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री भी घरेलू उद्योग की बिक्री के साथ-साथ कम हो जाती। हालाँकि, बिक्री के रुझानों में भिन्नता कथित डंपिंग और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध पर प्रश्नचिह्न लगाती है।

xxiii. आरआईएल ने जांच की अवधि के दौरान सऊदी अरब और सिंगापुर से 14,330 मीट्रिक टन का आयात किया तथा जांच की अवधि के बाद उसने सऊदी अरब और अमेरिका से 22,392 मीट्रिक टन एमईजी का आयात किया है।

xxiv. प्राधिकरण ने आयात की मात्रा में 19% की गिरावट को नगण्य माना है, जबकि उत्पादन में 16% की गिरावट को महत्वपूर्ण माना है।

xxv. आधार वर्ष के साथ प्राधिकरण की तुलना गलत है क्योंकि यह कोविड-19 महामारी के साथ मेल खाता है जब मांग और आपूर्ति असामान्य रूप से कम थी।

xxvi. प्राधिकरण ने इस तथ्य की अनदेखी की है कि आयात की मात्रा में गिरावट के बावजूद घरेलू उद्योग की बिक्री में गिरावट आई है, जबकि अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री में वृद्धि हुई है। इस प्रकार, आयात क्षति का कारण नहीं है।

xxvii. मूल्य कटौती का आकलन सम्पूर्ण क्षति अवधि के लिए किया जाना चाहिए, न कि केवल जांच अवधि के लिए।

xxviii. क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयातों पर निरंतर गिरावट का दबाव नहीं पड़ा है क्योंकि आयात कीमतें वास्तव में जांच अवधि में 100 से बढ़कर 113 हो गई हैं। जांच अवधि में आयात की मात्रा 2022-23 की तुलना में बढ़ी नहीं है, बल्कि घटी है।

xxix. घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में ईथेन की कीमतों के रुझान का अनुसरण किया गया है। तदनुसार, लाभप्रदता में गिरावट सहयोगी कंपनियों से खरीदे गए ईथेन की कीमतों में वृद्धि के कारण है।

xxx. 2020-21 की तुलना में 2021-22 में कुवैत से आयात की कीमतें बढ़ने पर घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि स्थिति और बिगड़ गई। अगर आयात वास्तव में इसके लिए ज़िम्मेदार होता, तो 2021-22 में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में सुधार होता।

xxxi. इसके अलावा, जांच अवधि में आयात कीमतों में गिरावट के साथ, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में सुधार हुआ है, जो आगे यह स्थापित करता है कि कथित क्षति और आयात के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।

xxxii. अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क में गिरावट के कारण भारतीय कीमतों में गिरावट के संबंध में, प्राधिकरण ने रसायनों में कमोडिटी चक्र की अनदेखी की है।

xxxiii. बाजार हिस्सेदारी के संबंध में, प्राधिकारी ने अन्य भारतीय उत्पादकों के प्रभाव को खारिज कर दिया है और माना है कि घरेलू उद्योग ने पाटित आयातों के कारण अपनी हिस्सेदारी खो दी है। आंकड़े दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग और अन्य उत्पादकों, दोनों की गैर-कैप्टिव बिक्री 2022-23 की तुलना में जांच अवधि में बढ़ी है (84 से 156 तक), जो आयातों द्वारा अधिग्रहण के बजाय भारतीय आपूर्तिकर्ताओं के भीतर पुनर्वितरण को दर्शाती है। इस तत्व की अनदेखी करना और आवेदक की बाजार हिस्सेदारी में पूरी गिरावट के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार ठहराना विश्लेषणात्मक रूप से अनुचित है।

xxxiv. प्राधिकरण ने निष्कर्ष निकाला है कि लाभप्रदता में गिरावट केवल इसलिए आई क्योंकि घरेलू उद्योग की लागत के अनुरूप भूमि मूल्य में वृद्धि नहीं हुई। यह तर्क घरेलू उद्योग की अपनी लागत वृद्धि का बोझ प्रभावी रूप से आयात पर डाल देता है।

xxxv. घरेलू उद्योग ने प्रतिवादी के इस दावे का खंडन नहीं किया है कि सहयोगी कंपनियों से ईथेन की खरीद पूरी तरह से उचित नहीं है और कृत्रिम रूप से बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई प्रतीत होती है। केवल यह कहना कि ईथेन की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क पर आधारित हैं, पर्याप्त नहीं है।

xxxvi. घरेलू उद्योग द्वारा अपने सहयोगी से इथेन की खरीद मूल्य की जांच की जा सकती है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या यह उचित सीमा के भीतर है।

xxxvii. प्राधिकरण द्वारा आरआईएल के निवेशक प्रस्तुतीकरणों को खारिज करना अनुचित है। ये प्रस्तुतीकरण कोई सामान्य बयान नहीं हैं, बल्कि सख्त कॉर्पोरेट और प्रतिभूति कानून दायित्वों के तहत शेयरधारकों को दिए गए आधिकारिक खुलासे हैं, और ये उद्योग की स्थितियों के बारे में कंपनी के सुविचारित आकलन को दर्शाते हैं।

xxxviii. कुवैत के निर्यातकों का उत्पादन 2022-23 की तुलना में जांच अवधि में मात्र *** % बढ़ा और वे जांच अवधि में लगभग पूर्ण क्षमता उपयोग (अर्थात *** %) पर काम कर रहे थे।

xxxix. सीमित अधिशेष क्षमता का अस्तित्व अपने आप में खतरा पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं है; कुवैत और अन्य संबद्ध देशों के उत्पादक विश्व स्तर पर निर्यात करते हैं और उनके बाजार विविध हैं।

xl. यह निष्कर्ष कि इक्वेट समूह के उत्पादन का 53% भारत को निर्यात था, भ्रामक है। इन निर्यातों में व्यापारिक बिक्री शामिल है और ये भारतीय ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक आपूर्ति संबंधों को दर्शाते हैं, न कि अधिशेष क्षमता के अचानक हस्तांतरण को। यह तथ्य कि जाँच अवधि में तीसरे देशों को निर्यात में मात्र *** % की गिरावट आई, भारत को निर्यात हस्तांतरण का संकेत नहीं देता; यह केवल वैश्विक व्यापार का प्रतिबिंब है।

xli. अगर कुवैत सचमुच भारत में अपनी अतिरिक्त क्षमता को बेचना चाहता होता, तो जाँच अवधि के दौरान आयात में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा सकती थी। इसके बजाय, कुवैत से भारत को होने वाला निर्यात वास्तव में 2022-23 में *** मीट्रिक टन से घटकर जाँच अवधि में *** मीट्रिक टन रह गया, जिससे प्राधिकरण के खतरे संबंधी निष्कर्ष का आधार ही कमजोर हो गया।

xlii. प्राधिकरण को एनआईपी निर्धारित करने के लिए कृत्रिम मूल्य के बजाय कैप्टिव इनपुट के हस्तांतरण मूल्य को अपनाना चाहिए।

xliii. आईओसीएल द्वारा अपनी वेबसाइट पर स्वीकार किया गया है कि उसका विस्तार मांग-आपूर्ति के अंतर को आंशिक रूप से ही पूरा करता है। आपूर्ति की समस्याएँ हैं और उपयोगकर्ता आयात पर निर्भर हैं और आयात करने को मजबूर हैं।

xliv. आरआईएल न केवल पीयूसी का सबसे बड़ा उत्पादक है, बल्कि डाउनस्ट्रीम कपड़ा उद्योग का भी सबसे बड़ा निर्माता है। इस प्रकार, कच्चे माल और पीयूसी पर आरआईएल का महत्वपूर्ण नियंत्रण है। अन्य डाउनस्ट्रीम उपयोगकर्ताओं के साथ हितों का एक अंतर्निहित और सीधा टकराव है। एडीडी लगाने से आरआईएल के

हितों को ही बढ़ावा मिलेगा क्योंकि यह अपने उत्पादन का लगभग 70% निजी उपभोग के लिए उपयोग करता है।

xlv. एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने से कपड़ा उद्योग पर बोझ पड़ेगा और राष्ट्रीय आर्थिक विकास एवं रोज़गार ख़तरे में पड़ जाएगा। एडीडी लगाने से आयातित एमईजी तक पहुँच में भारी कमी आएगी।

xlvi. प्राधिकरण ने कहा है कि एमईजी, पीएसएफ मूल्य का केवल लगभग 16% है और 3.6% प्रभाव दर्शाने वाली एक तालिका प्रस्तुत की है, लेकिन इन निष्कर्षों पर आधारित सटीक धारणाएँ और गणनाएँ अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई हैं। विशेष रूप से, एमईजी लागतों के आवंटन के लिए अपनाई गई पद्धति, पीएसएफ मूल्य निर्धारण के लिए प्रयुक्त मूल्य और लागू रूपांतरण मानदंड सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। इससे संबंधित पक्षों को आंकड़ों की सत्यता पर सार्थक टिप्पणी करने या उनकी सत्यता की पुष्टि करने से रोका जा सकता है।

xlvii. एडीडी, जीएसटी अंतर और मौजूदा आयात शुल्कों का संचयी प्रभाव उपयोगकर्ता उद्योगों की लागत संरचना को और भी बदतर बना देगा। इस प्रणालीगत बोझ की अनदेखी प्राधिकरण के विश्लेषण को गलत साबित करती है।

xlviii. प्राधिकरण ने आरआईएल के एकाधिकार से संबंधित इस चिंता को इस आधार पर सिरे से खारिज कर दिया है कि आईओसीएल और आईजीएल जैसे अन्य उत्पादक मौजूद हैं और उन्होंने हाल ही में अपनी क्षमता का विस्तार किया है। प्राधिकरण को यह समझना होगा कि भारतीय डाउनस्ट्रीम उद्योगों और उपभोक्ताओं के दीर्घकालिक हितों के लिए एक स्वस्थ और प्रतिस्पर्धी बाजार संरचना अपरिहार्य है।

ठ.2 घरेलू उद्योग की ओर से प्रस्तुतियाँ

151. घरेलू उद्योग की ओर से निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दी गई हैं:

क. प्रकटीकरण विवरण के पैरा 26 में प्राधिकारी ने केवल यह टिप्पणी की है कि प्रत्येक जाँच उस विशेष जाँच के तथ्यों को ध्यान में रखकर की जानी है। तथापि, यह निर्विवाद है कि पिछली जाँच में संबद्ध देशों के निर्यातक पाटन करते पाए गए थे। तदनुसार, घरेलू उद्योग प्राधिकारी से अनुरोध करता है कि वे यह निष्कर्ष निकालें कि संबद्ध देशों के निर्यातक 2020 से ही संबद्ध वस्तुओं की पाटन कर रहे हैं।

ख. घरेलू उद्योग पीटीए इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, बॉम्बे डाइंग, फिलाटेक्स इंडिया और इंडोरामा सिंथेटिक्स के उपयोगकर्ता प्रश्नावली के उत्तर को अस्वीकार करने की अपनी मांग दोहराता है। उपयोगकर्ता प्रश्नावली का उत्तर आवेदक को केवल लिखित प्रस्तुतिकरण के चरण में ही वितरित किया गया था। तदनुसार, हम प्राधिकारी से ऐसे अनुरोधों को अस्वीकार करने का अनुरोध करते हैं।

ग. प्रकटीकरण विवरण के पैरा 33 में प्राधिकरण ने सऊदी अरब में पीएमएस के अस्तित्व से संबंधित अपने पिछले निष्कर्षों की पुष्टि की है। हालाँकि, प्राधिकरण ने नोट किया है कि रिकॉर्ड में इस बात के पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं कि इस तरह की विकृति निर्यात मूल्य और घरेलू मूल्य के बीच तुलना को प्रभावित करती है। तदनुसार, प्राधिकरण ने सऊदी अरब के उत्पादकों की उत्पादन लागत में पीएमएस के आरोपों के आधार पर कोई समायोजन नहीं किया।

घ. घरेलू उद्योग ऑस्ट्रेलिया में पैनल रिपोर्ट - *ए4 कॉपी पेपर को याद करता है* , जिसमें पैनल ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों के लिए वस्तुओं के निर्माण में एक ही विकृत इनपुट का उपयोग किए जाने पर भी, पीएमएस निर्यात मूल्य और घरेलू मूल्य के बीच मूल्य तुलना को प्रभावित नहीं करता है। इसके बजाय, प्राधिकरण को लाभप्रदता का बाजार-वार आकलन करना चाहिए था और विभिन्न खंडों में कच्चे माल की विकृति के प्रभाव की जांच करनी चाहिए थी, इससे पहले कि वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कच्चे माल की विकृति प्रतिवादी उत्पादकों की मूल्य तुलना को प्रभावित नहीं करती है।

ङ. प्रकटीकरण विवरण के पैरा 47 के आधार पर, घरेलू उद्योग यह समझता है कि प्राधिकारी ने प्रतिवादी उत्पादकों के लिए निर्मित सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु उसी विकृत इनपुट मूल्य पर विचार किया है। यह स्वीकार करते हुए कि केएसए के बाजार में कच्चे माल की कीमत में विकृति मौजूद है, प्राधिकारी को पाटन मार्जिन की गणना हेतु निर्मित सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु केएसए के भीतर विकृत एथिलीन और उपयोगिता कीमतों को अविकृत कीमतों से प्रतिस्थापित करना चाहिए।

च. घरेलू उद्योग ने एसओके में पीएमएस के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य पहले ही प्रस्तुत कर दिए हैं, और तदनुसार, यह साबित करने का भार एसओके के निर्यातकों पर आ जाता है कि पीएमएस का अस्तित्व नहीं है। यह दोहराया जाता है कि कुवैत सरकार ने एक शाही आदेश जारी किया है जिससे इक्वेट समूह के दो निर्यातकों को महत्वपूर्ण फीडस्टॉक की खरीद काफी कम दरों पर करने की अनुमति मिल गई है। इसलिए, घरेलू उद्योग प्राधिकरण से अनुरोध करता है कि वह ऑस्ट्रेलिया - ए4 कॉपी पेपर में पैनल के निर्णय के अनुरूप, एसओके में भी पीएमएस के अस्तित्व को

मान्यता दे और एसओके में उत्पादकों के लिए निर्मित सामान्य मूल्य को अविकृत इनपुट मूल्य को दर्शाने के लिए समायोजित करे।

छ. प्राधिकारी इस तथ्य पर विचार करने में विफल रहे हैं कि इक्वेट ग्रुप और एसएबीआईसी ग्रुप के लिए प्रमुख कच्चा माल आपूर्तिकर्ता एक संबंधित इकाई है और इसलिए, पीएमएस की अनुपस्थिति में भी, प्राधिकारी को यह जांच करनी चाहिए थी कि क्या ऐसे कच्चे माल की कीमतें उचित सीमा से अधिक हैं। घरेलू उद्योग समझता है कि इन संबंधित आपूर्तिकर्ताओं में से किसी को भी ऐसी जांच के लिए प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए नहीं कहा गया है। तदनुसार, प्राधिकारी को निर्मित सामान्य मूल्य की गणना के लिए प्रमुख कच्चे माल, विशेष रूप से एथिलीन, के अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य पर विचार करना चाहिए।

ज. प्राधिकारी को आयातों में पूर्ण और सापेक्ष वृद्धि, संबद्ध देशों से सकारात्मक और महत्वपूर्ण पाटन, घरेलू उद्योग के परिमाणात्मक और वित्तीय मापदंडों में गिरावट के सकारात्मक साक्ष्य मिले हैं, घरेलू उद्योग की स्थिति में गिरावट संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण है और संबद्ध देशों में निर्यातक संरचनात्मक रूप से निर्यातोन्मुख हैं, तथा संबद्ध देशों में 95% से अधिक घरेलू उत्पादन घरेलू खपत से अधिक है।

झ. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता की जांच करते समय, प्राधिकरण ने *रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम नामित प्राधिकारी एवं अन्य* (अंतिम आदेश संख्या 51370/2023) में माननीय सीईएसटीएटी के आदेश की अनदेखी की है, जिसमें *रिलायंस इंडस्ट्रीज बनाम यूओआई* [2006 (202) ईएलटी 23 (एससी)] में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए, यह माना गया था कि क्षति के आकलन के लिए प्राधिकरण को कैप्टिव इनपुट के बाजार मूल्य पर विचार करना चाहिए न कि आंतरिक हस्तांतरण मूल्यों पर।

ञ. सर्वोच्च न्यायालय का उपर्युक्त निर्णय क्षति मूल्यांकन के साथ-साथ क्षति की क्षति के निर्धारण से संबंधित था। क्षति की क्षति के निर्धारण के लिए, ए.डी. नियम, 1995 में अनुबंध-III को बाद में जोड़ने से, ए.डी. नियम, 1995 के अनुबंध-II की सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या, जो क्षति परीक्षण को नियंत्रित करती है, कमजोर या रद्द नहीं होती है।

ट. घरेलू उद्योग की स्वीकृत एनआईपी, घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई एनआईपी से काफी कम है। यह प्रस्तुत किया गया है कि एनआईपी में कई अनुचित समायोजन किए गए हैं। तदनुसार, घरेलू उद्योग का अनुरोध है कि प्राधिकरण को घरेलू उद्योग की एनआईपी की पुनः जाँच करनी चाहिए।

ठ.3 प्राधिकरण द्वारा जांच

152. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रकटीकरण-पश्चात प्रस्तुतियों की जाँच की है और नोट किया है कि कई प्रस्तुतियाँ उन मुद्दों की पुनरावृत्ति हैं जिनकी पहले ही उचित रूप से जाँच की जा चुकी है और अंतिम निष्कर्षों के प्रासंगिक अनुच्छेदों में पर्याप्त रूप से संबोधित किया गया है। हितबद्ध पक्षों और घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटीकरण-पश्चात टिप्पणियों/प्रस्तुतियों में पहली बार उठाए गए मुद्दे और जिन्हें साक्ष्य सहित प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक माना गया है, उनकी जाँच नीचे की गई है।

153. क्षति अवधि के दौरान आरआईएल द्वारा किए गए आयातों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आरआईएल ने संबद्ध वस्तुओं का आयात केवल जांच अवधि के दौरान ही किया है और ऐसे आयात उसके कुल उत्पादन और बिक्री के 1% से भी कम हैं, जो कि नगण्य मात्रा है । आरआईएल ने क्षति अवधि के पिछले वर्षों के दौरान संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया था।

154. आईजीएल के आंकड़ों के संबंध में, प्राधिकरण ने नोट किया है कि समर्थकों को व्यापार सूचना 04/2021 के नोट 2 के अनुसार स्थापित क्षमता, उत्पादन, बिक्री मात्रा और बिक्री मूल्य से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करनी होगी। प्राधिकरण ने नोट किया है कि आईजीएल ने वास्तव में प्रारूप के अनुसार आंकड़े उपलब्ध कराए हैं। इसके अलावा, आईओसीएल ने भी प्राधिकरण के समक्ष एक समर्थन पत्र प्रस्तुत किया था, हालाँकि, उसने व्यापार सूचना के अनुसार आवश्यक आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए।

155. वर्तमान आवेदन पर विचार करने के क्षेत्राधिकार के अभाव के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने मामला प्राधिकारी को वापस भेज दिया था, जिसके बाद प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियम, 1995 के नियम 14(क) के अनुसार जाँच समाप्त करने का अनुरोध प्राप्त होने पर जाँच समाप्त कर दी। किसी भी स्थिति में, वर्तमान जाँच एक भिन्न विषयगत देश मिश्रण के विरुद्ध है और एक भिन्न क्षति अवधि से संबंधित है। आवेदन का विधिवत दस्तावेजीकरण किया गया था और इसमें पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध से संबंधित प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया था। तदनुसार, प्राधिकारी ने वर्तमान जाँच शुरू की।

156. भाग लेने वाले निर्यातकों ने दावा किया है कि उनकी उत्पादन लागत में मनमाने ढंग से संशोधन किया गया है और पीयूसी से संबंधित पिछली जाँच में ऐसा संशोधन नहीं किया गया था। प्राधिकारी ने नोट किया है कि प्रत्येक जाँच विशिष्ट तथ्यों, प्रस्तुत किए गए निवेदनों और जाँच के दौरान प्रदान की गई जानकारी तथा प्रासंगिक सहायक साक्ष्यों के आधार पर की जाती है।

157. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि कई हितधारक पक्षों ने दावा किया है कि पाटन और क्षति मार्जिन से संबंधित विस्तृत गणनाओं का खुलासा नहीं किया गया था। प्राधिकरण ने अपनी सतत् कार्यप्रणाली के अनुसार आवश्यक तथ्यों का खुलासा किया है।

158. सत्यापन के दौरान, प्राधिकारी को इक्वेट ग्रुप के उत्तर में कई अशुद्धियाँ और कमियाँ मिलीं, जैसे कि पीयूसी के लिए बताई गई एथिलीन (कैप्टिव इनपुट) की लागत कंपनी स्तर पर बताई गई एथिलीन की लागत (पीयूसी और एनपीयूसी) से काफी कम थी। अपने मूल उत्तर में, इक्वेट ग्रुप ने उप-उत्पाद क्रेडिट के लिए दोहरी कटौती का भी दावा किया था, जिसके लिए कोई उचित औचित्य नहीं दिया गया था। इसी प्रकार, भारत को निर्यात के लिए इक्वेट ग्रुप द्वारा बताई गई माल ढुलाई को कई बार संशोधित किया गया था। इसके अलावा, परिशिष्टों में इन्वेंट्री समायोजन के दावे को भी संशोधित किया गया था। इस प्रकार, सत्यापन के दौरान इक्वेट ग्रुप द्वारा पर्याप्त संशोधन किए गए थे, जिन्हें प्राधिकारी ने रिकॉर्ड में ले लिया है।

159. प्राधिकरण ने इक्वेट ग्रुप द्वारा प्रस्तुत संशोधित प्रतिक्रिया के आधार पर उत्पादन की लागत निर्धारित की है, जहां तक उसे सत्यापित किया जा सकता है। यह नोट किया गया था कि इक्वेट और टीकेओसी दोनों ने अपने संबंधित पक्ष, कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ("केपीसी") से कैप्टिव इनपुट एथिलीन के उत्पादन के लिए कच्चा माल (ईथेन) खरीदा था, हालांकि, मूल प्रतिक्रिया में प्रस्तुत परिशिष्ट 10 में उनके द्वारा इसकी सूचना नहीं दी गई थी। इसके अलावा यह भी नोट किया गया कि इक्वेट ग्रुप में दोनों उत्पादकों द्वारा बताई गई ईथेन खरीद मूल्य में महत्वपूर्ण अंतर था। इक्वेट ग्रुप ने अपने दावा किए गए खरीद मूल्य को प्रमाणित करने के लिए केपीसी के साथ फीडस्टॉक आपूर्ति समझौतों की प्रति प्रदान करने से इनकार कर दिया और दावा किया कि " *उक्त समझौते में बहुत ही गोपनीय और व्यावसायिक रूप से बेहद संवेदनशील जानकारी है, और इस तरह, इसे रिकॉर्ड पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है* " / प्राधिकरण नोट करता है कि एडी नियम, 1995 के नियम 7 के तहत

160. इसके अतिरिक्त, इक्वेट ग्रुप कुछ लागतों का आवंटन न करने का पर्याप्त औचित्य प्रदान करने में विफल रहा, जिन्हें पीयूसी को आवंटित किया जाना चाहिए था। इक्वेट ग्रुप द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण सत्यापन के लिए प्रस्तुत जानकारी से भिन्न पाया गया। तदनुसार, प्राधिकारी ने उत्पादन लागत निर्धारित करने के लिए, इस जाँच के लिए रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी के आधार पर, ऐसी लागत आवंटित की है।

161. सऊदी अरब के निर्यातकों द्वारा उत्पादन लागत की गणना करते समय इन्वेंट्री समायोजनों पर विचार न किए जाने के संबंध में प्रस्तुत किए गए निवेदनों के संदर्भ में, क्योंकि ऐसे समायोजनों में ***, प्राधिकरण नोट करता है कि ऐसे समायोजनों को उत्पादन लागत की गणना में शामिल किया गया है, जहाँ उनकी पुष्टि की गई है। तदनुसार, प्राधिकरण ने अपनी सतत् प्रथा के अनुसार उत्पादन लागत की गणना की है।

162. प्राधिकरण द्वारा अपनाए गए एसजीए और लाभ से संबंधित दावों के संबंध में, प्राधिकरण नोट करता है कि यह एडी नियम, 1995 के अनुबंध 1 के पैरा 4 के अनुसार व्यक्तिगत निर्यातकों की उत्पादन और बिक्री की सूचना की सत्यापित लागत पर आधारित था। प्राधिकरण आगे स्पष्ट करता है कि पेट्रोकेमिया, सऊदी कायान और यूनाइटेड के मामले में एसजीए लागत को दो बार नहीं जोड़ा गया था।

163. व्यापारी के लाभ मार्जिन और अप्रत्यक्ष एसजीए को एसएबीआईसी समूह के निर्यात मूल्य में समायोजित करने के संबंध में, प्राधिकरण नोट करता है कि कारखाना-बाहर निर्यात मूल्य प्रत्येक उत्पादक के स्तर पर निर्धारित किया गया है।

164. आईओसीएल की गैर-भागीदारी और आईओसीएल के आंकड़ों की गैर-जांच के कारण प्राधिकरण की जांच की निष्पक्षता पर विवाद करने वाले पीटीए यूजर इंडस्ट्रीज और मित्सुबिशी के दावों के संबंध में, प्राधिकरण ने नोट किया है कि उसने आईओसीएल सहित सभी घरेलू उत्पादकों से जानकारी प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था। हालाँकि, प्राधिकरण को निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रारूप के अनुसार आईओसीएल से कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। तदनुसार, प्राधिकरण ने रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर क्षति की जांच की है।

165. इक्वेट ग्रुप ने आरोप लगाया है कि आरआईएल ने जांच की अवधि के बाद की अवधि में संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है। यह ध्यान देने योग्य है कि इसकी पुष्टि के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। वर्तमान जाँच एक मूल जाँच होने के कारण, प्राधिकारी जांच की अवधि के बाद के घटनाक्रमों की जाँच करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

166. जांच अवधि के दौरान आयात मात्रा में गिरावट के बावजूद घरेलू उद्योग की बिक्री में गिरावट के संबंध में, प्राधिकारी प्रकटीकरण विवरण के पैरा 96 में की गई अपनी जांच का स्मरण करते हैं, जिसमें यह स्पष्ट रूप से पाया गया था कि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग और अन्य उत्पादकों की गैर-कैप्टिव बिक्री में वृद्धि हुई थी। इस प्रकार, जबकि

जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात में गिरावट आई, घरेलू उद्योग और एमईजी के अन्य भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई।

167. भारतीय आपूर्तिकर्ताओं के भीतर बाजार हिस्सेदारी के पुनर्वितरण से संबंधित इक्वेट ग्रुप के प्रस्तुतीकरण के संबंध में, प्राधिकरण ने नोट किया कि भारतीय एमईजी उद्योग की कुल बिक्री में वृद्धि के बावजूद, प्राधिकरण ने नोट किया कि समग्र रूप से भारतीय उद्योग की बाजार हिस्सेदारी भी 2021-22 की तुलना में जांच की अवधि में घटी है।

168. इक्वेट ग्रुप ने प्रस्तुत किया है कि कुवैत से आयातित वस्तुओं के पहुँच मूल्य में वृद्धि के बावजूद, 2021-22 के दौरान घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में गिरावट आई है। इस संबंध में, प्राधिकारी अंतिम निष्कर्षों के पैरा 102-103 में अपने निष्कर्षों को याद करते हैं, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि यद्यपि 2021-22 में संबद्ध देशों से आयातित वस्तुओं के पहुँच मूल्य में वृद्धि हुई, परन्तु यह घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में वृद्धि के अनुरूप नहीं थी।

169. एसएबीआईसी समूह ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग ने इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं किया है कि उसके संबंधित आपूर्तिकर्ता से एथेन की खरीदारी सीमा-पार नहीं है। इस संबंध में, प्राधिकरण ने नोट किया है कि उसने क्षति अवधि के लिए घरेलू उद्योग से तिमाही-वार चालान और संबंधित बेंचमार्क प्राप्त किए हैं और उनकी जाँच की है। इनकी जाँच करने पर, प्राधिकरण ने पाया कि ये लेन-देन सीमा-पार थे।

170. 2022-23 की तुलना में जांच अवधि में घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में वास्तव में सुधार हुआ है। हालाँकि, यह सुधार QCO लागू होने के कारण हुआ है।

171. पीटीए यूजर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने तर्क दिया है कि उसका मानना है कि आईओसीएल मुनाफा कमा रही है, जो घरेलू उद्योग के नुकसान के दावों के विपरीत है। पीटीए यूजर इंडस्ट्रीज ने आईओसीएल की लाभप्रदता के स्तर से संबंधित कोई भी आँकड़ा रिकॉर्ड में प्रस्तुत नहीं किया है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, प्राधिकरण ने सभी भारतीय उत्पादकों के आँकड़े माँगे थे। हालाँकि, आईओसीएल ने उन्हें उपलब्ध नहीं कराया। तदनुसार, प्राधिकरण ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर वर्तमान जाँच की है।

172. संपूर्ण क्षति अवधि के लिए मूल्य कटौती के निर्धारण के संदर्भ में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मूल्य कटौती का निर्धारण जांच अवधि के लिए किया जाना है।

173. इक्वेट ग्रुप ने दावा किया है कि पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में उसके उत्पादन में मामूली वृद्धि हुई है और सीमित अधिशेष क्षमता के अस्तित्व को वास्तविक क्षति के खतरे के रूप में नहीं समझा जा सकता है। इक्वेट ग्रुप ने आगे तर्क दिया है कि भारत में उत्पादन के अचानक विचलन का कोई साक्ष्य नहीं है और कुवैत और अन्य देशों के उत्पादक वैश्विक स्तर पर निर्यात करते हैं और उनके बाजार विविध हैं। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने वास्तविक क्षति के खतरे के अपने निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए संबद्ध देशों का संचयी मूल्यांकन किया है। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि उन्होंने केवल संबद्ध देशों के निर्यातकों की संरचनात्मक निर्यात निर्भरता को इंगित किया है। इसके अलावा, प्राधिकारी इस तथ्य से अच्छी तरह अवगत हैं कि इक्वेट ग्रुप द्वारा रिपोर्ट की गई निर्यात बिक्री में वास्तव में इक्वेट ग्रुप द्वारा की गई व्यापारिक बिक्री शामिल है, एक तथ्य जो अंतिम जांच परिणाम के पैरा 114 में दर्ज किया गया था।

174. एसएबीआईसी समूह ने दलील दी है कि एनआईपी की गणना घरेलू उद्योग के बहीखातों के आधार पर की जानी चाहिए, न कि कैप्टिव इनपुट की काल्पनिक कीमतों के आधार पर। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने यह भी आरोप लगाया है कि प्राधिकारी ने उसकी क्षति-रहित कीमत में अनुचित समायोजन किया है। प्राधिकारी ने नोट किया है कि एनआईपी की गणना घरेलू उद्योग के अभिलेखों के आधार पर, पाटनरोधी नियम, 1995 के अनुबंध-III में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार की गई है।

175. इक्वेट ग्रुप ने एंटी-डंपिंग शुल्कों के कारण पीएसएफ पर 3.6% प्रभाव को चुनौती दी है और दावा किया है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि एमईजी, पीएसएफ मूल्य का 16% कैसे बनता है। प्राधिकरण अंतिम निष्कर्षों के पैरा 137 को याद करता है, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि भिलोसा इंडस्ट्रीज द्वारा प्रदान की गई गणना की जाँच की गई है। एंटी-डंपिंग शुल्कों के प्रभाव के लिए प्राधिकरण द्वारा विचार की गई सभी धारणाएँ भिलोसा इंडस्ट्रीज द्वारा प्रदान की गई धारणाओं पर आधारित हैं। एमईजी के आगमन मूल्य पर डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों के अनुसार विचार किया गया है।

176. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि पीयूसी के किसी भी उपयोगकर्ता ने प्रकटीकरण विवरण में अंतिम उपयोगकर्ता पर एंटी-डंपिंग शुल्क के प्रभाव के बारे में कोई विवाद नहीं किया है या कोई और गणना प्रदान नहीं की है।

177. इक्वेट ग्रुप ने टिप्पणी की है कि आयात शुल्क और एंटी-डंपिंग शुल्क के साथ मौजूदा जीएसटी अंतर उपयोगकर्ता उद्योगों के लिए लागत संरचना को और खराब कर देगा। प्राधिकरण ने नोट किया है कि उलटे जीएसटी ढांचे से संबंधित मुद्दा प्राधिकरण के

निर्धारण के दायरे में नहीं आता है। बहरहाल, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में इस तरह के उलटे शुल्क ढांचे के मुद्दे को हल करने के लिए उचित जीएसटी दर संशोधन किए गए हैं।

ड. <u>निष्कर्ष और सिफारिशें</u>

178. प्रस्तुत किए गए निवेदनों, हितबद्ध पक्षों द्वारा उपलब्ध कराई गई पुष्ट सूचना तथा प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों, जैसा कि उपर्युक्त पैराग्राफों में दर्ज किया गया है और जिनकी जांच की गई है, तथा पाटन के निर्धारण और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के आधार पर प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं:

i. पाटनरोधी नियम, 1995 के नियम 2(घ) के अनुसार, संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तुएँ और घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुएँ एक दूसरे के समान वस्तुएँ हैं।

ii. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पात्र घरेलू उत्पादन का 70-80% हिस्सा है, और तदनुसार, आवेदक एडी नियम, 1995 के नियम 2 (बी) के तहत निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करता है और आवेदन एडी नियम, 1995 के नियम 5 (3) के तहत स्थायी आवश्यकताओं को पूरा करता है।

iii. आवेदन में एंटी-डंपिंग जांच शुरू करने के प्रयोजन के लिए सभी प्रासंगिक सूचनाएं तथा एंटी-डंपिंग नियम, 1995 के नियम 5(2) के अनुसार आवश्यक साक्ष्य शामिल थे, ताकि एंटी-डंपिंग नियम, 1995 के नियम 5(3) के अनुसार घरेलू उद्योग को डंपिंग और भौतिक क्षति के निर्धारण के लिए वर्तमान जांच शुरू करने को उचित ठहराया जा सके।

iv. गोपनीयता से संबंधित दावों को जहां भी आवश्यक था, स्वीकार कर लिया गया और जहां गोपनीयता के ऐसे दावे अत्यधिक पाए गए, वहां हितबद्ध पक्षों को निर्देश दिया गया कि वे उन्हें प्रकट करें या पाटनरोधी नियम, 1995 के नियम 7 के अनुसार उनका उपयुक्त अगोपनीय सारांश प्रदान करें। जहां हितबद्ध पक्षों ने सूचना प्रदान नहीं की या सूचना तक पहुंच से इनकार कर दिया, वहां प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियम, 1995 के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों पर विचार किया है।

v. **पाटन मार्जिन**: संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना तथा सामान्य मूल्य/निर्मित सामान्य मूल्य (जहां लागू हो) के आधार पर निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण निर्धारित किया गया।

vi. **मात्रा प्रभाव:** विषयगत देशों से विषयगत वस्तुओं के आयातों की मात्रा और पाटन मार्जिन, पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-II के पैरा (iii) में निर्धारित न्यूनतम सीमा से ऊपर पाए गए। घरेलू उद्योग की स्थिति पर पाटित आयातों के मात्रा प्रभाव के संबंध में,

जैसा कि पाटनरोधी नियमावली, 1995 के पैरा (ii) के अंतर्गत मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित है, यह पाया गया कि ऐसे आयातों में भारत में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और खपत की तुलना में निरपेक्ष और सापेक्ष रूप से वृद्धि हुई है। जांच अवधि में विषयगत देशों से विषयगत वस्तुओं के आयात में 200% की वृद्धि हुई है।

vii. **मूल्य प्रभाव:** ऐसे पाटित आयातों के मूल्य प्रभाव के संबंध में, यह पाया गया कि तीनों संबद्ध देशों से मूल्य कटौती सकारात्मक थी। इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि ऐसे पाटित आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहे थे।

viii. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों पर इस तरह के डंपिंग के प्रभाव के संबंध में, निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गए:

क. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग, बिक्री और बाज़ार हिस्सेदारी: घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में गिरावट आई है, जबकि क्षमता पूरी क्षति अवधि के दौरान स्थिर रही है। गैर-कैप्टिव बिक्री में वित्त वर्ष 2022-23 तक गिरावट आई है, जिसमें QCO लागू होने के कारण आयात की मात्रा में कमी आई है, जो कि जांच अवधि में मामूली वृद्धि के साथ है। हालाँकि, क्षति अवधि के दौरान आयात की मात्रा दोगुनी हो गई है।

ख. बाजार हिस्सेदारी: क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की गैर-कैप्टिव बाजार हिस्सेदारी में *** % की गिरावट आई है, जबकि संबद्ध देशों से आयातित आयातों की बाजार हिस्सेदारी में *** % की वृद्धि हुई है, जो दर्शाता है कि संबद्ध देशों से आयातों ने घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी पर कब्ज़ा कर लिया है। भारतीय उद्योग, अर्थात् घरेलू उद्योग और अन्य घरेलू उत्पादकों ने भी क्षति अवधि के दौरान सामूहिक रूप से बाजार हिस्सेदारी खो दी है।

ग. बिक्री लागत, विक्रय मूल्य, लाभप्रदता और नियोजित पूँजी पर प्रतिफल: घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य में 2022-23 और 2021-22 की तुलना में जाँच अवधि में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में पिछले वर्ष की तुलना में जाँच अवधि में मामूली सुधार हुआ है, हालाँकि, 2020-21 और 2021-22 की तुलना में इसमें गिरावट आई है। घरेलू उद्योग ने जाँच अवधि के दौरान बिक्री लागत पर *** % का लाभ अर्जित किया है।

घ. इन्वेंटरी: जांच अवधि में इन्वेंटरी में वृद्धि हुई है।

ङ. **कर्मचारियों की संख्या, उत्पादकता और मजदूरी:** घरेलू उद्योग के उत्पादन में कमी के परिणामस्वरूप क्षति अवधि के दौरान उत्पादकता में गिरावट आई है और जांच अवधि में यह अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गई है।

च. **वृद्धि**: आधार वर्ष से तुलना करने पर यह पाया गया कि उत्पादन, घरेलू बिक्री, लाभ और आरओसीई में गिरावट आई है तथा आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में नकारात्मक वृद्धि देखी गई है।

ix. **भौतिक क्षति का खतरा**: संबद्ध देशों के निर्यातक संरचनात्मक रूप से निर्यातोन्मुख हैं। तीसरे देशों में स्थिर माँग के कारण, यह संभावना है कि आयात भारत की ओर मोड़ दिया जाएगा।

x. **क्षति मार्जिन:** पाटनरोधी नियम, 1995 के अनुबंध-III के अनुसार निर्धारित गैर-हानिकारक मूल्य और पाटनरोधी नियम के नियम 17(3)(बी) के अंतर्गत अपेक्षित विषयगत देशों से विषयगत आयातों के पहुंच मूल्य की तुलना करने पर, भाग लेने वाले निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन सकारात्मक पाया गया।

xi. **कारणात्मक संबंध:** घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण भौतिक क्षति हुई है और इस क्षति का कोई अन्य ज्ञात कारण नहीं पाया गया है। आधार वर्ष और 2021-22 की तुलना में जांच अवधि के दौरान पाटित आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है। भारतीय बाजार में पाटित आयातों की उपस्थिति ने आवेदक को गैर-लाभकारी कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर किया, जिससे घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मानदंडों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

xii. **भारतीय उद्योग के मुद्दे:** किसी भी इच्छुक पक्ष ने अंतिम उपयोगकर्ता शुल्क प्रभाव गणना पर विवाद नहीं किया है, जो *** % से कम है। एक जीवंत भारतीय घरेलू उद्योग सहित कई आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों से उपयोगकर्ता के जोखिम को कम करती है और इस प्रकार उपयोगकर्ता उद्योग को दीर्घावधि में कई स्रोतों से अधिक प्रतिस्पर्धी रूप से संबंधित वस्तुओं की खरीद करने में सक्षम बनाती है।

179. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जाँच शुरू की गई थी और सभी इच्छुक पक्षों को सूचित किया गया था तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य इच्छुक पक्षों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलू पर सकारात्मक जानकारी प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था। पाटनरोधी नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जाँच शुरू करने और उसका संचालन करने के बाद, प्राधिकारी का विचार है कि पाटन और क्षति की भरपाई के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाना

आवश्यक है। इसलिए, प्राधिकारी इसे आवश्यक मानते हैं और संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।

180. प्राधिकरण द्वारा अपनाए गए कम शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से जो भी कम हो, उसके बराबर पाटन-रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करता है ताकि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर किया जा सके। तदनुसार, प्राधिकरण विषयगत देशों में मूलतः उत्पादित या वहाँ से निर्यातित विषयगत वस्तुओं के आयातों पर, केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए, नीचे संलग्न शुल्क तालिका के कॉलम 7 में दर्शाई गई राशि के बराबर पाटन-रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करता है।

<u>शुल्क तालिका</u>

क्र.सं.	**शीर्षक**	**विवरण**	**मूल देश**	**निर्यात का देश**	**उत्पादक**	**राशि ($ / एमटी)**
1	2	3	4	5	6	7
1	2905 31 00	मोनो एथिलीन ग्लाइकॉल	कुवैत राज्य	कुवैत राज्य सहित कोई भी देश	इक्वेट पेट्रोकेमिकल कंपनी के.एस.सी.सी	102
2	-वही	-वही	कुवैत राज्य	कुवैत राज्य सहित कोई भी देश	कुवैत ओलेफिन्स कंपनी के.एस.सी.सी	102
3	-वही	-वही	कुवैत राज्य	कुवैत राज्य सहित कोई भी देश	क्रम संख्या 1 से 2 के अलावा कोई भी उत्पादक	165
4	-वही	-वही	विषय देशों के अलावा कोई भी देश	कुवैत राज्य	कोई	165
5	-वही	-वही	सऊदी अरब के राज्य	सऊदी अरब सहित कोई भी देश	अरेबियन पेट्रोकेमिकल कंपनी	118

6	-वही	-वही	सऊदी अरब के राज्य	सऊदी अरब सहित कोई भी देश	सऊदी कायान पेट्रोकेमिकल कंपनी	118
7	-वही	-वही	सऊदी अरब के राज्य	सऊदी अरब सहित कोई भी देश	ईस्टर्न पेट्रोकेमिकल कंपनी	118
8	-वही	-वही	सऊदी अरब के राज्य	सऊदी अरब सहित कोई भी देश	जुबैल यूनाइटेड पेट्रोकेमिकल कंपनी	118
9	-वही	-वही	सऊदी अरब के राज्य	सऊदी अरब सहित कोई भी देश	सऊदी यानबू पेट्रोकेमिकल कंपनी	118
10	-वही	-वही	सऊदी अरब के राज्य	सऊदी अरब सहित कोई भी देश	यानबू नेशनल पेट्रोकेमिकल कंपनी	118
11	-वही	-वही	सऊदी अरब के राज्य	सऊदी अरब सहित कोई भी देश	रबीग रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल कंपनी	118
12	-वही	-वही	सऊदी अरब के राज्य	सऊदी अरब और कुवैत राज्य सहित कोई भी देश	क्रम संख्या 5 से 11 के अलावा कोई भी उत्पादक	173
13	-वही	-वही	विषय देशों के अलावा कोई भी देश	सऊदी अरब के राज्य	कोई	173
14	-वही	-वही	सिंगापुर गणराज्य	सिंगापुर गणराज्य सहित कोई भी देश	कोई	137
15	-वही	-वही	विषय देशों के अलावा कोई भी देश	सिंगापुर गणराज्य	कोई	137

ढ. आगे की प्रक्रिया

181. इन अंतिम निष्कर्षों में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण के विरुद्ध अपील अधिनियम/नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

सिद्धार्थ महाजन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

(Directorate General of Trade Remedies)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2025

FINAL FINDINGS
Case No. AD (OI)-32/202

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of "Mono ethylene Glycol" originating in or exported from the State of Kuwait, the Kingdom of Saudi Arabia and the Republic of Singapore.

A. BACKGROUND OF THE CASE

F. No. 6/34/2024-DGTR. — Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the 'Act') and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter referred as the "AD Rules");

1. Whereas, the Chemicals and Petrochemicals Manufacturers Association of India (CPMA) (hereinafter referred to as the 'applicant' or the 'domestic industry') filed an application, before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the 'Authority') on behalf of the domestic industry in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 (hereinafter referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred as the " AD Rules") for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of "Mono ethylene Glycol" (hereinafter also referred to as the "product under consideration" or "PUC" or "subject goods" or "MEG") originating in or exported from the

State of Kuwait (hereinafter also referred to as "SOK/Kuwait"), the Kingdom of Saudi Arabia (hereinafter also referred to as "KSA/ Saudi Arabia") and the Republic of Singapore (hereinafter also referred to as "ROS/Singapore"), hereinafter collectively referred to as the "subject countries". The data pertaining to injury information was provided by Reliance Industries Limited (hereinafter referred to as the "applicant")

2. And whereas, in view of the duly substantiated application filed by the applicant, the Authority issued a public notice *vide* Notification No. 6/34/2024-DGTR dated 27th September 2024, published in the Gazette of India, initiating an anti-dumping investigation into imports of PUC from the subject countries in accordance with Rule 5 of the AD Rules to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping of the subject goods and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

3. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

a. The Authority notified the embassies of the subject countries in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Rule 5(5) of AD Rules, 1995.
b. The Authority *vide* Notification No. F.No.6/34/2024 - DGTR issued a public notice dated 27th September 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the anti-dumping investigation concerning the imports of the subject goods from the subject countries.
c. The Authority sent a copy of the initiation notification to the governments of the subject countries, through their embassies in India, known producers and exporters from the subject countries, known importers/users, the domestic industry, the other Indian producers as well as other interested parties, as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limits.
d. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the governments of the subject countries, through their embassies in India, in accordance with Rule 6(3) of the AD Rules. A copy of the non-confidential version of the application was provided to other interested parties, wherever requested.
e. The Authority sent an Exporter's Questionnaire to the following known producers/exporters to elicit relevant information in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:

SOK	**KSA**	**ROS**
EQUATE Petrochemical Company	Arabian Petrochemical Company	Coral Energy DMCC
The Kuwait Olefins Company	Eastern Petrochemical Company	Shell International Eastern Trading

		Company
	Jana Jubail Chemical Industries Co.	
	Rabigh Refining & Petrochemical Co.	
	Sadara Chemical Company	
	Saudi Basic Industries Corporation	
	Saudi Kayan Petrochemical Co	
	Saudi Yanbu Petrochemical Co.	
	Yanbu National Petrochemical Co.	

f. The embassies of the subject countries in India were requested to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit.

g. In response, the following producers/exporters from the subject countries have responded by filing questionnaire responses:

S.No.	SOK	KSA	ROS
Producers			
1.	EQUATE Petrochemical Company (“Equate”)	Saudi Yanbu Petrochemical Co. (“YANPET”)	-
2.	The Kuwait Olefins Company (“TKOC”)	Saudi Kayan Petrochemical Co. (“SAUDI KAYAN”)	
3.		Jubail United Petrochemical Co. (“UNITED”)	
4.		Eastern Petrochemical Company (“SHARQ”)	
5.		Arabian Petrochemical Company (“PETROKEMA”)	
6.		Yanbu National Petrochemical Company (“YANSAB”)	
7.		Rabigh Refining & Petrochemical Co. (“PRC”)	
Traders			
8.		Saudi Basic Industries Corporation (“SABIC”)	
9.		SPDC Ltd (“SPDC”)	
10.		SABIC Asia Pacific Pvt.	

		Ltd. ("SAPPL")	
11.	Mitsubishi Corporation, Japan	Mitsubishi Corporation, Japan	

h. The Authority sent Importer's Questionnaire to the following known importers/users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:

S.No.	Name of Importer / User / User Association
1.	Dow Chemical International Pvt. Limited
2.	Filatex India Limited
3.	Bhilosa Industries Pvt. Limited
4.	Chiripal Poly Films Limited
5.	DNH Spinners Pvt. Limited
6.	Jindal Poly Films
7.	Shree Durga Syntex Pvt. Limited
8.	Sanathan Textiles Pvt. Limited
9.	KLJ Resources Limited
10.	Shubhalakshmi Polyesters Limited
11.	SRF Limited
12.	Starchem Polytrade Pvt. Limited
13.	Starlon Exim Pvt. Limited
14.	The Bombay Dyeing & Mfg. Co. Limited
15.	Wellknown Polyesters Limited
16.	Indorama Synthetics Limited
17.	Alok Industries Limited
18.	Garden Silk Mills Limited
19.	Gokulanand Petrofibers
20.	JBF Industries Limited
21.	Sumeet Industries Limited
22.	Rashmi Polyfab Private Limited
23.	IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited
24.	Futura Polyesters Limited

i. In response, the following importers/users have responded by filing questionnaire responses:

S.No.	Name of Importer / User / User Association
1.	Bhilosa Industries Pvt. Limited
2.	M/s IVL Dhunseri Petrochem Industries Pvt. Ltd
3.	Sanathan Textiles Limited
4.	Beekaylon Synthetics Private Limited

5.	D.N.H. Spinners Pvt. Ltd
6.	Garden Silk Mills Pvt. Ltd
7.	Wellknown Polyesters Limited
8.	The Bombay Dyeing and Manufacturing Co., Ltd
9.	M/s Filatex India Limited
10.	M/s Indorama Synthetics (I) Ltd.
11.	Polyester Textile Apparel Industries Association

j. The Authority made available the non-confidential version of the submissions made by the various interested parties. A list of all the interested parties was uploaded on the DGTR website along with the request to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties.

k. Request was made to the DGCI&S to provide the transaction-wise details of imports of the subject goods for the injury period and also the period of investigation. The Authority has relied upon the DGCI&S data for computation of the volume of imports and required analysis after due examination of the transactions.

l. The period of investigation ("POI") for the purpose of the present investigation is 1st April 2023 to 31st March 2024 (12 months). The examination of trends in the context of injury analysis covers a period of FY 2020-21, FY 2021-22, FY 2022-23 and the period of investigation.

m. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, to the extent supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority, in this final findings.

n. Information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on a confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

o. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the views/observations on the basis of the facts available.

p. The Authority *vide* para 6 of the initiation notification dated 27th September 2024 sought comments on the scope of the PUC within 15 days of initiation. The interested parties were further granted additional time to file comments on PUC and PCN (Product Control Number) methodology till 26th October 2024. As no submissions were filed by any interested party, the Authority *vide* notification dated 18th November 2024, notified the final scope of PUC and PCN. All the interested parties were directed to file questionnaire responses in accordance with the PUC

finalized, by 18th December 2024. At the request of some interested parties, the time limit was further extended to 25th December 2024.

q. The non-injurious price (NIP) based on the optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure-III to the AD Rules has been worked out so as to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

r. In accordance with Rule 6(6) of the AD Rules, the Authority provided opportunity to the interested parties to present their views during the oral hearing held on 17th April 2025 and were requested to submit their written and rejoinder submissions. However, due to the change in Designated Authority, the Authority provided opportunity to the interested parties to present its views orally, followed by submissions in writing, pursuant to the judgement of the Hon'ble Supreme Court in the matter of *Automotive Tyre Manufacturers' Association (ATMA) vs. Designated Authority*, delivered in Civil Appeal No. 949 of 2006 on 07-01-2011. Accordingly, the Authority held another public hearing on June 4, 2025. The interested parties who presented their views in the 2nd oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions, if any. The interested parties were further directed to share the non-confidential version of the written submissions submitted by them with the other interested parties.

s. The Authority circulated the disclosure statement containing all essential facts under consideration for making the final recommendations to the Central Government to all interested parties on 09th Septmeber 2025. The parties were requested to file the comments on disclosure statement if any by 16th September 2025

t. The Authority has examined all the post-disclosure comments made by the interested parties in these final findings to the extent deemed relevant. Any submission which was merely a reproduction of the previous submission, and which had been adequately examined by the Authority has not been repeated for the sake of brevity.

u. The information submitted by the domestic industry has been examined and verified during on site-verification as well as table verification to the extent deemed necessary and has been relied upon for the present final findings.

v. The examination and desk verification of the information submitted by the cooperating producers/exporters from the subject countries was also carried out to the extent deemed necessary and has been relied upon for the purpose of the present final findings.

w. The Authority has considered all the arguments raised and information provided by all the interested parties at this stage, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation.

x. '***' in this final findings, represents information furnished by an interested party on a confidential basis and so considered by the Authority under the AD Rules.

y. The exchange rate adopted by the Authority for the present investigation is 1 US$ = ₹ 83.70.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

C.1. Submissions of the other interested parties

4. None of the interested parties have provided any comments on the PUC or PCNs.

C.2. Submissions of behalf of the domestic industry

5. The following submissions have been made on behalf of the domestic industry:

a. The product under consideration is "Mono ethylene glycol". It is a basic raw material for producing all polyester yarns, fibres and PET. Its domestic availability in the country is essential for ensuring self-reliance in the textile and PET sector.

b. None of the other interested parties have made any comments with respect to the product scope or requested for formulating PCNs. Accordingly, the domestic industry requests the Authority to confirm the scope of the PUC.

C.3. Examination by the Authority

6. The product under consideration is 'Mono ethylene Glycol (MEG)'. MEG is an organic compound with the formula $(CH_2OH)_2$. The molecular structure of MEG is as follows:

MEG in a beaker

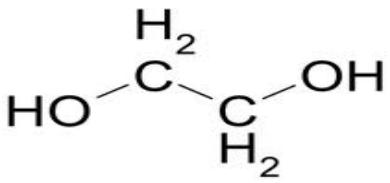

Molecular Structure of MEG

7. MEG is primarily of two grades - fibre and non-fibre. The domestic industry manufactures both grades of MEG. The present investigation covers both grades of the PUC.

8. MEG is a clear, colourless, odourless, slightly viscous liquid with syrup like consistency. Further, it is sweet in taste and is miscible in water. MEG is an important industrial product with widespread application. It is primarily used in combination with purified terephthalic acid for manufacturing polyester fibers and polyethylene terephthalate resins. It is also used as an anti-freeze/coolant as well as in pharmaceuticals and cosmetic industries.

9. The PUC is classified in Chapter 29 titled "Organic Chemicals" under HS Code 2905 31 00. The customs classification is indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.

10. None of the interested parties made any proposals for construction of PCNs in the present investigation. Accordingly, the Authority has not adopted any PCN methodology in the present investigation. Further, none of the interested parties have made any submissions concerning the scope of the PUC.

11. In view of the above, the Authority confirms the product scope as defined at the stage of initiation: *"3. The product under consideration in the present investigation is Mono ethylene Glycol (MEG)."*

12. There are no known differences in the subject goods manufactured by the domestic industry and those imported from the subject countries. The subject goods produced by the domestic industry and the subject goods imported from the subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, distribution and market & tariff classification of the goods. The applicants have claimed that the subject goods, which are being coming into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the subsidized imports and the domestically produced subject goods and the product under consideration manufactured by the applicants. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as 'like article' under Rule 2 (d) of the AD Rules.

D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1. Submissions of other interested parties

13. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the scope of domestic industry:

a. RIL cannot constitute "domestic industry" in the present case because the definition envisages *"domestic producers as a whole, engaged in the manufacture of the like article"*, and in the present proceedings, there is no participant other than RIL.
b. The sole reliance on data from RIL undermines the reliability and objectivity of injury analysis as it risks selective data representation and potential manipulation. thereby compromising the accuracy and transparency of the injury evaluation. In the absence of comparable data from other domestic producers, critical injury indicators such as price and cost data remain unverifiable. Reliance in this regard has been placed on WTO Appellate Body Report in *EC – Fasteners (China)*, *US – Hot Rolled Steel (Japan)* and on the decision of the Supreme Court in *Reliance Industries Ltd. v. Designated Authority*.

c. The definition of "domestic industry" also seeks to exclude importers of the subject goods. In the present proceedings, RIL is both a producer and importer of MEG from the subject countries which raises conflicts of interest, especially since it is the only participating producer and accounts for 80-90% of the domestic production.
d. The Gauhati High Court in *Century Plyboard (I) Ltd. and Anr. V. Union of India and Ors*. has observed that the discretion to include importing domestic producers within the scope of domestic industry is not an absolute discretion. Accordingly, the Authority must examine the nature and reason for imports made by the domestic industry.
e. The applicant has claimed that the present application has also been supported by IOCL and IGL. However, there is no evidence of such alleged support from IOCL. The applicant has itself considered IOCL neutral to the present investigation in its application.
f. According to recent market intelligence RIL has imported around 180 KT of PUC. The Authority must examine as to how such imports merely account of 1% of total RIL's sales and production.

D.2. Submissions on behalf of the domestic industry

14. The following submissions have been made on behalf of the domestic industry:

a. The present application has been filed by the Chemicals and Petrochemicals Manufacturers' Association of India on behalf of Reliance Industries Ltd ("RIL"). RIL accounts for more than 75% of Indian production and constitutes a "major proportion" of total domestic production in India in terms of Rule 2(b) of AD Rules, 1995. Further, the standing requirements under Rule 5(3) of AD Rules, 1995 have also been fulfilled
b. There are two other known producers of the subject goods in India, namely Indian Glycol Limited and Indian Oil Corporation Limited.
c. Reliance Industries Limited has imported an insignificant quantity of subject goods from the subject countries during the POI. However, such imports account for less than 1 percent of the total demand and around l% of its production. Further, such imports have been made under export promotion schemes.
d. the use of the word "may" in Rule 2(b) of AD Rules, clearly provides the Authority discretion to include even such domestic producers who are either importers of the subject goods or even when such a domestic producer is a related party of the exporter
e. the Panel in *EC – Fasteners (China)* observed that investigating authorities have discretion whether or not to exclude related or importing domestic producers. This discretion was further affirmed by the High Court of Gauhati in *Century Plyboards v. Union of India*. Further, reliance is placed on the Authority's Final Findings in anti-dumping investigation concerning imports of Melamine and Single mode optical fibre wherein the Authority included importing domestic producer and a domestic producer related to importer of subject goods within the scope of the Domestic Industry

D.3. Examination by the Authority

15. Rule 2(b) of the AD Rules defines the domestic industry as under:

> *'(b) 'domestic industry' means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers'.*

16. The Authority notes that the application has been filed by Chemicals and Petrochemicals Association of India on behalf of Reliance Industries Ltd. The application has been supported by Indian Glycol Limited. Apart from the two producers, there is one another producer, Indian Oil Corporation Limited. Reliance Industries Limited constitutes 'major proportion' in terms of Rule 2(b) of the AD Rules.

17. The Authority notes that the production of the applicant accounts for a major proportion of the total domestic production. The Authority further notes that Reliance Industries Limited has imported the subject goods from the subject countries. However, such imports constitute only 1% of their total production and the overall demand in the country. This limited import activity does not alter the applicant's nature of business from manufacturer to trader. Accordingly, the applicant is eligible to be considered as the domestic industry for the purposes of the present investigation. Moreover, the applicant is not related to any exporter of the subject goods in the subject countries or importer of the subject goods in India. Thus, the applicant constitutes domestic industry as defined under Rule 2(b) of the AD Rules, and the application satisfies the requirement of standing in terms of Rule 5(3) of the AD Rules.

E. CONFIDENTIALITY

E.1. Submissions of other interested parties

18. The producers/exporters/other interested parties have not made any submission in this regard.

E.2. Submissions on behalf of the domestic industry

19. The domestic industry has not made any submission in this regard.

E.3. Examination by Authority

20. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of AD Rules provides as follows:

'Confidential information:

(1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7)of rule 6, sub-rule(2) of rule12,sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.'

21. The interested parties, in their various submissions, have raised the issues of confidentiality claims by other interested parties. The information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential versions of the evidence submitted by the various interested parties in the form of public file.

22. A list of all the interested parties was uploaded on DGTR's website along with the request to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties.

F. Miscellaneous Submissions

F.1. Submissions by the other interested parties

23. The following miscellaneous submissions have been made by the other interested parties:

a. Prior to the present investigation, the Authority has initiated two investigations on the PUC, at the behest of the domestic industry.
b. In both instances, the Authority has found *prima facie*, that there was sufficient evidence of dumping, injury and causal link to initiate these investigations.
c. However, in both instances there were no grounds for recommending duties. Clearly, the prima facie assessment of the presence of dumping, injury and causal link was overturned by the time the investigation concluded in both cases.
d. After the non-inclusion of Iran in the present investigation, the applicant was under obligation to re-submit the data after de-cumulating the effect of imports from Iran in terms of Rules 5 and 6 of AD Rules.
e. The present investigation is without jurisdiction as the application was withdrawn by the domestic industry without approval from the High Court of Delhi.

F.2. Submissions on behalf of the domestic industry

24. The following miscellaneous submissions have been made on behalf of the domestic industry:

a. The first investigation was initiated in 2019 for the POI January–September 2019. During the proceedings, the applicants observed higher dumping from the subject countries than at the stage of initiation. Moreover, the POI data in the first application did not capture post-POI market realities, as the sources of dumping had shifted.
b. In the second application, the Authority found exporters from Kuwait and Saudi Arabia dumping the subject goods but held there was no injury since the domestic industry earned 20% profit on cost of sales during the concerned POI (Jan–Dec 2020). The domestic industry challenged this before CESTAT, which directed a re-examination. However, with nearly three years elapsed since that POI, and with dumping and injury having worsened, a fresh application was filed and the second application withdrawn.
c. The repeated applications before the Authority only show the vulnerable state of the Indian MEG industry, laying bare the unfair trade practices of exporters from Kuwait and Saudi Arabia.

F.3. Examination by Authority

25. The Authority examined the sufficiency of evidence at the stage of initiation of the investigation. It is noted that the applicant had provided sufficient evidence concerning dumping, injury and causal link, based on which the Authority had initiated the present investigation.

26. The Authority has considered the comments of the interested parties concerning previous investigation as well as its own findings. However, the Authority notes that each

investigation is to be carried based on facts of the period pertaining to the specific investigation.

G. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

G.1. Submissions on behalf of the other interested parties

27. The following submissions have been made by the other interested parties regarding the determination of normal value, export price and dumping margin:

a. The domestic industry's methodology to compute normal value is incorrect as it has not considered domestic sales of the producers in the subject countries. The Authority is obliged under S. 9A(1)(c)(i) of the Act to determine normal value based on the domestic sales of producer/ exporter as declared in the exporters' questionnaire response. However, if the conditions laid down for such basis are not fulfilled, normal value can be determined on sales to third country.

b. SABIC Group has made sufficient volumes of sales [***%] in its domestic market. Normal value has to be computed in accordance with Art. 2.2.1.1. of the AD Agreement unless the records of the company are not in accordance with GAAP or where records do not reasonably reflect the costs associated with production and sales of the product. SABIC Group has also provided third country sales data.

c. SG&A costs and profits must be based on actual data pertaining to production and sales of the producer, unless there are no sales in the ordinary course of trade.

d. Asian contract price ("ACP") is not the basis on which annual or spot sales of MEG are conducted in Asia including India. Rather the same is used for long-term contracts, typically ranging from 7-15 years. Equate Group has submitted annual purchase contracts of PUC across several countries which are marked to average China CFR prices, a fact which the domestic industry had accepted in previous investigation. Comparison of export price to India with ACP is inappropriate and is an attempt by the applicant to create and artificial and exaggerated price difference.

e. Equate Group's average export price to India was higher than China or Pakistan during the POI.

f. PRC has neither exported the subject goods to India nor made domestic sales during the POI. However, it has participated in the investigation as it is a related party to SABIC Group, on account of common shareholding by Saudi Aramco. The Authority in LDPE investigation had treated PRC and Sadara as related and awarded them a single rate of duty.

g. Equate Group has fully cooperated in the present investigation and given the negligible volume of domestic sales, normal value should be constructed based on the basis of COP in the country of origin plus reasonable amount of SG&A and profits. Further, in line with Authority's consistent practice, the Authority should adopt a profit margin of 5% per cent as reasonable amount. Equate Group has also provided third country sales data to assist the Authority in its analysis.

h. Reliance on TKOC's financial statements is incorrect as it does not relate to POI and it does not take into account, performance of Equate. Profit margins reported in TKOC's financial statements are for ethylene and MEG and thus, cannot be applied for determining the appropriate profit margin for the PUC.

i. Corporate level profitability is influenced by range of factors beyond normal commercial MEG sales such as long terms supply agreement, integration benefits and other strategic operations. Equate Group has submitted product specific cost and sales information related to MEG and therefore, in terms of Rule 4 of AD Rules, and Art. 2.2.1.1 of AD Agreement, constructed normal value should be determined based on the records of the exporters as long conditions under Art. 2.2.1.1 of AD Agreement are being fulfilled.

j. PMS has not been defined in CTA or in AD Rules. The uses of adjectives "particular" and "market" indicates that market situation must be 'exceptional, distinct, individual, single, specific' and to establish PMS, the Authority must conclude that there exists an exceptional/ distinct state of affairs in the market.

k. Indian Law and WTO Agreement do not permit examination of PMS in input/ raw material market. The domestic industry tried to mislead the Authority by referring to laws of EU, Canada and US to claim that such countries consider PMS for inputs. The municipal law in such countries is significantly different than India.

l. Provisions of raw material distortion in EU Anti-dumping Regulation are not present in Indian law and therefore, the practice of EU in this regard is irrelevant.

m. All reference in Art. 2.2 of the AD Agreement pertain to like product or the PUC, therefore, the same does not allow the Authority to look into allegation of distortion in inputs.

n. The burden of proof to establish PMS lies on the applicant and it has not established the same for Kuwait or Saudi Arabia as held by the Panel in US-Shirts and Blouses. The applicant has in previous investigations also relied on incorrect legal standard for PMS.

o. The applicant's submissions are based on surmises and conjectures of alleged government control over pricing on feedstock gases are insufficient to establish the claim of PMS. Further, the applicant's PMS allegation pertains to the feedstock used in production of PUC and not PUC itself.

p. Regulation of prices of natural gas or liquids by Government of KSA ("GKSA") cannot be regarded as "distinct state of affairs in relation to supply of inputs and feedstock." Such regulatory measures are employed by all governments including Government of India. No evidence has been provided how such measures distort the market for inputs within the country.

q. Applicants have equated mere regulation of prices to distortion. Further, mere existence of government measure cannot lead to the conclusion that costs associated with the production and sale of MEG are not reasonably reflected or establishes that a proper comparison cannot be carried out between domestic and export sales.

r. Cost recorded in the books of the exporters cannot be rejected merely because input prices are being regulated by state or because input prices are allegedly unreasonable due to existence of regulation. Despite domestic prices of inputs being lower than international prices on account of Argentine export tax system, the Appellate Body in EU-Biodiesel (Argentina) held that it was not sufficient basis for concluding that producer's records do not reasonably reflect the cost of production and sale of biodiesel. Similar approach was

undertaken by the Appellate Body in *Ukraine – Ammonium Nitrate (Russia)* and *EU-Cost Adjustment Methodologies (Russia)*. Further, "reasonably reflect" indicates that only truthfulness and accuracy of record kept by exporter can be examined and whether such records suitably and sufficiently correspond to the costs actually incurred by investigated producer in the production and sales of the PUC.

s. The applicant has not provided any evidence to establish that a price equalization regime exists in KSA or that exporters in KSA benefit from such a regime in manufacturing of subject goods.

t. As per *EU-Biodiesel*, the investigating authority cannot replace "in country cost of production" with international benchmarks such as ethylene benchmarks suggested by the applicant.

u. As per the legal standard laid down by the Authority in *Uncoated Copier Paper*, the domestic industry has to prove that government intervention has led to lower prices in domestic market.

v. The domestic industry's reliance on *Australia – A4 Copy Paper* is erroneous for the reason that the Panel has nowhere given its finding on Indonesia's claim that the term "particular market situation" as it appears in Article 2.2 of the Anti-Dumping Agreement cannot be used to address distortions in the cost of inputs.

w. Ethane pricing in GKSA is based on combination of commercial reasons and environmental concerns, further for propane and butane, GKSA has set out a detailed formula to ensure domestic natural gas prices are based on international market prices. The linking of feedstock prices to market prices ensures that prices are based on commercial considerations and enable the producers' recovery of full costs and a profit in the ordinary course of business. The same was accepted by the Working Party during WTO Accession Negotiations of KSA.

x. Prices fixed for ethane is used for producing downstream products for export markets or for consumption within KSA. Accordingly, price comparability is not affected.

y. The European Commission had relied on the SABIC Group's cost of production as reported in its books in its MEG investigation.

z. The USDOC in several investigations has held government control as insufficient evidence to constitute PMS.

aa. The applicant's allegation on PMS is linked to alleged subsidization by GKSA, however, no details of such alleged programs were provided. Even if existence of such alleged schemes is accepted, the appropriate measure would be countervailing duty and not anti-dumping duty.

bb. Applicant's reliance on websites concerning third country export prices is misplaced. SABIC Group has provided third country prices, which indeed shows that such prices are comparable to India.

cc. The existence of PMS in KSA cannot lead to automatic rejection of actual costs. No evidence has been provided to establish that PMS prevents proper comparison between export and domestic prices. The applicant has failed to distinguish between 'reasonableness' of cost and "whether costs reasonably reflect the costs associated with production and sales of the subject goods." In terms of Art. 2.2 of the AD Agreement, the Report of the Panels in *Australia – A4 Copy Paper* and *EEC – Cotton Yarn*, the Authority

must ascertain whether the existence of PMS does not permit a proper comparison of domestic sales with export sales.

dd. Cost of production is common for both domestic and export products, no separate costs are recorded for the two types of sales and PUC is sold in both markets at market determined rates.

ee. In case of KSA and Kuwait, no evidence has been provided to establish that proper comparison between domestic sales and export sales is impermissible. Further, in the previous investigation even though Authority concluded the existence of PMS in KSA, it did not reject the actual costs of the exporters from KSA. Further, even if applicant's allegations concerning PMS are found to be correct, there is no legal basis to reject the recorded costs of the respondents.

ff. Despite finding of PMS in previous investigation, the Authority did not make any adjustments to the recorded cost of production of the producers of KSA.

gg. Lower price of particular commodity cannot be considered PMS. Costs cannot be rejected if such costs are lower due to regional advantages. Natural advantage cannot be considered PMS.

hh. No new evidence has been presented to substantiate PMS allegation against SOK or to contradict Authority's previous findings against SOK on PMS. While the applicant has referred to state owned entities in KSA and SOK, no evidence has been provided how Government of SOK ("GSOK") exercises control over sales of input materials that distorts domestic prices or renders domestic prices unreliable for computation of normal value. The mere fact that Kuwait Petroleum Corporation is a state-owned entity is not sufficient to establish the allegation of PMS.

ii. The applicant has also not provided the alleged royal decree based on which it has claimed PMS.

jj. There is no unified GCC market and different feedstock producers price feedstocks differently. Further, applicant has requested for comparison of cost of production of exporters from SOK and KSA against international ethylene benchmark prices, which the applicant has not disclosed in non-confidential version, and has claimed lower raw material cost contribute to PMS. Mere lower prices of inputs in SOK are not sufficient basis to conclude existence of PMS. Lower prices in Gulf Region, Saudi Arabia and the US is on account of natural competitive and regional advantages, including abundant access to oil and gas resources and not due to government intervention, as alleged by the applicant.

kk. The domestic industry relies on imported feedstock which leads to higher cost of production in India.

ll. Issue of availability of raw material at less than adequate remuneration can be examined only through anti-subsidy investigation as has been held by the Authority in *Uncoated Copier Paper* (F.No. 6/32/2017-DGAD). The examination of alleged "financial contribution" can only be investigated in a countervailing duty investigation.

mm. The Authority has rejected claims of PMS in KSA in Clear Float Glass from Pakistan, Saudi Arabia and UAE. Further, in LDPE from Qatar, KSA, Singapore, Thailand, UAE and USA, the Authority concluded that sufficient evidence did not exist whether PMS prevented a proper and fair comparison between domestic selling and export price.

nn. There is no requirement to issue detailed PMS questionnaire when the issue has already been examined in detail in previous investigation.

G.2. Submissions on behalf of the domestic industry

28. The following submissions have been made on behalf of the domestic industry with regard to the normal value, export price and dumping margin:

a. None of the participating exporters have denied the fact that they were dumping the subject goods into India.

b. The monthly contract prices published by the exporters for Asian region and India clearly shows the level of dumping by the exporters. In this regard, the applicant has relied upon the Asian contract prices published on the official website of the Equate Group for the POI, which shows that the average price difference between the Indian contract prices and Asian contract prices is at least 300 USD.

c. SABIC Group sells to other Asian markets at significantly higher prices than those to India, with the gap between Asian contract prices and actual export prices to India being around USD 300. For this purpose, the applicant has relied on the Asian Contract price for the month of November, 2023 as published on a secondary source (Argaam website).

d. The claim of the exporters that Asian Contract Prices are negotiated for long-term contracts of 7–15 years is misleading, as there is no logic as to why monthly prices would be declared for such long-term agreements. This contradicts SABIC Group's own statement during the second oral hearing, where it asserted that Asian Contract Prices are meant for 1–2-year contracts. Moreover, MEGlobal's (a part of the Equate group) website explicitly states that Asian Contract Prices reflects short-term demand-supply dynamics in the Asian market.

e. It is also unclear that when the Indian Contract Prices reflect nearly the actual import price of MEG from Kuwait to India, why Asian Contract Prices would not be reflective of export prices to Asian countries unless the exporters from Kuwait are also engaged in trade distorting activities in their exports to other Asian markets.

f. Exporters from Kuwait have sought determination of dumping margin based on constructed normal value. As per Section 9A(1)(c) of the Customs Tariff Act, 1975, where domestic or third-country sales are unavailable, normal value is to be constructed using cost of sales and reasonable profit. The Authority should consider the actual profit being earned by them for computation of CNV.

g. The applicant has provided substantial evidence to support its allegation of particular market situation in case of both the subject countries.

h. The markets of Saudi Arabia and Kuwait, and in general, the Gulf Cooperation Council region, are affected by a particular market situation due to government intervention in the pricing of key inputs and utilities. This intervention distorts the cost of key raw materials and utilities, and as a result, the costs reflected in the producers' records do not reasonably reflect the costs associated with the production of the subject goods. Therefore, such costs cannot be relied upon for determination of dumping margin, particularly for conducting the ordinary course of trade test. In this regard, the Applicant places reliance on Article

2.2.1.1 of the WTO Agreement on Anti-Dumping, which permits deviation from recorded costs where they do not reasonably reflect the costs associated with the production and sale of the PUC.

i. The Authority is under no obligation to accept the cost of production reported by the exporters if conditions set out under Article 2.2.1.1 are satisfied, provided it finds a compelling reason to disregard such costs.

j. The applicant submits that once *prima facie* evidence to support the allegation of particular market situation has been provided, the burden of proof rests upon the exporters from the subject country to demonstrate that particular market situation does not exist, in the case of SOK.

k. The Government of Saudi Arabia, through the Law of Gas Supplies and Pricing Regulation and its implementing Regulation, controls the pricing of certain hydrocarbons which are used as inputs or utilities in the production of the subject goods. Additionally, a price equalisation regime is in place whereby the government compensates Saudi Aramco for losses incurred in selling these regulated gas products to downstream users. This mechanism has been acknowledged by the Government of Saudi Arabia in its Trade Policy Review.

l. Under the dual pricing regime, the Ministry of Energy under the Government of Saudi Arabia mandates Aramco to supply regulated gas products to downstream producers at regulated domestic prices. The Government of Saudi Arabia compensates Aramco for any losses incurred from selling inputs at these regulated rates.

m. The SABIC Group's argument that "ordinary government measures" relating to input and feedstock price regulation cannot constitute a PMS is entirely misconceived. Reliance in this regard is placed on the Panel decision in Australia – A 4 Copy Paper. Accordingly, even ordinary government measures may give rise to a Particular Market Situation if they result in market distortions.

n. Even in the previous investigation, the Authority had unequivocally concluded that price regulation of regulated gas products leads to particular market situation in Saudi Arabia.

o. Similar distortions likely exist in Kuwait, although due to limited transparency, direct evidence of distortion could not be obtained. Based on market intelligence, the Government of Kuwait has issued a royal decree allowing the two exporters from the Equate Group to procure key feedstock from government supplier at significantly low rates.

p. The profits earned by the Equate Group on MEG sales are even higher than the exporters from Saudi Arabia. Given the substantial share of ethylene in the total cost of MEG production, the Applicant believes that the exporters from Kuwait benefit from raw material and utility costs that are even lower than the already distorted costs of the exporters from Saudi Arabia.

q. In response to Equate Group's claim that low input costs cannot constitute a Particular Market Situation unless they prevent a proper comparison between normal value and export price, the Applicant submits that the existence of a Particular Market Situation and its impact on price comparability are two distinct legal tests, as clarified by the Panel in *Australia – A4 Copy Paper.*

r. If natural gas or input suppliers to downstream entities were truly operating on a full cost recovery basis while selling at regulated domestic prices, there would be no need for the Government of Saudi Arabia to compensate them.

s. The fact that a government measure leading to a Particular Market Situation may also qualify as a subsidy does not preclude the Authority from examining its impact on costs and prices of the subject goods in the exporting country. Reliance in this regard is placed on the Panel's ruling in *Australia – A4 Copy Paper*, which clearly held that a finding of a Particular Market Situation does not amount to a specific action against a subsidy.

t. The Australia A4-Copy Paper Panel very clearly observed that "*the market situation must be distinct, individual, single, specific but that does not necessarily make it unusual or out of the ordinary — i.e. exceptional.*" Arguendo, even ordinary government measures cannot be precluded in a situation where such measures lead to a particular market situation.

u. The Authority in the previous investigation had unequivocally confirmed the existence of particular market situation in Saudi Arabia.

v. Even when PMS affects both normal value and export price, it does not negate its impact on price comparability. The Panel in *Australia – A4 Copy Paper* did not bar investigating authorities from rendering a finding on non-comparability merely because the same inputs are used in both domestic and export production. The Panel expressly found that even when a distorted input is used in the production of goods for both domestic and export markets, exporters may leverage such distorted costs differently across markets, depending on prevailing market conditions.

w. The European Commission has already levied 7.7% and 46.7% anti-dumping duties on MEG exported by SABIC Group and MEGlobal Americas Inc., a related party of the Equate Group, respectively in 2021 which also shows that exporters from subject countries adopt unfair trade practices and are selling at dumped prices in third country markets as well.

x. In the previous investigation, the Authority failed to assess cost, pricing, and profitability before concluding that existence of particular market situation did not affect price comparability.

G.3. Examination by the Authority

29. Under section 9A(1)(c), the normal value in relation to an article means:

> *'i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or*
>
> *ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:*

(a)comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.'

30. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters of the subject countries, as well as to the appropriate diplomatic representative advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority within the prescribed time limit.

31. The Authority notes that the domestic industry has claimed the existence of particular market situation in KSA and SOK. With regards to KSA, the domestic industry has claimed that Government of KSA operates a dual pricing mechanism for regulated gas products used in the production of the PUC through price equalization regime, under which it sets prices for supplying such inputs (ethane, propane etc.) to downstream industry. The domestic industry has provided extracts from KSA's Trade Policy Review and the Annual Report of Saudi Aramco to claim the same. Further, with respect to SOK, the domestic industry has claimed that SOK being part of the unified GCC market in which distorted prices exist, the prices of feedstock in SOK are also distorted.

32. Other interested parties have disputed the domestic industry's claim concerning the existence of PMS. SABIC Group has claimed that there is no price equalization regime in KSA and the alleged distortive pricing measures claimed by domestic industry are normal price regulation by Government of KSA as is done by governments all over the world.

33. In relation to KSA, based on the evidence available on record, and in particular, Saudi Aramco's Annual Report, and the Authority's previous findings in the *Anti-dumping investigation concerning imports of Monoethylene Glycol originating in or exported from Kuwait, Saudi Arabia and the USA*, the Authority finds no reason to digress from its previous conclusion regarding the existence of PMS in KSA. However, the Authority has also not found sufficient evidence on record to establish that such distortion affects comparability between the export price and domestic price. Accordingly, the Authority has not carried out any adjustments based on PMS allegation to the cost of production of producers from KSA.

34. Further, the Authority did not find any direct evidence concerning existence of PMS in SOK during the POI. Accordingly, no adjustments have been made on account of PMS in case of producers from SOK.

35. The normal value and export price for all producers/ exporters from the subject countries have been determined as below.

G.3.1 Determination of Normal Value and Export Price

a) Normal Value for producers/exporters from SOK

Normal Value for Equate Group

(b) Equate Petrochemical Company ("Equate")

36. The producer has reported domestic sales of *** MT having a value of *** USD in the POI, which have been made to its unrelated parties. The producer has claimed adjustments on account of inland transportation and credit cost. It is noted that domestic sales account for less than 5% of total export sales volume made to India by Equate and accordingly, domestic sales made by Equate do not qualify the sufficiency test. Accordingly, the Authority has not considered such sales for determination of normal value.

37. In its questionnaire response, Equate has claimed normal value based on cost of production, and reasonable selling, general and administrative expenses and profits. Accordingly, the Authority has constructed the normal value based on the cost of production of the subject goods in the originating country with reasonable addition of selling and administration expenses and adding profit margin. The normal value so determined has been proposed in the dumping margin table below.

(c) The Kuwait Olefins Co. ("TKOC")

s

38. The producer has reported domestic sales of *** MT having a value of *** USD in the POI. However, all TKOC's domestic sales have been made to its related party, Equate, which has exported the subject goods and therefore, have not been consumed in SOK's domestic market. Accordingly, the Authority has not considered TKOC's domestic sales for computation of normal value.

39. The Authority also notes that TKOC in its questionnaire response has claimed computation of dumping margin based on constructed normal value i.e., cost of production plus reasonable selling, general and administrative expenses and profits. Accordingly, the Authority has constructed the normal value based on the cost of production of the subject goods in the originating country with reasonable addition of selling and administration expenses and profits. The ex-factory normal value so determined has been proposed in the dumping margin table below.

Normal value for non-cooperating producers.

40. The normal value for non-cooperative producers/exporters from the SOK has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the AD Rules. The normal value so determined is proposed in the dumping margin table below.

b) Export price for producers / exporters from SOK

Export price for Equate Group

(d) Equate

41. The producer has exported *** MT of subject goods having value of *** USD to India during the POI. Equate has made direct exports as well as exports through unrelated traders. Except Mitsubishi Corporation, no other unrelated traders have participated in the present investigation. Equate has claimed adjustments on account of shipping costs, credit cost, bank charges and LC discounting charges. Equate Group has also sold subject goods produced by producers other than Equate Group. Such transactions have not been considered for computation of dumping margin or injury margin for Equate Group, and have been considered for such other producers. The net export price so determined is proposed in the dumping margin table below.

(e) TKOC

42. TKOC has exported *** MT of subject goods having value of *** USD to India during the POI. TKOC has made no direct sales to India, and all its sales have been made either through its related trader Equate or unrelated traders. Except Mitsubishi Corporation, no other unrelated traders have participated in the present investigation. However, such transactions are insignificant in terms of total volume exported to India by TKOC. The net export price so determined is proposed in the dumping margin table below.

Export price for non-cooperative exporters/producers.

43. The export price for non-cooperative producers/exporters from SOK has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the AD Rules. The net export price so determined is proposed in the dumping margin table below.

b) Normal Value for producers/exporters from KSA

Normal value for SABIC Group

44. The following producers from SABIC Group have participated in the present investigation:

(i)Arabian Petrochemical Company (Petrokemya),

(ii) Eastern Petrochemical Company (Sharq);

(iii) Jubail United Petrochemical Company (United),

(iv) Saudi Kayan Petrochemical Company (Saudi Kayan),
(v) Saudi Yanbu Petrochemical Company (Yanpet);
(vi) Yanbu National Petrochemical Company (Yansab);
(vii) Rabigh Refining & Petrochemical Company (Rabigh).

45. It is noted by the Authority that during the POI, only Sharq and Yanpet have made sales of the PUC in the domestic market of Saudi Arabia. All sales in the domestic market were made to related trader, SABIC, which has sold the subject goods to unrelated domestic customers. Further, the Authority notes that there are no domestic sales of the PUC by Petrokemya, United, Saudi Kayan and Yansab.

(a) Normal Value for Sharq

46. Sharq has reported domestic sales of *** MT having value of *** USD in its domestic market. All domestic sales were made through its related trader SABIC. Sharq's domestic sales constitute more than 5% of its exports sales volume to India and therefore, it considers that domestic sales of Sharq are sufficient in quantity. The Authority further carried out the ordinary course of trade test to examine the profitable transactions. Upon examination, it was noted that more than 80% of sales were made below the cost of production. Accordingly, for determination of normal value, the Authority has only considered profitable sales. Sharq has claimed adjustments for logistics and has been accepted after desk verification. The normal value so determined has been proposed in the dumping margin table below.

(b) Normal value for Petrokemya, Saudi Kayan, United

47. Petrokemya, Saudi Kayan and United have not made domestic sales of the subject goods in the POI. Accordingly, the Authority has constructed the normal value based on the cost of production of the subject goods in the originating country with reasonable addition of selling and administration expenses and profits. The normal value so determined has been proposed in the dumping margin table below.

(c) Normal value for Yansab, Yanpet and Rabigh

48. The Authority also notes that Yansab, Yanpet and PRC have also participated in the present investigation. However, none of them have exported the subject goods to India in the POI. Accordingly, the Authority has not determined normal value / export price for them. However, as these producer form part of the same group, duty margin determined for SABIC Group shall be applicable to these exporters.

(d) Normal value for non-cooperating producers.

49. The normal value for non-cooperative producers/exporters from the KSA has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the AD Rules. The normal value so determined is proposed in the dumping margin table below.

Export price for producers / exporters from Saudi Arabia

Export Price for SABIC Group

(a) Export Price for SHARQ

50. SHARQ has exported *** MT of subject goods having value of *** USD to India during the POI. SHARQ has made sales through its related traders, SABIC and SPDC. SABIC has exported the subject goods to India through its related entity SAPPL. SPDC has exported the subject goods to India through its related trader Mitsubishi Corporation. SHARQ and its related traders have claimed adjustments on account of ocean freight, insurance, inland freight, port and other related expenses, credit cost, outsourcing fee, bank charges and commission which has been accepted after desk verification. The net export price so determined has been proposed in the dumping margin table below.

(b) Export Price for PETROKEMYA

51. PETROKEMYA has exported *** MT of subject goods having value of *** USD to India during the POI. PETROKEMYA has made sales through its related trader, SABIC and SAPPL. PETROKEMYA and its traders have claimed adjustments on account of ocean freight, insurance, inland freight, port and other related expenses, credit cost, outsourcing fee, bank charges, and commission which has been accepted after desk verification. The net export price so determined has been proposed in the dumping margin table below.

(c) Export Price for SAUDI KAYAN

52. SAUDI KAYAN has exported *** MT of subject goods having value of *** USD to India during the POI. SAUDI KAYAN has made sales through its related trader, SABIC and SAPPL. SAUDI KAYAN and its traders have claimed adjustments on account of ocean freight, insurance, inland freight, port and other related expense, credit cost, outsourcing fee, bank charges, and commission which has been accepted after desk verification. The net export price so determined has been proposed in the dumping margin table below.

(d) Export Price for UNITED

53. UNITED has exported *** MT of subject goods having value of *** USD to India during the POI. UNITED has made sales through its related trader, SABIC and SAPPL. UNITED and its traders have claimed adjustments on account of ocean freight, insurance, inland

freight and other related expenses, credit cost, outsourcing fee, bank charges and commission which has been accepted after desk verification. The net export price so determined has been proposed in the dumping margin table below.

Export price for non-co-operative exporters/producers.

54. The export price for non-cooperative producers/exporters from KSA has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the AD Rules. The net export price so determined is proposed in the dumping margin table below.

Normal Value for producers/exporters from ROS

Normal value for non-cooperating producers.

55. No producer exporter of subject goods from ROS has participated in the present investigation.

56. Accordingly, the normal value for producers/exporters from ROS has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the AD Rules. The normal value so determined is mentioned in the dumping margin table below.

Export price for non-cooperative exporters/producers.

57. The export price for non-cooperative producers/exporters from ROS has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the AD Rules. The net export price so determined is mentioned in the dumping margin table below.

G.3.2 Dumping Margin

58. The Authority notes that both in case of SOK and KSA, participating exporters are related to each other and form a group. Accordingly, the Authority has determined weighted average dumping margin for the group. The normal value, export price and dumping margin determined in the present investigation are as follows:

Dumping Margin Table

Producer	Normal Value (USD/MT)	Net Export Price (USD/MT)	Dumping Margin (USD/MT)	Dumping Margin (%)	Dumping Margin Range (%)
SOK					
Equate Petrochemical Company	***	***	***	***	40-50%
The Kuwait Olefins Co. (“TKOC”)	***	***	***	***	0-10%

Equate Group Weighted Average	***	***	***	***	20-30%
Others	***	***	***	***	40-50%
KSA					
Arabian Petrochemical Company	***	***	***	***	40-50%
Eastern Petrochemical Company	***	***	***	***	0-10%
Jubail United Petrochemical Company	***	***	***	***	30-40%
Saudi Kayan Petrochemical Company	***	***	***	***	30-40%
SABIC Group Weighted Average	***	***	***	***	20-30%
Others	***	***	***	***	40-50%
ROS					
Others	***	***	***	***	40-50%

H. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK

H.1. Submissions of the other interested parties

59. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the injury and causal link:

a. The Authority must examine IGL's data for a proper injury assessment as in terms of S.9B of the Act injury is to be assessed for 'established industry' in India and not for the applicant alone.
b. The Authority in previous investigations such as Plain Medium Density Fibre Board (MDF) has called for information from other domestic producers. In the absence of non-participation by IOCL and IGL, the Authority should draw conclusions from the non-participation of these two producers.
c. All injury parameters of the applicant demonstrate improvement from the base year and preceding years. As per DGTR's previous findings, the domestic industry has not suffered any injury till December 2020. Further, non-recommendation of provisional findings indicates that the domestic industry's position has remained more or less same.
d. As per responding exporters, dumping margin is negative and accordingly, even if parameters support a case of injury, no duty can be recommended.
e. The Authority's decision to not impose anti-dumping duties and the withdrawal of the previous application are evidence that domestic industry's case was frivolous. The

withdrawal of the last application was followed by increased imports from RIL USA Inc, which is an attempt to skew the data and project an illusion of injury to justify the present application.

f. The applicant's claim concerning continued injury since 2020-21 is legally untenable as the Authority terminated the investigation on the ground of no material injury.

g. India does not have production capacity of 27 lakhs, and the applicants must be put to strict proof regarding the actual production and capacity of the Indian Industry. Further, the Authority must exclude shutdowns faced by RIL while calculating overall available capacity.

h. It is unclear if RIL's captive consumption has been considered while reporting domestic capacity of 27 lakhs MT. If such captive consumption has been included, then it amounts to an inflated view of overcapacity for the PUC.

i. Iran has been excluded from the scope of the present investigation even though imports from Iran were more than 3% of total imports (as claimed by the applicants) and accordingly, Iran should have been included in the present investigation.

j. The Authority should share excel copy of transaction-wise import data as per the judgement in *Exotic Décor Pvt. Ltd. and Ors. v. Designated Authority, Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties* for analysis and comments so that interested parties can assist the Authority in reaching correct conclusion. Import data is not party specific, accordingly the same cannot be claimed confidential.

k. The word "significant" in Para (ii) of Annexure II to AD Rules indicates that the Authority must assess whether there has been a significant increase in the volume of dumped imports either in absolute terms or in relation to production and consumption in India.

l. There is no adverse volume effect in the present investigation. There has been a decline in volume of imports in absolute terms compared to 2022-23 and the base year. Opposed to the applicant's assertion that the said decline is on account of imposition of QCO, the decline in volume of imports is attributable to increased domestic capacity and production.

m. The Applicant's claims regarding the volume effect of imports are inconsistent and fail to establish a causal link with the alleged injury. The Applicant has acknowledged that until FY 2022–23, a demand-supply gap in the Indian market necessitated imports. With IOCL's new capacity becoming operational in February 2022, domestic capacity became sufficient to meet total demand.

n. This development confirms that earlier imports were driven by supply constraints, not due to injurious price effect of imports. Notably, imports declined during the POI, coinciding with IOCL's expansion, indicating a natural shift by Indian buyers to domestic suppliers. Had imports from Kuwait been displacing domestic production, this capacity expansion would have had little to no impact on import trends.

o. The decline in import volumes of subject goods during the POI clearly indicates a shift towards domestic sourcing, thus, indicating imports from Kuwait are not causing injury to the domestic industry. Further, the decline in the volume of imports during the POI indicates that imports have not exerted continuous volume pressure on the domestic industry.

p. Imports have declined despite a growth in total demand which indicates that injury cannot be attributed to imports of MEG by the subject countries.

q. The domestic industry has admitted that it has imported substantial quantities of subject goods to meet requirements of its downstream value-added products. If existing capacities are sufficient to meet Indian demand, it is unclear as why it could not procure the same from other domestic producers.

r. It needs to be demonstrated that price undercutting is significant or whether the prices of imports have had a suppressing or depressing effect on the selling prices of the domestic industry.

s. The domestic industry's selling price has moved upwards since the base year which indicates that domestic selling prices were not suppressed. While cost of sales has fluctuated, the selling price has kept pace and therefore, there is no discernible suppression or depression of price linked to subject imports.

t. There is no correlation between the landed price of the subject goods and the selling price of the subject goods. Price undercutting has remained the same throughout the injury analysis period and landed price and selling price of the domestic industry has moved in tandem.

u. The domestic industry's selling price is not based on imports rather the same is based on CFR China Price. Thus, import prices in India have no role to play and therefore, imported MEG from subject countries cannot have any price impact on the domestic industry.

v. The Authority must determine whether information regarding selling prices as provided by applicants is with respect to non-captive sales or for both captive and non-captive sales in which case, price undercutting provided by the domestic industry would not be correct representation.

w. There is no price undercutting, or it is merely marginal.

x. The price undercutting calculation provided by the applicant is incorrect. The derived selling price of the applicant is Rs. 40,886/MT during the POI based on which price undercutting is negative. Thus, applicant's claim concerning positive and significant price undercutting is false and misleading.

y. Further, in terms of *China – X Ray Equipment*, where price undercutting comes negative, it is incumbent on the domestic industry or the Authority to explain why the domestic industry was not able to increase it prices and causality between the imports and alleged injury.

z. The prices for subject goods fell globally during the POI, including the exports from non-subject countries and is not on account of dumping but due to decline in prices in China which is the benchmark followed by exporters for the Indian market.

aa. The domestic industry has not demonstrated that the current level of capacity utilization, despite being high is inadequate due to imports of subject goods from the subject countries.

bb. The domestic industry's sales have increased compared to the base year. Despite a reduction of 15 index points in captive consumption, total sales volume has declined only by 14 index points, clearly indicating that decline in sales during POI compared to previous years was on account of reduction in captive consumption and lack of export sales.

cc. The domestic industry has made imports even though it had inventories and its capacity utilization remained low leads to the necessary conclusion that it has projected higher capacities than actually functional.

dd. The domestic industry has claimed that it has taken a commercial decision to reduce production in order to avoid inventory built up. However, at the same time, it is claiming

that in order to remain viable it must maintain capacity utilization in the range of 80-90%. The submissions are mutually contradictory.

ee. The market share of subject imports from the subject countries has declined in the POI compared to FY 2022-23 and market share of the domestic industry has in fact improved during the POI.

ff. Sales of other domestic producers have doubled over the injury period.

gg. The reduction in market share was on account of capacity expansion by Indian Oil Corporation. Any increase in market share of imports between 2020-21 and 2021-22 was on account of demand-supply gap and imports lost their market share when domestic producers increased their capacities.

hh. The domestic industry's sales value and selling price have increased compared to the base year.

ii. There is no correlation between prices of domestic industry and imports. While prices of subject imports from Kuwait increased from 100 index points in 2020-21 to 142 in 2021-22, the domestic industry's profitability worsened. If imports were responsible for price suppression and injury, profitability should have increased with increase in import prices. Further, the domestic industry's profitability has improved in the POI, when prices from Kuwait fell and subject goods were allegedly being dumped at margins as high as 60-70%, which further confirms the lack of correlation.

jj. The change in profitability parameters is on account of increased cost of sales of the domestic industry. The rising cost structure coincides with steady decline in domestic industry's profitability which clearly indicates that cost of sales is the primary factor affecting profitability, rather than movement in import prices.

kk. The domestic industry imports its ethane from its fully owned subsidiary RIL USA Inc., The price at which the domestic industry procures ethane from RIL USA Inc., is much higher than the export price of ethane from USA.

ll. The domestic industry's explanation that the difference was on account of terms of sales i.e., US prices were reported on FOB basis, whereas Indian import prices were reported on FOB basis is incorrect. Such a high difference cannot be attributed to freight and insurance. The applicant's cost of ethane is artificially high and therefore, the Authority must assess whether the applicant's procurement of ethane is at arm's length.

mm. The domestic industry's profitability has significantly declined after it has started to import ethane from its related entity and it must explain as to why the abovementioned facts were not responsible for reduced competitiveness vis-a-vis imports.

nn. The domestic industry's depreciation has increased significantly in the POI compared to previous years without any change in fixed assets, capital employed and working capital. No explanation has been provided regarding the sudden increase in depreciation.

oo. The domestic industry's profitability parameters have significantly improved compared to 2022-23. The improvement in profitability runs contrary to the domestic industry's claims of worsening injury.

pp. The reliance on the observations of the Supreme Court in *Reliance Industries Ltd. v. UOI*, is misplaced as the same specifically pertained to the treatment of captive inputs in the context of determination of the Non-Injurious Price, which is a constructed, normative benchmark used for comparison with import prices.

qq. Profitability is not a theoretical construct, and substituting actual costs with hypothetical market prices to artificially show losses undermines the integrity of the injury assessment and distorts the true economic performance of the domestic industry.

rr. The Authority must rely on domestic industry's reported financial data in its books without making any hypothetical adjustments based on external benchmarks as MEG producers typically producer ethylene in-house or source it via captive arrangements.

ss. The cost of production must be determined based on the records maintained by the domestic producers and not on notional costs.

tt. The loss to domestic industry is on account of geographical factors and not due to alleged dumping.

uu. RIL in its recent press release has admitted that its MEG margins have improved by 46% from a low base. Accordingly, the domestic industry is not suffering from any injury.

vv. While closing inventory has increased, average inventory days of sales have declined which clearly indicates that increase in inventory index was not due to reduced sales but on account of strategic stocking of RIL's commercial decision of blocking supply to downstream competitors.

ww. The decline in productivity parameters was on account of reduced captive consumption and lack of export sales made by the domestic industry.

xx. The domestic industry is itself a multi- product company hence it cannot be said that its ability to raise capital is affected in any way.

yy. The threat of material injury must be clearly foreseen and imminent. Mere existence of surplus capacities or changes in third country markets are insufficient and cannot lead to a conclusion threat of material injury

zz. No evidence has been provided to support the claim that India would be the preferred destination for exports. The presence of BIS certification requirements places additional conditions on imports, thus making a comparatively less accessible market.

aaa. Historical trade patterns also do not show unmanageable surges into India even when capacity expansion occurred in the subject countries.

bbb. Exports of subject goods from Saudi Arabia to India have not exceeded 5% of their total exports to India.

ccc. Merely because subject countries have high export potential does not mean that such goods would be exported as the same is dependent on factors such as raw material, supply chain constraints.

ddd. The financial performance of the domestic industry has been primarily influenced by market-driven factors, including rising raw material costs, increased inventory levels, and global oversupply conditions, which has constrained price realization and impacted profitability.

eee. RIL in its Q2 Investor Presentation for FY 2023-24 has stated "MEG-Naphtha margin surged 53% to US$ 67/MT, driven by increased downstream operations and weaker naphtha prices. However, margins continue to remain weak due to capacity overhang and higher inventory."

fff. Economic Slowdown in China has led to reduced consumption of MEG in China which has impacted MEG margins, which was also recognized by RIL in its Q4 FY 23 Media Release.

ggg. Decline in applicant's sales was not due to competition from imports but on account of increase in sales by other domestic producers. If imports were cause of injury, all Indian producers would have experienced decline in sales.

hhh. Production of MEG is heavily reliant of Naphtha-derived ethylene. RIL has admitted in its investor presentation that MEG delta remained low due to strong Naphtha prices. Thus, decline in profitability is on account of rising input costs rather price suppression by imports.

H.2. <u>Submission on behalf of the domestic industry</u>

60. The following submissions have been made on behalf of the domestic industry with regard to the injury and causal link;

a. The growth in Indian demand has made it highly attractive target for exports of subject goods. Producers from the subject countries have aggressively reduced their prices to penetrate the market. As a result, the Indian domestic industry has been consistently facing injury from dumped imports since 2019.

b. Regarding the reliability of data pertaining to injury parameters the domestic industry has agreed to all necessary verification which the Authority may require to ascertain the veracity and correctness of the reported data.

c. The domestic industry has faced injury from dumped MEG imports since 2019. The subject countries consume only *** % of their production domestically and are primarily focused on exports. While Indian demand grew by *** % over the injury period, Global MEG consumption grew just *** %, leaving *** % of the subject countries' capacities idle in 2024—equivalent to *** % of India's demand.

d. IOCL has two plants located in Panipat (capacity of 457000 MT) and Paradip (capacity of 357000 MT). Thus, at the end of the POI of the present investigation, Indian MEG capacity stood at 27 lacs MT and is sufficient to meet the entirety of the Indian demand.

e. Despite prior investigation which was initiated vide Notification No. 6/8/2021-DGTR dated June 28, 2021, confirming dumping and significant injury margins, no anti-dumping duties were imposed as the domestic industry was deemed to earn reasonable profits and not face injury.

f. The condition of the Indian domestic industry has worsened significantly due to the absence of remedial measures despite ongoing dumping and injury since January 2019, which has intensified over time. The domestic industry's profitability has almost completely eroded, and it has been forced to sell at non-remunerative prices. This has resulted in almost *** % decline in PBIT and ROCE.

g. Imports of subject goods from the subject countries have risen significantly in the POI compared to the base year, both in absolute terms and relative to India's production and consumption. Further, compared to base year, imports have doubled in the POI.

h. The dumped imports from the subject countries also rose significantly relative to the domestic industry's production and total non-captive consumption until 2022–23.

i. The imports from the subject countries consistently increased during the injury period until 2022–23. Although the imports declined marginally in the POI as compared to 2022-23,

the same was only on account of the imposition of the Quality Control Order on MEG imports in June 2023, which offered only temporary relief to the domestic industry. Notably, in the post-POI period, imports from the subject countries have already surpassed 2022–23 levels.

j. The market share of imports from the subject countries consistently increased, with a slight dip during the POI compared to 2022–23 but remained higher than in the base year and 2021–22. In contrast, the domestic industry's market share declined sharply from nearly *** % in the base year to *** % in the POI.

k. Imports from the subject countries have remained in excess of demand supply gap since 2020-21. Till the commissioning of IOCL's capacity in Q 4 of the POI, the demand-supply gap was in the range of 3,00,000-5,00,000 MT. However, the level of dumped imports from the subject countries far exceeded the demand-supply gap.

l. The dumped imports have had a suppressing and depressing effect on the prices of the domestic industry. Further, such imports are undercutting the prices of the domestic industry.

m. The landed value of the subject goods was below the cost of sales and selling price of the domestic industry which clearly shows the price pressure on the domestic industry.

n. SABIC Group has relied on hypothetical calculations based on trends from the previous investigation to allege that price undercutting from the subject countries is negative in the present POI. No weight whatsoever should be attached to sheer conjecture, particularly in circumstances where actual verified data is readily available with the Authority.

o. The domestic industry's production and capacity utilization have significantly declined during the POI. Historically, capacity utilization remained above *** % since 2018-19, but due to continued dumping, it has fallen below *** %, making production unviable. Production has mirrored this trend, declining significantly in the POI.

p. Despite significant growth in demand between 2020–21 and 2022–23, the domestic industry's non-captive sales declined during this period. Although there was a slight improvement in the POI due to the imposition of the Quality Control Order, sales levels during the POI remain *** % lower compared to the base year. In contrast, imports from the subject countries almost doubled during the same period.

q. The market share of imports from the subject countries consistently increased, except in the POI, wherein it slightly declined compared to 2022-23 levels, but remained higher than the base year and 2021-22.

r. The market share of the domestic industry declined from almost 50% in the base year to 30% in the POI.

s. Despite the marginal improvement in the POI, the market share has remained significantly below the base year and 2021-22 levels.

t. A comparison of the domestic industry's condition in the POI with the period 2018-19 (i.e. period when there was no dumping) shows a significant deterioration in the domestic industry's capacity utilization, return on investments and profits.

u. The data provided for profitability is based on the books of Reliance Industries Ltd. (RIL), an integrated manufacturer with a cost advantage due to captive ethylene. Notably, the key raw material, ethylene, is transferred at cost in RIL's books. The Hon'ble CESTAT, in its judgment dated 29.09.2023, citing the Supreme Court's decision in *Reliance Industries Ltd. v. UOI* (2006 (202) E.L.T. 23 (S.C.)), ruled that injury assessment should consider the

market price of captive inputs, not internal transfer prices. RIL's marginal profits would turn into losses if the market price of ethylene is factored in.

v. All financial parameters, PBT, PBIT, Cash Profit, ROCE and PBDIT significantly declined since 2020-21 and the domestic industry faced significant losses during 2022-23. Marginal improvement in the POI was on account of temporary respite due to QCO.

w. Compared to the base year and 2021-22, all profitability parameters of the domestic industry have significantly declined.

x. SABIC Group has selectively presented its claims while denying the domestic industry's request to disclose the alleged import prices of ethane that form the very basis of its assertion.

y. The domestic industry during the on-site verification has fully cooperated with the investigation team and has provided all desired information in relation to the procurement of ethane prices through RIL USA, which clearly dismantles the false narrative attempted by SABIC Group.

z. RIL procures ethane directly from suppliers *via* RIL USA. In the past as well, RIL India has sourced ethane from traders who charged a trading margin. The same margin continues to be paid to RIL USA as expenses towards sourcing. The ethane procurement price is benchmarked with the same benchmark as before used for unrelated suppliers.

aa. The domestic industry captively manufactures ethylene and transfers the same at cost. As ethylene is transferred at cost, it is not subject to market fluctuations.

bb. Applying the market price of ethylene will address the submissions of other interested parties regarding the alleged inflated price of ethane and consequent ethylene prices.

cc. Despite rising domestic demand, due to the continued dumping and injury, no new domestic capacities have been announced, as existing capacities remain under-utilized.

dd. MEG is a strategic business unit under RIL and all investments concerning MEG, including raising future capital investments, are decided based on profitability and returns earned on the MEG business. If the arguments of the interested parties were to be accepted, then it would mean that all multi-product companies should funnel money from profitable business segments to loss-making segments.

ee. Equate Group has quoted RIL's investor presentation to claim that RIL's profitability has declined on account of global overcapacity. On account of the overcapacity in the subject countries and almost no domestic consumption in their respective markets, exporters from the subject countries have targeted the only remaining market with high MEG consumption i.e., India.

ff. Producers in the subject countries are predominantly export-oriented and maintain significant excess capacities in relation to their domestic market consumption, which threatens the Indian domestic industry with material injury.

gg. Capacities substantially in excess of the domestic demand have been set up in the subject countries. These capacities account for almost 500% of the entire Indian demand.

hh. Consumption and production of the subject goods in third country markets is relatively stable. It is unlikely that exporters of subject goods from the subject countries would be able to divert their exports to third countries.

ii. Exports of subject goods from one of the subject countries (Saudi Arabia) to European Union is restricted on account of imposition of anti-dumping duties. Further, China market is also no longer available on account of increased indigenous capacity in China.

H.3. Examination by the Authority

61. Rule 11 of the AD Rules read with Annexure II to the AD Rules provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on the domestic producers of such articles. In considering the effect of the dumped imports on prices, the Authority examines whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports compared with the selling price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. Further, for examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered.

62. The Authority has examined the submissions of all interested parties with regard to injury to the domestic industry in the foregoing paragraphs.

H.3.1 Cumulative assessment of injury

63. Article 3.3 of the WTO agreement and para (iii) of Annexure II of the AD Rules provides that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigation, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:

a. The margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as a percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent (or more) of the import of like article or where the export of individual countries is less than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the import of like article, and
b. Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.

64. The Authority notes that:

a. The subject goods imported from the subject countries are ‘like article’ to each other and the user industry has imported the subject goods from one or more subject countries. Further, as mentioned in Section C above, subject goods imported from the subject countries are also like article to the goods produced by the domestic industry.

b. As determined in Section G of this final findings, the subject goods are being dumped into India from the subject countries, and the dumping margin is more than the *de-minimis* limits prescribed under the AD Rules.
c. Further, the volume of imports of subject goods from each of the subject countries is individually more than 3% of the total volume of imports.
d. Imports from the subject countries not only directly compete with the like articles offered by each of them but also the like article offered by the domestic industry in the Indian market.

65. In view of the above, the Authority considers that conditions laid down for cumulative assessment of imports have been fulfilled and has cumulatively assessed the effect of dumped imports of the subject goods from subject countries on the domestic industry.

66. As regards submission by the importer association regarding inclusion of Iran for injury assessment, the Authority notes that the volume of imports was below the *de-minimis* level specified in the AD Rules. Accordingly, Iran was excluded from the purview of the present investigation.

H.3.2 Volume effect of the dumped imports

a) Assessment of demand / apparent consumption

67. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the volume of dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India.

68. The Authority has defined, for the purpose of the present investigation, total demand for the subject goods in India as the sum of domestic sales of the domestic industry, domestic sales of the other domestic producers and imports of subject goods from all sources based on DGCI&S data. The demand so assessed is provided in the table below.

Particulars	Units	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Subject Countries	MT	5,28,528	9,12,575	13,12,512	10,57,586
Trend	Index	100	173	248	200
Kuwait	MT	3,83,519	6,16,079	7,85,939	7,14,900
Saudi Arabia	MT	1,24,417	2,31,913	4,11,242	3,06,948
Singapore	MT	20,592	64,583	1,15,332	35,739
Imports from Non-Subject Countries	MT	44,878	9,424	74,336	15,586
Total Imports	MT	5,73,407	9,21,998	13,86,849	10,73,172
Total Sales of domestic industry	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	111	100	93
Sales of other domestic producers	MT	***	***	***	***

Trend	Index	100	141	84	156
Total Demand/Consumption including captive	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	126	135	122
Total Demand/ Consumption excluding captive	MT	***	***	***	***
Trend		100	132	145	135

69. It is noted that:
    a. Demand for the subject goods has consistently increased until 2022-23. There has been a marginal decline during the POI compared to 2022-23. However, demand remains above 2021-22 and 2022-23 levels. It is further noted that over the injury period, demand has increased by *** %.
    b. Imports of subject goods have substantially increased over the injury period. Compared to the base year, the volume of subject imports has almost doubled in the POI whereas compared to 2022-23, the volume of subject imports has declined in the POI.

b) Import Volumes from the subject countries

70. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied upon DGCI&S data. The import volumes of the subject goods from the subject countries and share of the dumped imports during the injury investigation period are as follows:

Particulars	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Kuwait	MT	3,83,519	6,16,079	7,85,939	7,14,900
Saudi Arabia	MT	1,24,417	2,31,913	4,11,242	3,06,948
Singapore	MT	20,592	64,583	1,15,332	35,739
Subject Countries	MT	5,28,528	9,12,575	13,12,512	10,57,586
Non-subject Countries	MT	44,878	9,424	74,336	15,586
Total Imports	MT	5,73,407	9,21,998	13,86,849	10,73,172
Subject Country dumped imports in relation to					
Demand without captive consumption	%	***	***	***	***
Production	%	***	***	***	***
Total Imports	%	92%	99%	95%	99%

71. From the above, the Authority notes that-

a. The volume of subject imports from subject countries has significantly increased in absolute terms during the POI compared to the base year. While there has been a decline in the volume of subject imports in the POI compared to 2022-23, it is noted that such imports remain significantly above the base year and the 2021-22 levels.
b. Subject imports from the subject countries accounted for nearly the entirety of total imports into India, representing a substantial share of 99% during the POI.
c. Compared to the base year, volume of subject imports from subject countries in relation to Indian demand and production have increased by *** % and *** % respectively. While compared to 2022-23, volume of subject imports from the subject countries have declined in relation to Indian demand and production in the POI, they continue to remain significantly above the base year and 2021-22 levels.
d. The subject imports from subject countries increased significantly in absolute terms as well as in relative terms during the POI in comparison to base year.

72. Other interested parties have claimed that until FY 2022-23, imports were necessitated by demand-supply gap and with the operationalization of IOCL's expanded capacity for MEG, imports have declined in the POI indicating shift towards domestic sourcing, which indicates that there is no continuous pressure from imports. On the other hand, the domestic industry has claimed that imports have declined in the POI temporarily on account of imposition of QCO by the Government of India.

73. The Authority notes that despite increase in IOCL's capacity, imports of subject goods in the POI remain above the 2021-22 and base year levels. IOCL has carried out capacity expansion for the subject goods in two phases – the first capacity expansion took in 2022-23, wherein MEG capacity at its Panipat Plant was increased to 425,000 MT from earlier 3,02,000 MT. The second capacity expansion happened at the end of the POI wherein a new MEG Plant with 332,000 MT was inaugurated at its Paradip Plant. Between 2021-22 and the POI, IOCL's capacity increased by almost 1,20,000 MT. However, during the same period, imports from the subject countries also increased by 1,45,011 MT. Thus, it cannot be said that capacity expansion by IOCL led to decline in the volume of imports of subject goods from the subject countries.

74. Other interested parties have also claimed that subject imports from subject countries have declined despite growth in Indian demand, and therefore, injury cannot be attributed to subject imports from the subject countries. The Authority notes that while demand in the POI has declined compared to 2022-23 levels, demand levels in the POI remain above and comparable to 2021-22 levels.

75. It is noted that between 2021-22 and the POI while demand increased by only *** %, the volume of imports from the subject countries increased by 16%. During the same period, non-captive sales of the Indian Industry declined by *** %. As compared to the base year, the increase in absolute volume of subject imports from the subject countries has outpaced the absolute growth in demand in the POI. This indicates that volume of subject imports has increased in the POI in both absolute and relative terms. Accordingly, the Authority disagrees with the submissions of the other interested parties.

76. Other interested parties have argued that the domestic industry has made significant quantities of imports from the subject countries. As has already been examined above, it is noted imports made by the domestic industry constitute only around 1% of its total production and sales.

H.3.3 Price effect of the dumped imports

77. In terms of Annexure II (ii) to the AD Rules, with regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

a) Price undercutting

78. In order to determine whether the imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market, price undercutting has been determined by comparing the landed price of the subject imports based on DGCI&S data with the net sales realisation of the domestic industry during the POI.

Price Undercutting					
Subject Country	**CIF Value**	**Landed Value**	**NSR**	**Price Undercutting**	**Price Undercutting Range**
	₹/MT	**₹/MT**	**₹/MT**	**%**	**Range**
Kuwait	41,574	43,860	***	***	0-10
Saudi Arabia	41,952	44,260	***	***	0-10
Singapore	42,988	44,171	***	***	0-10
Subject Countries	41,731	43,987	***	***	0-10

79. As can be seen from the above, subject goods originating in the subject countries were imported into the Indian market at prices lower than the NSR of the domestic industry. Price undercutting from the subject countries as a whole and from each of the individual subject countries is positive.

80. SABIC Group has disputed the price undercutting calculation provided by the domestic industry and has claimed that price undercutting is negative compared to KSA. The Authority has considered the actual net sales realization of the domestic industry based on which it has determined the price undercutting for KSA to be positive.

81. SABIC Group has claimed that while considering price undercutting only non-captive sales should be considered. The Authority notes that MEG is transferred by the Applicant at

market price for captive and non-captive consumption. Accordingly, the Authority has considered net sales realization for all domestic sales made by the domestic industry for the purpose of computing undercutting.

b) Price suppression/depression

82. For the purpose of analyzing price suppression and depression, the applicants have provided information about (a) cost of sales, (b) domestic net sales realisation as is given in the table below. The same has been compared with the landed value of subject goods.

Price Suppression/ Price Depression					
Particulars	**UoM**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**POI**
Cost of Sales	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	149	187	142
Landed Price	₹/MT	39,064	53,481	46,402	43,987
Trend	Index	100	137	119	113
Net Sales Realisation	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	137	126	119

83. It is seen that until 2021-22, the landed price of subject goods from the subject countries increased and remained above the cost of sales of the applicant. The domestic industry was also able to increase its selling price along with increase in its cost of sales until 2021-22. However, since 2021-22, landed value of the subject goods has continuously declined, which was accompanied by an increase in the volume of the subject goods in the POI compared to 2021-22. The domestic industry has explained that it was forced to match the import prices in order to retain its market share. It is noted that the NSR of the domestic industry has also followed the same trend as the landed price of the subject goods from the subject countries. Thus, the decline in landed price forced the domestic industry to lower its NSR to remain competitive and retain its market share.

84. The Authority further notes that during the POI domestic industry has been making sales at cost level, barely making any profits, even though its cost of sales has declined in the POI.

85. Other interested parties have claimed that because domestic industry's selling price has moved upwards since base year, therefore, it cannot be considered that domestic industry's prices have been suppressed. The Authority notes that despite an increase in cost of sales of the domestic industry over the injury period, the domestic industry has not been able to commensurately increase its selling prices. Further, compared to 2022-23, landed prices of subject goods from the subject countries have declined. Accordingly, the Authority considers that subject imports from subject countries have depressed and suppressed prices of the domestic industry.

86. Other interested parties have also commented that price for subject goods fell globally during the POI due to decline in prices in China. The Authority notes that none of the

interested parties have provided any information substantiating the decline in global prices. On the contrary, based on the information available concerning exports to third countries in the questionnaire response submitted by participating exporters from SOK and KSA, who are major exporters of the PUC globally, the Authority notes that export prices to third countries have indeed increased in the POI compared to 2022-23. Accordingly, it cannot be considered that prices in Indian market declined due to decline in global prices.

J.1. Economic parameters of the domestic industry

87. Annexure II to the AD Rules provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth and the ability to raise capital investments. Accordingly, various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below.

a) Production, capacity, capacity utilization and sales volumes

88. The Authority has considered the capacity, production, capacity utilization and sales volume of the domestic industry over the injury period.

Production, Installed Capacity, Capacity Utilisation and Sales					
Particulars	**UoM**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**POI**
Capacity	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	100	100	100
Production	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	97	86	80
Capacity Utilisation	%	***	***	***	***
Range	%	90-100%	90-100%	80-90%	80-90%
Domestic Industry Sales	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	111	100	93

89. From the above, the Authority notes that:

a. The domestic industry's capacity has remained constant throughout the injury period. However, the capacity utilization of the domestic industry consistently declined over the same period, reaching its lowest level during the POI.

b. Despite an increase in demand for the PUC in the domestic market, the domestic sales as well as the production of the domestic industry showed a significant decline during the POI when compared to the base year and 2021-22.

90. SABIC Group has claimed that the domestic industry has reported higher capacities than actually functional. The Authority has verified the capacity reported by the domestic industry and found it to be correctly reported.

91. Other interested parties have argued that decline in sales during the POI was on account of reduced captive consumption and lack of export sales. The Authority has compared the volume of captive sales and non-captive sales made by the domestic industry over the years. It is noted that the ratio between the captive and free market sales in total sales has remained in the same range over the injury period. It is noted that there has been some marginal improvement in the non-captive sales of the domestic industry during the POI compared to 2022-23. The domestic industry has explained that the same was on account of imposition of QCO during the POI.

92. As regards the decline in export sales, the domestic industry has explained that export sales were undertaken during the base year and 2021-22 as prices in domestic market were not remunerative on account of dumped and low-priced imports being sold by the KSA, SOK and USA into the Indian market.

b) Market share

93. Market share of the domestic industry and of imports was as shown in the table below:

Market Share					
Market share	**Unit**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**POI**
Non-captive domestic industry Sales	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	107	85	87
Sales of Other Indian Producers	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	141	84	156
Total Indian Sales	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	114	85	102
Imports from Subject Countries	MT	5,28,528	9,12,575	13,12,512	10,57,586
Imports from Other Countries	MT	44,878	9,424	74,336	15,586
Non-Captive Demand in India	MT	***	***	***	***
Trend	MT	100	132	145	135
Market Share					
Domestic industry	%	***	***	***	***
Other Indian Producers	%	***	***	***	***
Indian Industry	%	***	***	***	***
Subject Countries	%	***	***	***	***
Other Country Imports	%	***	***	***	***

94. It is observed that the market share of the domestic industry declined significantly by 17% during the POI compared to base year. During the same period, the market share of imports from the subject countries increased by *** %. This trend clearly indicates that imports from the subject countries are capturing the market share of the domestic industry by selling at dumped prices.

95. It is noted that the market share of subject countries has declined in the POI compared to 2022-23, however, the market share of subject countries continues to remain above the base year and 2021-22 levels.

96. Other interested parties have also contended that decline in domestic industry's sales during the POI is on account of increase in sales of other domestic producers. The Authority notes that non-captive sales of the domestic industry and other Indian producers have increased in the POI compared to 2022-23. The domestic industry has explained that the same was on account of imposition of QCO during the POI. Moreover, compared to 2021-22, the increase in sales of other domestic producers was not significant in relation to the overall decline suffered by the domestic industry and did not correspond to the sharp rise in the volume of dumped imports from the subject countries.

97. Further, when compared with 2021-22 i.e., a period in which demand levels were similar to the POI, the Authority notes that market share of the Indian Industry has indeed declined whereas market share of subject countries have increased in the POI, which establishes that the Indian Industry has collectively lost market share to dumped imports from the subject countries.

c) Inventories

98. Inventory position of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Inventory					
Particulars	**UoM**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**POI**
Average Inventory	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	72	87	98

99. It is noted that inventory declined until 2022-23 after which it increased and has reached almost base year level.

d) Profitability, cash profits and return on capital employed

100. Profitability, return on investment and cash profits of the domestic industry over the injury period are given in the table below:

Profitability Parameters					
Particulars	**UoM**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**POI**

Cost of Sales	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	149	187	142
NSR	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	137	126	119
PBT	₹/MT	***	***	(***)	***
Trend	Index	100	82	(170)	5
PBIT	₹/MT	***	***	(***)	***
Trend	Index	100	78	(104)	25
PBDIT	₹/MT	***	***	(***)	***
Trend	Index	100	65	(44)	60
Cash Profit	₹/MT	***	***	(***)	***
Trend	Index	100	64	(69)	56
PBIT as % of Average Capital Employed (ROCE)	%	***	***	(***)	***
Range	%	0-10	0-10	(10)-0	0-10

101. From the above, it is seen that:

a. The selling price of the domestic industry has declined in the POI vis-à-vis year 2021-22 and 2022-23.

b. The profitability and return on capital employed of the domestic experienced a significant decline until 2022-23, after which a slight improvement was observed. The applicant has submitted that during the POI, the Government of India imposed a Quality Control Order on the PUC. Consequently, imports decreased marginally, leading to a slight improvement in the profitability of the domestic industry compared to the previous year, during which the domestic industry incurred substantial losses.

c. The applicant further submitted that the imposition of the QCO is not a comprehensive remedy for addressing the injury suffered by the domestic industry, as the majority of exporters have already obtained the necessary certifications to continue exporting to India. Consequently, while the QCO may have temporarily resulted in very slight decrease in imports, it does not address the fundamental issue of imports coming at low prices, which continues to exert pressure on the domestic industry's performance.

102. Other interested parties have argued that decline in profitability is on account of domestic industry's procurement of ethane from its related party, RIL USA Inc., since 2022-23. It has also been stated that RIL's procurement price of ethane as reported through market intelligence is much higher than export price of ethane from USA. To examine the same, the Authority called for purchase invoices of ethane for the entire injury period. Based on examination of the same, the Authority notes that the domestic industry's ethane prices are based on international benchmarks and the domestic industry was using the same benchmark for procurement from other unrelated sources prior to 2022-23. The commission and other charges are also in the same range. As regards the change in depreciation, the Authority has verified the same and wherever need appropriate adjustments have been made.

103. Equate Group has argued that there is no correlation between the decline in profitability of domestic industry and the landed value as despite increase in landed value in 2021-22, domestic industry's profitability declined. The Authority notes that between 2020-21 and 2021-22, the domestic industry was able to increase its prices commensurate to the increase in landed price. However, the landed price of subject imports did not increase commensurate to the increase in the cost of sales of the domestic industry. Accordingly, domestic industry's profits had declined.

104. Other interested parties have also cited RIL's investor presentation to argue that injury is not on account of dumped imports but due to global overcapacity. The Authority notes that investor presentations are consolidated corporate communications intended for shareholders, whereas injury examination is carried out based on verified product-specific cost data submitted by the domestic industry. Thus, isolated statements in investor presentations are not determinative regarding the existence or non-existence of injury.

e) Employment, productivity and wages

105. The position with regard to employment, wages and productivity of the domestic industry is as follows:

Labour and Productivity Parameters					
Particulars	**UoM**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**POI**
No. of Employees	Nos.	***	***	***	***
Trend	Index	100	93	96	95
Wages	₹ Lakhs	***	***	***	***
Trend	Index	100	95	80	92
Productivity/day	MT/day	***	***	***	***
Trend	Index	100	97	86	80

106. It is noted that the number of employees and their wages decreased in the POI compared to base year.

107. Productivity per day and productivity per employee have consistently declined throughout the injury period as a result of decrease in the production of the domestic industry.

f) Growth

Growth				
Particulars	**2021-22**	**2022-23**	**POI**	**In relation to base year**
Production	(***)	(***)	(***)	(***)
Domestic Sales	***	(***)	***	(***)
Profit	(***)	(***)	***	(***)
ROCE	(***)	(***)	***	(***)

108. From the above, the Authority notes the domestic industry's production and sales have declined in the POI. The domestic industry's profitability has also registered a negative growth. Further, as compared to FY 2021-22 the domestic industry's profits have declined substantially. Although the figures pertaining to ROCE have shown improvement in the POI compared to 2022-23, the Authority notes that ROCE has significantly declined compared to base year.

g) Impact on the ability to raise capital investment

109. The domestic industry has submitted that it has not been able to earn adequate return on profits and therefore, its ability to raise capital investments has been impaired significantly. It has also been asserted that on account of dumped imports no new investment is being planned as the domestic producers have not been able to earn adequate return on the investments already made.

h) The magnitude of dumping

110. The dumping margin from the subject countries is above *de-minimis* level and is considered significant.

111. In view of the foregoing, the Authority concludes that the domestic industry has suffered material injury on account of dumped imports from the subject countries.

J.2.Threat of material injury

112. In addition to its claim of material injury, the domestic industry has also asserted that imports of subject goods from the subject countries further threaten to materially injure the domestic industry. The applicants have provided data based on PCI WoodMackenzie regarding the consumption, production and sales of the subject countries.

Production, Demand and Capacities in Subject Countries				
Particulars	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Subject Countries Production	***	***	***	***
Trend	100	112	111	113
Subject Countries Capacities	***	***	***	***
Trend	100	105	105	105
Idle Capacities	***	***	***	***
Trend	100	80	82	77
Subject Countries Demand	***	***	***	***

Trend	100	104	101	106
Indian demand	***	***	***	***
Trend	100	123	135	122
Idle Capacity as% of Indian demand	***	***	***	***
Range	110-120	70-80	70-80	70-80

Source: PCI Wood Mackenzie Report

113. It is noted that the subject countries have maintained significant idle capacities during the period 2021 to 2024. Though there has been a marginal decline in idle capacities from *** million MT in 2021 to *** million MT in 2024, such idle capacities continue to remain substantial. The domestic demand in the subject countries is negligible in comparison to their capacities. This indicates that more than 95% of the production in the subject countries is surplus to domestic requirements, thereby making them structurally export-oriented. The increasing Indian demand, coupled with negligible domestic demand in the subject countries, makes India a natural ground for the surplus production of the subject countries.

114. The Applicants have also claimed that China, one of the major markets for the subject countries, has also achieved self-sufficiency in terms of production of MEG and accordingly, exports would further be diverted from the subject countries to India. Further, the Authority has also examined the volumetric information provided by the participating exporters from the subject countries in Appendix-1 of their individual questionnaire response. In case of Kuwait, the Authority notes that production of subject goods has increased in the POI compared to 2022-23, and export sales to India have also increased and reached their highest levels in the POI. Moreover, exports sales to third countries have declined in the POI. It may be noted that these sales also include trading sales made by Equate Group. Further, exports to India constitute almost 53% of total production by Equate Group.

115. In case of Saudi Arabia, the Authority notes that producers participating in the present investigation have provided market-wise sales information only for the POI. Accordingly, the Authority has considered sales made by their related trader SABIC for this examination. Based on the same, the Authority notes that exports of subject goods to India and third countries, significantly increased in CY 2022 and then further increased in CY 2023, with a marginal decline in the POI for exports to India as well as third countries. However, the rate of growth of exports to India over the injury period considerably exceeded the growth rate of exports to third countries. Notably, the spike in exports to India took place in CY 2022 which coincides with the period of imposition of anti-dumping duties on the SABIC Group concerning exports of the subject goods to the European Union.

116. The applicants have also provided demand for MEG in third countries.

MEG Demand in third countries

Particulars	2021	2022	2023	2024
Demand	***	***	***	***
Trend	100	99	101	107

117. It is noted that demand in third countries has remained relatively stable compared to India which has exhibited significant growth in demand. Given the growing Indian demand, and the rate of growth of exports of subject goods from the subject countries to India, the Authority considers that exports of subject goods from the subject countries, would be diverted to the Indian market.

118. The Authority notes that producers in the subject countries maintain significant surplus and idle capacities, far in excess of their limited domestic demand, rendering them structurally export-oriented. Idle capacities alone are equivalent to a substantial share of Indian demand. Further, on account of imposition of trade remedial measures by European Union, there are limited markets for such exports. At the same time, Indian demand has continued to grow, making India an attractive destination for exports.

J.3. Overall Assessment of Injury

119. The examination of the imports of the subject goods and the performance of the domestic industry shows the following:

i. Imports of subject goods from the subject countries have remained at consistently high levels throughout the injury period. Even though there was a marginal decline in the POI compared to 2022–23, import volumes in the POI were substantially higher than in 2020-21 and 2021-22.

ii. The landed value of subject imports declined significantly during 2022–23 and the POI. This decline, coupled with large import volumes, exerted continuous downward pressure on the domestic selling prices.

iii. Subject imports have undercut the prices of the domestic industry and have also suppressed and depressed its selling prices, preventing the domestic industry from raising prices commensurate with its costs.

iv. Compared to the base year and 2021-22, the domestic industry's production, capacity utilisation, and sales volumes have declined despite growth in demand, reflecting the inability of the industry to increase output due to the presence of dumped imports. Although, domestic industry's parameters have marginally improved in the POI compared to 2022-23, its market share continues to remain at low levels compared to 2021-22, while subject countries have captured a significant portion of demand.

v. The financial performance of the domestic industry has deteriorated considerably. Profits, cash profits, and return on capital employed turned negative in 2022–23. There was minor improvement in the POI compared to 2022-23, but the domestic industry has been earning non-remunerative returns and profits.

vi. Inventories of the domestic industry have increased during the POI.

vii. The subject countries maintain very large production capacities far in excess of their domestic demand, with idle capacities alone equivalent to 73% of Indian demand. The producers in the subject countries are structurally export-oriented.

viii. The combination of substantial idle capacities in the subject countries, absence of significant domestic demand in those countries, restrictions in other major markets, and growing Indian demand establishes that India is a natural target for the exporters from the subject countries, creating a real and imminent threat of further injury.

I. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

120. The Authority has determined the NIP for the domestic industry on the basis of principles laid down in AD Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry. The NIP has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating injury margin. For determining the NIP, the best utilisation of the raw materials and utilities has been considered over the injury period. Best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. Extraordinary or non-recurring expenses have been excluded from the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pretax profit to arrive at the NIP as prescribed in Annexure III to the AD Rules.

121. The landed price for the cooperative exporters has been determined on the basis of the data furnished by the exporters. For all the non-cooperative producers/exporters from the subject countries, the Authority has determined the landed price based on facts available.

I.1. Injury Margin for related producers and exporters

122. In accordance with the above, related producers and exporters have been regarded as one single entity and attributed one single injury margin which was calculated on the basis of the weighted average of the injury margins of the cooperating related producers and exporters.

123. Based on the landed price and the NIP determined as above, the injury margin as provisionally determined by the Authority is provided in the table below.

Injury Margin Table

Producer	Non-Injurious Price ($/MT)	Landed Price ($/MT)	Injury Margin ($/MT)	Injury Margin (%)	Injury Margin Range
KUWAIT					
Equate Petrochemical Company	***	***	***	***	20-30
The Kuwait Olefins Co.	***	***	***	***	20-30
Equate Group Weighted Average	***	***	***	***	20-30
Others	***	***	***	***	30-40
Saudi Arabia					
Arabian Petrochemical Company	***	***	***	***	20-30
Eastern Petrochemical Company	***	***	***	***	20-30
Jubail United Petrochemical Company	***	***	***	***	20-30
Saudi Kayan Petrochemical Company	***	***	***	***	20-30
SABIC Group Weighted Average	***	***	***	***	20-30
Others	***	***	***	***	30-40
Singapore					
Others	***	***	***	***	20-30

J. NON-ATTRIBUTION ANALYSIS AND CAUSAL LINK

124. The Authority examined whether other factors listed under the anti-dumping Rules could have caused injury to the domestic industry. The Authority examined known factors other than the dumped imports and ascertained whether these at the same time have been injuring the domestic industry, so that the injury caused by other factors, if any, is not attributable to the dumped imports. Factors which are relevant in this respect include, *inter alia*, the volume of subject goods not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the pattern of consumption, trade restrictive practices, changes in technology, the export performance of the domestic industry and the productivity of the domestic industry.

a) Volume and value of imports from third countries

125. It is noted that imports from non-subject countries are negligible by the way of volume. The imports from the subject countries constitute around 1% of the imports in India. Therefore, the injury caused cannot be attributed to the third countries.

b) Contraction in demand

126. The Authority notes that the demand for the subject goods increased until FY 2022-23. There was marginal decline in demand during the POI. However, demand levels continue to be above the base year and 2021-22 levels. Accordingly, the Authority considers that the domestic industry has not suffered injury due to a contraction in demand.

c) Pattern of consumption

127. It is noted that there has been no material change in the pattern of consumption of the product under consideration, which could have caused injury to the domestic industry.

d) Conditions of competition and trade restrictive practices

128. The Authority notes that there is no evidence of conditions of competition or trade restrictive practices that could have been responsible for the claimed injury to the domestic industry.

e) Developments in technology

129. The Authority notes that there has been no change in technology for the production of the subject goods that could have caused injury to the domestic industry.

f) Export performance of the domestic industry

130. The injury information examined hereinabove relates only to the performance of the domestic industry in terms of its domestic market. Moreover, the domestic industry has not exported the PUC during POI. Thus, the injury suffered cannot be attributed to the export performance of the domestic industry.

g) Performance of other products

131. The Authority has considered the data relating only to the performance of the subject goods. Therefore, the performance of other products produced and sold is not a possible cause of injury to the domestic industry.

J.1. Factors establishing causal link

132. While other known factors listed under the Rules have not caused injury to the domestic industry, the Authority notes that the following parameters show that injury to the domestic industry is caused by dumped imports.

i. The subject imports from each of the subject countries are being dumped above the *de-minimis* threshold, and cumulative assessment has been found appropriate as imports from each country exceed the de-minimis volume thresholds.

ii. Volume of subject imports from the subject countries has remained consistently high and, despite a decline in the POI compared to 2022-23, account of 99% of total imports into India and account for more than *** % of the Indian demand. Between 2021-22 and the POI, imports increased by 16% while demand grew only *** %.

iii. The volumes of subject imports from subject countries have also increased in relation to the consumption and production of the domestic industry.

iv. The landed value of subject countries is lower than the NSR, yielding positive price undercutting in the POI.

v. Since 2022-23, landed prices of subject countries have fallen while volumes of subject imports continue to remain high. Further, the domestic industry's NSR has followed the same downward trend, demonstrating price suppression and depression. During the POI, the domestic industry was forced to sell near cost and could not raise prices in line with costs.

vi. The domestic industry accounted for *** % market share in the POI. Though there has been marginal improvement compared to 2022-23, the same continues to remain well below 2020-21 and 2021-22 levels.

vii. The domestic industry profitability parameters have significantly declined in the POI compared to the base year. The profits have reduced to less than 1% whereas ROCE has reduced to *** %.

133. The Authority, in view of the aforementioned, concludes that there exists a causal link between the dumping of the subject goods and injury to the domestic industry.

K. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

K.1 Submissions of other interested parties

134. The following submissions have been made by the other interested parties:

a. MEG is mixed with purified terephthalic acid ("PTA") to prepare a mixture known as melt, which is used in the production of synthetic yarn. MEG accounts for 23.40% of cost of melt and imposition of anti-dumping duty would have significant impact on the downstream industry.

b. Imposition of 20%-30% anti-dumping duties would increase MEG prices by Rs. 5.10/kg. If duties are imposed on MEG, Indian manufacturing industry will not be able to expand their operations as it would not be able to procure MEG at international prices.

c. Ministry of Finance had acknowledged the adverse impact of duties on PTA and had accordingly, terminated the duties before the expiry of five years.

d. The applicant has not provided non-confidential version of how impact of 0.3% as alleged has been computed. Relatively small cost increases at each stage of production and distribution can compound, especially in industries operating on thin margins.

e. The PUC, a critical input for polyester fibers, textiles, and various downstream industries, is essential for sectors like packaging, cosmetics, and EV batteries. India's domestic production is insufficient, with over 70% captively consumed, necessitating imports to meet demand. Anti-dumping duties on PUC could significantly increase costs for downstream industries, making polyester textiles and PET packaging more expensive, exacerbating the inverted duty structure, and affecting competitiveness. This would impact over 40,000 small and medium manufacturers, threaten jobs, and hinder India's EV goals by raising lithium-ion battery costs. Overall, imposition of anti-dumping duty could negatively affect multiple sectors of the Indian economy.

f. The imposition of anti-dumping duties would adversely impact the entire textile sector, already under price pressure. The applicant uses substantial portion of MEG captively for end products, other producers would face a disadvantage, forced to compete with the applicant and imported MEG while purchasing expensive raw materials.

g. The imposition of anti-dumping duties would significantly increase manufacturing costs for polyester staple fibre ("PSF") due to higher landed costs and a substantial domestic supply shortage, despite the domestic industry operating near full capacity. Additionally, domestic MEG prices are expected to rise in tandem with ADD, further inflating costs across the man-made fibre value chain. This would exacerbate the pricing pressure already faced by the Indian PSF and downstream industries from cheaper imports, making them less competitive, risking business closures, and leading to potential job losses. For a low-margin business like PSF, an ADD of $100/MT would raise raw material costs by ₹2,530/MT, creating a significant financial burden and threatening the viability of the sector.

h. The imposition of anti-dumping duties on imports will raise costs for downstream products, reducing their competitiveness in domestic and export markets. Buyers may face limited procurement options, potentially creating a monopolistic scenario due to the already small number of suppliers. This would exacerbate challenges for the distressed textile industry. Additionally, product availability is further constrained by the lack of Bureau of Indian Standards certification among producers of the PUC.

i. Imposing anti-dumping duties on PUC, a key raw material for textiles, will raise domestic prices, increasing production costs for textile yarns. This will lead to lower demand, reduced production rates, and pressure on profit margins. Consequently, textile prices will rise in domestic markets, weakening the sector's competitiveness internationally. With

PUC in short supply, domestic manufacturers will align their prices with those of imports, further escalating costs.

K.2 Submissions on behalf of the domestic industry

135. The following submissions have been made on behalf of the domestic industry:

a. The Indian MEG industry is not a monopoly, as is evidenced by the two other significant producers in India (IGL and IOCL) and particularly, by IOCL's recent expansion of its capabilities. The real threat to competition in the industry is the significant dumping, which has raised the barrier for entry of any other new entrants; and is also prohibiting the existing players from making any further investment in the industry.

b. The subject goods are primarily used to manufacture polyester-based clothing and PET bottles. Detailed calculations in respect of anti-dumping duties have already been submitted which clearly establishes that the impact of the anti-dumping duties of around 50 USD/MT on the end user would be 0.3 % or less.

c. During the course of oral hearing, certain interested parties/ user industries claimed that the impact of ADD would be in the range of 15% on polyester staple fibre ("PSF"), if a duty of 30% is imposed.

d. The Applicant submits being an intermediate raw material, the impact of 4.28 % can be easily passed on to the next stage consumers by the PSF suppliers. The duties become cost only in the hands of the ultimate end-consumers, on whom the impact of duties would, undisputedly, not more than 0.3%.

e. The impact of anti-dumping duties on the immediate downstream product and the end product is minimal.

f. Notwithstanding the gross incorrectness of the calculation, the Polyester Textile Industries Association has suggested to assess the impact on "MELT", a product which is not even sold commercially in the market. Accordingly, the applicant requests the Authority to disregard these submissions.

K.3 Examination by the Authority

136. The Authority issued initiation notification inviting views from all interested parties, including importers, consumers and other interested parties. Further, the Authority also requested the users/ consumers to provide relevant information concerning present investigation including the likely impact of imposition of anti-dumping duties on end users, substitutability of PUC, price-sensitivity of demand, long term contracts etc. The Authority notes that several users of the subject goods have participated in the present investigation. The user industry has highlighted the following issues in their response:

a. Beekaylon, Garden Silks, DNH, Sanathan and Wellknown have stated that the PUC is already subject to 18% GST and highlighted that there is a tax differential between the raw material MEG and the end product, man-made fibres. Imposition of anti-dumping duties would further compound the problem.

b. Beekaylon, Garden Silks, DNH, Sanathan and Wellknown have also stated that they are not aware of anti-competitive or discriminatory behaviour by producers of PUC in India.
c. Beekaylon, Garden Silks, DNH, Sanathan and Wellknown have highlighted that there would be a supply shortage of PUC in India in case of imposition of duties.
d. Filatex has stated that the profit margins in Textile Industry are very less and imposition of duties on import of PUC will further reduce profits of the downstream industries to bare minimum which will not be sufficient for survival of such industries.
e. Indorama Synthetics has stated that the demand for MEG is more than production capacity in India. Therefore, majority of the producers are dependent on imports of PUC. Imposing an anti-dumping duty on the PUC will make the textile market uncompetitive.
f. Bombay Dyeing has submitted that the Indian PSF industry and the downstream man-made fibre chain is already facing tremendous pricing pressure from cheap imports from countries like China and imposition of ADD will lead to increased costs for PSF producers.
g. PTA users association has contended that MEG constitutes 23.40% of cost of "polyester melt". Therefore, imposition of ADD will have significant impact on downstream product.
h. Bhilosa Industries has submitted that man-made fibre industry operates on thin profit margin and in case of imposition of duties, the company would have no other option than to pass on increased costs to downstream users. It has also stated that a 30% duty margin would lead to a 10-15% impact on PSF (an intermediate product).

137. The domestic industry has also provided calculation of impact of ADD on the end consumer after considering the impact of ADD on the end product, which it has estimated as less than 1%. The domestic industry has also disputed the calculation provided by Bhilosa Industries concerning impact of ADD and has submitted that PSF is an intermediate product. The maximum impact of ADD on PSF would be 4%, which can be easily passed to the end consumers.

138. The Authority notes that the objective of imposing trade remedial measures is not to restrict imports but to remove the injury caused to the domestic industry from unfair trade practices and to establish fair competition in the Indian market. The Authority is indeed aware that the impact of such duties is not limited to only the domestic producers of the PUC but also affects the users and consumers of the PUC. While the imposition of duties may introduce competition concerns domestically but it can also concurrently stimulate the emergence of new producers or further investments within the country.

139. The Authority notes that imposition of trade remedial measures are intended to restore a level playing field for domestic producers while ensuring that downstream users continue to have access to the subject goods at fair and non-injurious prices The Authority notes that continuous and unabated unfair trade practices would adversely impact the prices and state of the domestic industry, discouraging future investments in critical petrochemical capacity,

thereby undermining India's long-term self-reliance. Thus, imposition of trade remedial measures not only enables the domestic industry to compete on equal terms but also de-risks the users from supply chain disruptions enabling the user industry to procure the subject goods from several sources more competitively in the long run.

140. Based on the response and submissions provided by the interested parties, the Authority notes that the user industry is presently facing difficulties on account of differential GST on the PUC and end product and have highlighted the same to Ministry of Textiles. The Authority further notes that none of the users have pointed out to any anti-competitive practices or discriminatory treatment by Indian producers of the PUC.

141. Other interested parties have contended that profit margins in textile industry are very less and imposition of duties will impact their profitability.

142. With regard to polyester staple fibre, the Authority has examined the calculation submitted by Bhilosa Industries and found them to be inaccurate. For example, when computing impact of ADD on PSF, the user industry has expressed the proposed ADD on MEG as % of total value of finished product, clearly ignoring the fact that increase in prices of MEG on account of ADD would only impact the cost attributable to MEG, which constitutes only 16% of the total value of PSF. The same has been illustrated below.

Particulars	**Computation Method**	**Values**
Price of MEG (Rs./MT)	A	43,987
Price of PSF (Rs./MT) (as provided by Bhilosa Industries)	B	***
% of MEG in PSF (as provided by Bhilosa Industries)	C	***
Anti-dumping duty (Only Example) (*** $./MT)	D	***
ADD Impact on PSF (as alleged by users) computed as ADD/Value of Finished Product	E=D/B	***
MEG Cost in PSF (Rs./MT)	F=C*B	***
Impact of ADD on MEG Cost (Rs./MT)	G= F * (D/A)	***
Impact on PSF	I = G/B	3.6%

143. Thus, impact of imposition of ADD on PSF, an intermediate product can only be 3.6%. It is noted that the impact of duties, if imposed, will not be significant. It is further noted that none of the users have contended that they cannot pass on this cost to end consumers. Moreover, none of the other interested parties have provided the impact of ADD impact on the end consumer. and provided calculation concerning the impact of ADD on immediate downstream products such as PSF and intermediate products such as polyester melt. However, none of the users have provided impact of ADD on the end product.

144. On the other hand, the domestic industry has submitted computation for impact of ADD on different end consumer products, namely PET bottles and garments (men's shirts and women's sarees). The same has been illustrated below:

End Product		**PET Based End Product**			**Yarn Based End Product**	
Particulars	**UoM**	**Drinking Water**	**Carbonated Drink**	**UoM**	**Men's Shirt**	**Saree**
Volume / Length	ml	1000	750	m	2.5	6
Retail Price	Rs	20	40	Rs	350	300
Polyester GSM	gm/m	NA	NA	gm/m	110	90
Weight	gm	18	25	gm	275	420
MEG Norm	kg/kg	0.35	0.35	kg/kg	0.35	0.35
MEG Price	Rs/kg	44.00	44.00	Rs/kg	44.00	44.00
MEG in end product	gm	6.3	8.75	gm	96.25	147
MEG value in end product	Rs	0.28	0.39	Rs	4.24	6.47
MEG % in End Product	**%**	**1.4%**	**1.0%**	**%**	**1.2%**	**2.2%**
MEG ADD Rate	$/MT	***	***	$/MT	***	***
MEG ADD Rate	Rs/kg	***	***	Rs/kg	***	***
MEG ADD Impact	Rs	0.06	0.09	Rs	0.95	1.45
Impact % end product price	**%**	**0.31%**	**0.22%**	**%**	**0.27%**	**0.48%**

145. Based on the above, the Authority notes that imposition of ADD would have an impact of less than 1% impact on end product price which it considers can easily be passed on to the end consumers.

146. Other interested parties have also commented that imposition of ADD will lead to monopoly of RIL in the country. The Authority notes that apart from RIL, there are two other producers of MEG in India, namely IOCL and IGL. IOCL has recently carried out an expansion of MEG at its Panipat Plant and has also operationalized new MEG plant at Paradip Complex. Further, based on response of the user industry, the Authority notes that the Indian users have purchased PUC from both RIL and IOCL in significant quantities.

147. Other interested parties have also contended that they are already under pressure due to cheap imports of downstream products from China and that imposition of ADD will only further aggravate the situation. The Authority notes that imports of PET Resin, a downstream product, from China are already subject to anti-dumping duties. Further, if imports of other downstream products are being dumped in India, they may approach this Authority for appropriate remedy.

148. The other interested parties have contended that due to imposition of QCO on the subject goods, access to Indian market has been restricted, limiting MEG supply to India, which would further be exacerbated with imposition of anti-dumping duties. The Authority notes that the QCO is a regulatory measure, intended to ensure the quality and safety of imports and domestic production and sales, advancing the interest of user industry and does not prevent imports from subject countries or elsewhere. Further, none of the participating exporters have claimed that they have not received the requisite certification.

149. The other interested parties have also pointed out that there exists significant demand supply gap for the PUC in India. As examined in sections above, subsequent to the commissioning of IOCL's new capacity at the end of the POI, the Authority notes that there exists sufficient capacity to cater to the growing Indian demand. Further, imposition of ADD would not in any manner prevent imports of subject goods from subject countries into India, but only correct prices ensuring fair competition in the Indian market. Moreover, such goods can also be imported from non-subject countries, thereby, making the Indian MEG market more competitive.

L. POST-DISCLOSURE SUBMISSIONS

L.1 Submissions by other interested parties

150. The following submissions have been made by the other interested parties:

i. The Authority has not analysed imports made by RIL during the entire injury investigation period, including post-POI, neglecting the full impact of such imports on the injury determination.
ii. Reliance on IGL's data is misplaced as it has not provided cost or injury data. India Glycol Limited has not filed information as per Trade Notice No. 13/2018 and 14/2018.
iii. The Authority lacks jurisdiction to entertain the present anti-dumping application.
iv. The principle of lesser duty rule requires the Authority to impose the lowest of the weighted average / individual producer's dumping margin and injury margin.
v. The Authority in para 46 (a) of the disclosure statement has indicated that it has accepted Sharq's cost of production but it has not mentioned that whether costs reported by other producers have been accepted or not.
vi. The Authority has disregarded the actual data of the respondents even though such data reconciles with records of the respondents and has been verified through necessary system dump.
vii. The Authority has replaced the actual data of respondents with undisclosed adjusted data without providing any justification.
viii. The cost of production for Equate and TKOC have been increased by *** % and *** % respectively. For the same product and same company, the Authority did not make any adjustments in the previous investigation. Given the absence of any difference between the two investigations, the Authority should have accepted the cost of production of the exporters as claimed by the exporters.

ix. The Authority has not disclosed essential facts to the respondents as required under Rule 16 of Anti-dumping Rules, 1995 and is contrary to the decision of the Panel in *Russia – Commercial Vehicles*. Manual of SOP requires detailed disclosure of normal value with workings.

x. Art. 2.2.2 of the Agreement on Anti-dumping requires the Authority to compute SGA and profit margin based on actual data of the exporters. The Authority has made certain undisclosed adjustments to the exporter's actual costs and thus, has violated the principles of natural justice as laid down by the Hon'ble Supreme Court, High Court and Tribunals.

xi. The SGA and profits determined by the Authority is far higher than actual data maintained in records of the company. The Authority has not explained whether or not the SGA & Profits adopted for the computation of the normal value exceeds the profit normally realized by producers of the same general category of products in the domestic market.

xii. The Authority should as per its practice adopt 5% profit margin for computing normal value of exporters.

xiii. The Authority has seemingly added SGA costs twice for determining the normal value for Petrokemya, Saudi Kayan and United.

xiv. The Authority should adjust the trader's profit margin and indirect SGA must be added to the export price.

xv. In China – HP- SSST (EU), the Appellate Body held that it is not sufficient for the Authority to merely refer to the data which forms the basis for its computation, but must disclose the data.

xvi. Art. 2.2.1.1 obliges the Authority to use the exporter's records for calculation of cost of production if such information meets the requirements laid down in the article. In the present case, information provided exporters from SABIC fulfil such conditions and therefore, the Authority should have relied on such information unless it found compelling reasons to disregard such information.

xvii. The Authority should not disregard inventory adjustments while computing the cost of production as such adjustments includes other adjustments such as adjustments allowed ***.

xviii. The Authority has failed to call for data from other producers including IOCL and thus, the Authority has not followed due process. Excluding IOCL's data and response undermines the objectivity of the injury and causation analysis.

xix. The user industry believes that IOCL is earning profits on the PUC. Accordingly, respondents believe that IOCL's performance in market contradicts injury claims by the RIL.

xx. There is a steep decline in export sales of the PUC from FY 2021-22 when overall demand of the PUC is on the rise globally since 2020-21 contributing to negative economic parameters of RIL.

xxi. RIL accounts for 75-90% of market share, despite IOCL's recent capacity expansion. Injury analysis solely based on RIL's performance cannot be considered as representative of domestic industry.

xxii. If imports were the cause of injury, sales of other domestic producers would have reduced in tandem with those of domestic industry. However, the divergence in

sales trends calls into question the causal link between the alleged dumping and injury to the domestic industry.

xxiii. RIL imported 14,330 MT from Saudi Arabia and Singapore during POI and in post-POI, it has imported 22,392 MT MEG from Saudi Arabia and USA.

xxiv. The Authority has considered 19% decline in volume of imports as insignificant while referred to decline in 16% production as significant.

xxv. The Authority's comparison with base year is incorrect as the same coincided with COVID-19 pandemic when demand and supply were atypically depressed.

xxvi. The Authority has overlooked the fact that domestic industry's sales have declined despite decline in volume of imports, whereas sales of other domestic producers have increased. Thus, imports are not the cause of injury.

xxvii. Price undercutting must be assessed for the entire injury period and not only the POI.

xxviii. Imports from subject countries have not exerted sustained downward pressure on during the injury period as import prices have indeed increased from 100 to 113 in the POI. The volume of imports in POI has not increased compared to 2022-23, but has rather declined

xxix. The domestic industry's cost of sales has followed the trend of ethane prices. Accordingly, decline in profitability is attributable to the increase in price of ethane purchased from affiliate.

xxx. Profitability of domestic industry did not improve when import prices from Kuwait increased in 2021-22 compared to 2020-21, but rather worsened. If imports were truly responsible, domestic industry's profitability would have improved in 2021-22.

xxxi. Further, with decline in import prices in the POI, the domestic industry's profitability has improved, which further establishes that there is no causal link between the alleged injury and imports.

xxxii. With respect to decline in Indian prices due to decline in international benchmarks, the Authority has ignored the commodity cycle in chemicals.

xxxiii. With respect to market share, the Authority has dismissed the impact of other Indian producers and held that the DI lost share to dumped imports. The data shows that non-captive sales of both the Domestic Industry and other producers increased in the POI compared to 2022–23 (from 84 to 156), reflecting redistribution within Indian suppliers rather than capture by imports. To ignore this element and attribute the entire decline of the applicant's market share to dumped imports is analytically unsound.

xxxiv. The Authority has concluded that profitability declined only because landed values did not rise "commensurately" with the domestic industry's costs. This logic effectively shifts the burden of the Domestic Industry's own cost increases onto imports.

xxxv. The domestic industry has not disputed the respondent's assertion that purchase of ethane from affiliate is not at arm's length and appears to be artificially inflated. Merely asserting that ethane prices are based on international benchmark is insufficient.

xxxvi. The domestic industry's purchase price of ethane from its affiliate may be examined to determine whether the same is at arm's length.

xxxvii. The Authority's dismissal of RIL's investor presentations is unjustified. These presentations are not casual statements but official disclosures made to shareholders under strict corporate and securities law obligations, and they reflect the company's considered assessment of industry conditions.

xxxviii. The production of the Exporters from Kuwait increased by a mere *** % in the POI when compared to 2022-23 and these were operating at near full capacity utilization (i.e., *** %) in the POI.

xxxix. The existence of limited surplus capacity by itself is not sufficient to establish a threat; producers in the Kuwait and the other Subject Countries export globally and have diverse markets.

xl. The conclusion that exports to India constituted 53% of Equate Group's production is misleading. These exports include trading sales and reflect longstanding supply relationships with Indian customers, not any sudden diversion of surplus capacity. The fact that exports to third countries declined in the POI – by a mere *** % does not indicate diversion to India; it is simply a reflection of global trade.

xli. If Kuwait were truly seeking to offload surplus capacity into India, one would expect a surge in import volumes during the POI. Instead, exports to India from Kuwait actually declined from *** MT in 2022–23 to *** MT in the POI, undermining the very basis of the Authority's threat finding.

xlii. The Authority should adopt transfer price of captive inputs and not artificial prices for determining NIP.

xliii. The expansion by IOCL only partially addresses the demand-supply gap as has been admitted by IOCL on its website. There are supply constraints and users are dependent and are forced to import.

xliv. RIL is not only the largest producer of the PUC but also the largest manufacturer of downstream textile industry. Thus, RIL has significant control over the raw material and PUC. There is an inherent and direct conflict of interest with other downstream users. Imposition of ADD will only further interests of RIL as it utilizes nearly 70% of its production for captive consumption.

xlv. Imposition of anti-dumping duty would burden textile industry and jeopardize national economic growth and employment. Imposition of ADD would have the effect of substantially curtailing access to imported MEG.

xlvi. The Authority has stated that MEG represents only ~16% of PSF value and has presented a table showing a 3.6% impact, the precise assumptions and calculations underlying these conclusions remain undisclosed. In particular, the methodology adopted for allocating MEG costs, the values used for PSF pricing, and the conversion norms applied are not revealed. This prevents parties from meaningfully commenting on or verifying the correctness of the figures.

xlvii. The cumulative effect of ADD, GST differentials, and existing import duties will materially worsen the cost structure of user industries. Ignoring this systemic burden vitiates the Authority's analysis.

xlviii. The Authority has summarily dismissed this concern regarding RIL's monopoly on the ground that other producers such as IOCL and IGL exist and have recently expanded capacity. The Authority must recognize that a healthy and competitive market structure is indispensable to the long-term interests of Indian downstream industries and consumers.

L.2 Submissions on behalf of the domestic industry

151. The following submissions have been made on behalf of the domestic industry:

a. The Authority in para 26 of the disclosure statement has simply observed that each investigation is to be carried out in view of the facts of that particular investigation. However, it remains undisputed that the exporters from the subject countries in the previous investigation were found to be dumping. Accordingly, the domestic industry requests the Authority to conclude that exporters from the subject countries have been dumping subject goods since 2020.
b. The domestic industry reiterates its submissions seeking rejection of user questionnaire response of PTA Industries Association, Bombay Dyeing, Filatex India and Indorama Synthetics. The user questionnaire response was circulated to the applicant only at the stage of written submissions. Accordingly, we request the Authority to reject such submissions.
c. The Authority in para 33 of the disclosure statement has confirmed its previous findings concerning the existence of PMS in KSA. However, the Authority has noted that there is insufficient evidence on record to establish that such distortion affects comparability between the export price and domestic price. Accordingly, the Authority did not carry out any adjustments based on PMS allegation to the cost of production of producers from KSA.
d. The domestic industry recalls the Panel Report in *Australia – A4 Copy Paper*, wherein the Panel had expressly acknowledged that even when the same distorted input is used to manufacture goods for both domestic and export markets. Accordingly, it cannot be presumed that PMS does not affect price comparability between the export price and domestic price. Rather, the Authority should have carried out market- wise assessment of profitability and examined the impact of raw material distortion across the different segments prior to concluding that raw material distortion does not affect the price comparability of the responding producers.
e. Based on para 47 of the disclosure statement, the domestic industry understands that the Authority has considered the same distorted input price for determination of constructed normal value for the responding producers. Having accepted that raw material price distortion does exist in KSA's market, the Authority should replace the distorted ethylene and utility prices with undistorted prices within KSA for determination of constructed normal value for computation of dumping margin.
f. The domestic industry has already provided *prima facie* evidence to substantiate the existence of PMS in SOK, and the burden of proof accordingly shifts on the exporters from SOK to demonstrate that PMS does not exist. It is reiterated the Government of Kuwait has issued a royal decree allowing the two exporters from Equate Group to procure key feedstock at significantly low rates. Therefore, the domestic industry requests the Authority to recognize the existence of PMS in SOK as well, consistent with the Panel decision in

Australia – A4 Copy Paper and adjust the constructed normal value for producers in SOK to reflect the undistorted input price.

g. The Authority has failed to consider the fact that the key raw material supplier for Equate Group and SABIC Group is a related entity and therefore, even in absence of PMS, the Authority ought to have examined whether such raw material prices are at arm's length. The domestic industry understands that none of these related suppliers have been called upon to provide information relevant for such examination. Accordingly, the Authority should consider the international market price of key raw materials, particularly ethylene, for computation of constructed normal value.

h. The Authority has found positive evidence of Absolute and relative increase in imports, positive and significant dumping from the subject countries, decline in volumetric and financial parameters of the domestic industry, decline in the state of domestic industry is on account of dumped imports from the subject countries and that the exporters in the subject countries are structurally export-oriented, with more than 95% of domestic production being surplus to domestic consumption in the subject countries.

i. While examining the profitability of the domestic industry, the Authority has ignored the Order of the Hon'ble CESTAT in *Reliance Industries Ltd. v. Designated Authority & Ors.* (Final Order No. 51370/2023), wherein relying upon the Supreme Court's decision in *Reliance Industries v. UOI* [2006 (202) E.L.T. 23 (S.C.)], it was held that for injury assessment the Authority must consider the market price of captive inputs and not internal transfer prices.

j. The aforementioned judgment of the Supreme Court was in relation to injury assessment as well as for determination of NIP. The subsequent addition of Annexure-III to the AD Rules, 1995 for determination of NIP does not dilute or override the Supreme Court's interpretation of Annexure-II to the AD Rules, 1995, which continues to govern injury examination.

k. The allowed NIP of the domestic industry is significantly lower than the NIP claimed by the domestic industry. It is submitted that several unwarranted adjustments have been made to the NIP. Accordingly, the domestic industry submits that the Authority should re-examine the NIP of the domestic industry.

L.3 Examination by the Authority

152. The Authority has examined the post disclosure submissions made by the domestic industry and the other interested parties and notes that several submissions are reiterations of issues which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paras of the final findings. The issues raised for the first time in the post-disclosure comments/submissions by the interested parties and the domestic industry and those backed up with evidence have been considered relevant by the Authority are examined below.

153. With respect to imports made by RIL during the injury period, the Authority notes that RIL has imported the subject goods only during the POI and such imports account for less than 1% of its total production and sales which is minuscules quantity. RIL did not import the subject goods during the previous years of the injury period.

154. With respect to IGL's data, the Authority notes that supporters need to file information pertaining to installed capacity, production, sales quantity and sales value as per Note 2 of the Trade Notice 04/2021. The Authority notes that IGL has indeed provided data as per the

format. Further, IOCL had also filed a support letter with the Authority, however, it did not provide the required data as per the trade notice.

155. With respect to lack of jurisdiction of entertain the present application, the Authority notes that Hon'ble High Court of Delhi had remanded the matter back to the Authority, subsequent to which the Authority after receiving a request for termination of investigation in terms of Rule 14(a) of the AD Rules, 1995 terminated the investigation. In any event, the present investigation is against a different subject country mix and pertains to a different injury period. The application was duly documented and made a prima facie case concerning dumping, injury and causal link. Accordingly, the Authority initiated the present investigation.

156. The participating exporters have claimed that their cost of production has been arbitrarily revised and that such revisions were not made in the previous investigation concerning the PUC. The Authority notes that each investigation is carried out on the basis of specific facts, submissions made, and information provided and substantiated with relevant supporting evidences during the course of the investigation.

157. The Authority further notes that several interested parties have claimed that essential facts have not been disclosed. It is noted that all essential facts have been disclosed as per the Authority's consistent practice.

158. During the course of desk verification, the Authority found several inaccuracies and deficiencies in Equate Group's response such as the cost for ethylene (captive input) reported for PUC was significantly lower than the cost for ethylene reported at the company level (PUC and NPUC). In their original response, Equate Group had also claimed double deduction for by-product credit for which no reasonable justification was provided. Similarly, freight reported by Equate Group for exports to India was revised multiple times. Further, the claim of inventory adjustment in Appendices was revised. Thus, substantial revisions were made by Equate Group during the verification, which the Authority has taken on record.

159. The Authority has determined the cost of production based on the revised response submitted by Equate Group to the extent the same could be verified. It was noted that both Equate and TKOC purchased raw material (ethane) for production of captive input ethylene from their related party, Kuwait Petroleum Corporation ("KPC"), however, the same was not reported by them in Appendix 10 submitted in original response. Further it was noted that there was significant difference in ethane purchase price reported by the two producers in Equate Group. Equate Group refused to provide copy of Feedstock Supply Agreements with KPC to substantiate their claimed purchase price mentioning that "*the said agreement contains very highly confidential and commercially extremely sensitive information, and as such, cannot be submitted on record*". The Authority notes that under Rule 7 of AD Rules, 1995 confidentiality of information cannot be claimed *qua* the Authority itself. On account of refusal of information, the Authority has relied on best information available on record to compute the cost of production.

160. Further, Equate Group failed to provide sufficient justification for not allocating certain costs, which should have been allocated to PUC. The explanation provided by Equate Group was found to be at variance with information submitted for verification. Accordingly, the Authority has allocated such cost, based on the information available on record for this investigation, for determining the cost of production.

161. With reference to submissions made by exporters from Saudi Arabia concerning non-consideration of inventory adjustments while computing the cost of production as such adjustments includes other adjustments such as adjustments allowed under ***, the Authority notes that such adjustments have been accounted for in computation of cost of production where the same have been substantiated. Accordingly, the Authority has computed the cost of production as per its consistent practice.

162. With respect to claims made concerning the SGA & profits adopted by the Authority, the Authority notes that same was based on the verified cost of production and sales information of the individual exporters in terms of para 4 of Annexure I to the AD Rules, 1995. The Authority further clarifies that SGA costs were not added twice in case of Petrokemya, Saudi Kayan and United.

163. With respect to adjustment of trader's profit margin and indirect SGA to SABIC Group's export price, the Authority notes that ex-factory export price has been determined at the level of each producer.

164. With respect to PTA User Industries and Mitsubishi's claims disputing the objectivity of the Authority's examination on account of non-participation of IOCL and the non-examination of IOCL's data, the Authority notes that it had requested all domestic producers including IOCL to submit information. However, the Authority did not receive any information from IOCL as per the prescribed format within the established timeline. Accordingly, the Authority has carried out injury examination based on the facts available on record.

165. Equate Group has alleged that RIL has imported the subject goods in the post-POI period. It is noted that no evidence has been provided to substantiate the same. The present investigation being an original investigation, the Authority does not consider it necessary to examine post-POI developments.

166. With respect to decline in domestic industry's sales despite decline in import volumes during the POI, the Authority recalls its examination in para 96 of the disclosure statement wherein it was clearly observed that non-captive sales of the domestic industry and other producers had increased in the POI. Thus, while imports of subject goods from the subject countries declined in the POI, domestic sales of the domestic industry and other Indian producers of MEG increased.

167. With regards to Equate Group's submissions concerning the re-distribution of market share within Indian suppliers, the Authority notes that despite an increase in total sales of the Indian MEG industry, the Authority notes that market share of Indian Industry as a whole has also declined in the POI compared to 2021-22.

168. Equate Group has submitted that that domestic industry's performance declined during 2021-22, despite an increase in landed price of subject imports from Kuwait. In this regard, the Authority recalls its findings in paras 102-103 of the final findings, wherein it has been noted that while landed value of subject imports from subject countries increased in 2021-22, the same was not commensurate to the increase in cost of sales of the domestic industry.

169. SABIC Group has claimed that the domestic industry has not disputed the fact that ethane purchases from its related supplier are not at arm's length. In this regard, the Authority notes that it has obtained and examined quarter-wise invoices and the relevant benchmarks from the domestic industry for the injury period. Upon examination of the same, the Authority indeed found the transactions to be at arm's length.

170. The performance of the domestic industry has indeed improved in the POI compared to 2022-23. However, the domestic industry has claimed that the same was on account of QCO imposition.

171. PTA User Industries Association has contended that it believes IOCL is making profits, which contradicts the domestic industry's claims of injury. PTA User Industries has not submitted any data on record concerning IOCL's level of profitability. As mentioned above, the Authority had called for data for all Indian producers. However, IOCL did not provide the same. Accordingly, the Authority has carried out the present examination based on available facts.

172. With reference to determination of price undercutting for the entire injury period, the Authority notes that price undercutting is to be determined for the POI.

173. Equate Group has claimed that its production only increased marginally in the POI compared to previous year and existence of limited surplus capacity cannot be construed to constitute threat of material injury. Equate Group has further contended that there is no evidence of sudden divergence of production to India and that producers in Kuwait and other countries export globally and have diverse markets. In this regard, the Authority notes that it has carried out a cumulative assessment of subject countries in reaching its findings of threat of material injury. The Authority further notes that it has only pointed out the structural export dependency of exporters from the subject countries. Further, the Authority is well-aware of the fact that export sales as reported by Equate Group indeed include traded sales by Equate Group, a fact which was recorded in para 114 of the final findings. However, such trading sales constitute less than 1% of total sales made by Equate Group. Moreover, such traded sales also originate from the subject countries.

174. SABIC Group has submitted that NIP should be computed based on books of the domestic industry and not notional prices of captive input. Further, the domestic industry has also alleged that the Authority has made unwarranted adjustments to its non-injurious price. The Authority notes that NIP has been computed based on records of the domestic industry as per the principles laid down in Annexure-III to AD Rules, 1995.

175. Equate Group has disputed the 3.6% impact on PSF on account of anti-dumping duties and has claimed that it is not aware of how MEG constitutes 16% of PSF value. The Authority recalls para 137 of the final findings, wherein it has been clearly mentioned that calculation provided by Bhilosa Industries have been examined. All assumptions considered by the Authority for impact of anti-dumping duties are based on assumptions provided by Bhilosa Industries. Landed price of MEG has been considered as per DGCI&S data.

176. The Authority further notes that none of the users of the PUC have disputed or provided any further calculation for impact of anti-dumping duties on the end user provided in the disclosure statement.

177. Equate Group has commented that existing GST differential along with import duties and anti-dumping duties would worsen cost structure for user industries. The Authority notes that the issue related to inverted GST structure is not within the scope of the Authority's determination. In any case, appropriate GST rate revisions have recently been made by the Central Government to address such inverted duty structure issue.

M. CONCLUSIONS & RECOMMENDATIONS

178. Based on the submissions made, substantiated information provided by the interested parties and the facts available before the Authority as recorded and examined in the aforementioned paragraphs and on the basis of determination of dumping and consequent injury to the domestic industry, the Authority concludes the following:

i. The subject goods exported from the subject countries and the article manufactured by the domestic industry are 'like article' to each other in terms of Rule 2 (d) of the AD Rules, 1995.

ii. Reliance Industries Limited accounts for 70-80 % of the eligible domestic production, and accordingly, the applicant satisfies the requirements stipulated under Rule 2 (b) of the AD Rules, 1995 and application satisfies the standing requirements under Rule 5(3) of the AD Rules, 1995.

iii. The application contained all information relevant for the purpose of initiation of the anti – dumping investigation and necessary evidence in terms of Rule 5(2) of the AD Rules, 1995 to justify the initiation of the present investigation for determination of dumping and material injury to the domestic industry in terms of Rule 5 (3) of the AD Rules, 1995.

iv. The claims regarding confidentiality were accepted wherever warranted and in case, where such confidentiality claims were found to be excessive, the interested parties were directed to disclose the same or provide appropriate non – confidential summary of the same in terms of Rule 7 of the AD Rules, 1995. Where interested parties did not provide information or refused access to information, the Authority has considered facts available in terms of Rule 6(8) of AD Rules, 1995.

v. **Dumping margin**: Based on the information provided by the exporters from the subject countries, and the normal value/ constructed normal value (where applicable), the dumping margin for exporters was determined to be positive and significant.

vi. **Volume effect:** The volume of imports and the dumping margin of the subject goods from the subject countries were found to be above de minimis thresholds as stipulated under para (iii) of Annexure – II to the AD Rules, 1995. With respect to the volume effect of the dumped imports on the state of the domestic industry as required to be assessed under para (ii) of the AD Rules, 1995, it was found that such imports have increased in absolute as well as relative terms to the production and consumption of the PUC in India. Imports of subject goods from the subject countries have increased by 200% in the POI.

vii. **Price effect:** As regards the price effect of such dumped imports, it was found that price undercutting from all three subject countries was positive. It was further found that such dumped imports were depressing and suppressing the prices of the domestic industry.

viii. As regards the effect of such dumped on the economic parameters of the domestic industry, the following conclusions were reached:

a. **Production, capacity, capacity utilisation, sales, and market share:** The production and capacity utilisation of the domestic industry has declined even though capacity has remained constant throughout the injury period. Non-captive sales have declined until FY 2022-23, with a marginal increase in POI, on account of decline in volume of imports due to imposition of QCO. However, volume of imports has doubled over the injury period.

b. **Market Share:** Non-captive market share of the domestic industry has declined by *** % over the injury period whereas market share of the subject imports from the subject countries increased by *** % indicating that imports from the subject countries have captured the market share of domestic industry. Indian industry i.e., the domestic industry and other domestic producers have also collectively lost market share over the injury period.

c. **Cost of sales, selling price, profitability, and return on capital employed:** The selling price of the domestic industry has declined in the POI compared to 2022-23 and 2021-22. The profitability of the domestic industry has shown a minor improvement in the POI compared to previous year, however, the same has declined compared to 2020-21 and 2021-22. The domestic industry has earned *** % profit on cost of sales during the POI.

d. **Inventories:** Inventories have increased in the POI.

e. **No. of employees, productivity, and wages:** Productivity has declined throughout the injury period and reached its lowest level in the POI as a result of decrease in the production of the domestic industry.

f. **Growth**: Upon comparison from the base year, it is noted that production, domestic sales, profit and ROCE have declined and have shown negative growth in the POI compared to the base year.

ix. **Threat of material injury**: Exporters from the subject countries are structurally export oriented. With stagnant demand in third countries, it is likely that imports may be diverted to India.

x. **Injury margin:** Upon comparison of the non – injurious price determined as per Annexure – III to the AD Rules, 1995 and the landed price of subject imports from the subject countries as required under Rule 17 (3) (b) to the AD Rules, the injury margin for the participating exporters was found to be positive.

xi. **Causal link:** The domestic industry has suffered material injury due to the dumped imports and there are no other known factors were found to be the cause of the injury. There has been an increase in the volume of the dumped imports during the POI compared to the base year and 2021-22. The presence of dumped imports in the Indian market forced the applicant to sell at non-remunerative prices which has adversely affected the profitability parameters of the domestic industry.

xii. **Indian industry issues:** None of the interested parties have disputed the end user duty impact calculation, which is less than 1%. The presence of several suppliers including a vibrant Indian domestic industry de-risks the user from supply chain disruptions and thus enables the user industry to procure the subject goods from several sources more competitively in the long run.

179. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the Anti-Dumping Rules, the Authority is of the view that imposition of anti-dumping duty is required to offset dumping

and injury. Therefore, Authority considers it necessary and recommends imposition of anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject countries.

180. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, equal to the amount indicated in Col. 7 of the duty table appended below for a period of 5 years.

Duty Table

S.No.	Heading	Description	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount ($ /MT)
1	2	3	4	5	6	7
1	2905 31 00	Mono Ethylene Glycol	State of Kuwait	Any country including State of Kuwait	EQUATE Petrochemical Company K.S.C.C	102
2	do	do	State of Kuwait	Any country including State of Kuwait	The Kuwait Olefins Company K.S.C.C.	102
3	do	do	State of Kuwait	Any country including State of Kuwait	Any producer other than S.No. 1 to 2	165
4	do	Do	Any country other than subject countries	State of Kuwait	Any	165
5	do	Do	Kingdom of Saudi Arabia	Any Country including Kingdom of Saudi Arabia	Arabian Petrochemical Company	118
6	do	do	Kingdom of Saudi Arabia	Any Country including Kingdom of Saudi Arabia	Saudi Kayan Petrochemical Company	118
7	do	do	Kingdom of Saudi Arabia	Any Country including Kingdom of Saudi Arabia	Eastern Petrochemical Company	118
8	do	do	Kingdom of Saudi Arabia	Any Country including Kingdom of Saudi Arabia	Jubail United Petrochemical Company	118
9	do	do	Kingdom of Saudi Arabia	Any Country including Kingdom of Saudi Arabia	Saudi Yanbu Petrochemical Company	118
10	do	do	Kingdom of Saudi Arabia	Any Country including Kingdom of Saudi Arabia	Yanbu National Petrochemical Company	118

11	do	do	Kingdom of Saudi Arabia	Any Country including Kingdom of Saudi Arabia	Rabigh Refining & Petrochemical Company	118
12	do	do	Kingdom of Saudi Arabia	Any country including Kingdom of Saudi Arabia and State of Kuwait	Any producer other than S.No. 5 to 11	173
13	do	do	Any country other than subject countries	Kingdom of Saudi Arabia	Any	173
14	do	do	Republic of Singapore	Any country including Republic of Singapore	Any	137
15	do	do	Any country other than subject countries	Republic of Singapore	Any	137

N. Further Procedure

181. An appeal against the determination of the Designated Authority in these final findings shall lie before the Customs Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act/ Rules.

SIDDHARTH MAHAJAN, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.09.26 11:37:46 +05'30'